खण्ड-245, अंक-10
गुरूवार, 1 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(20 फरवरी, 1964 ई0)

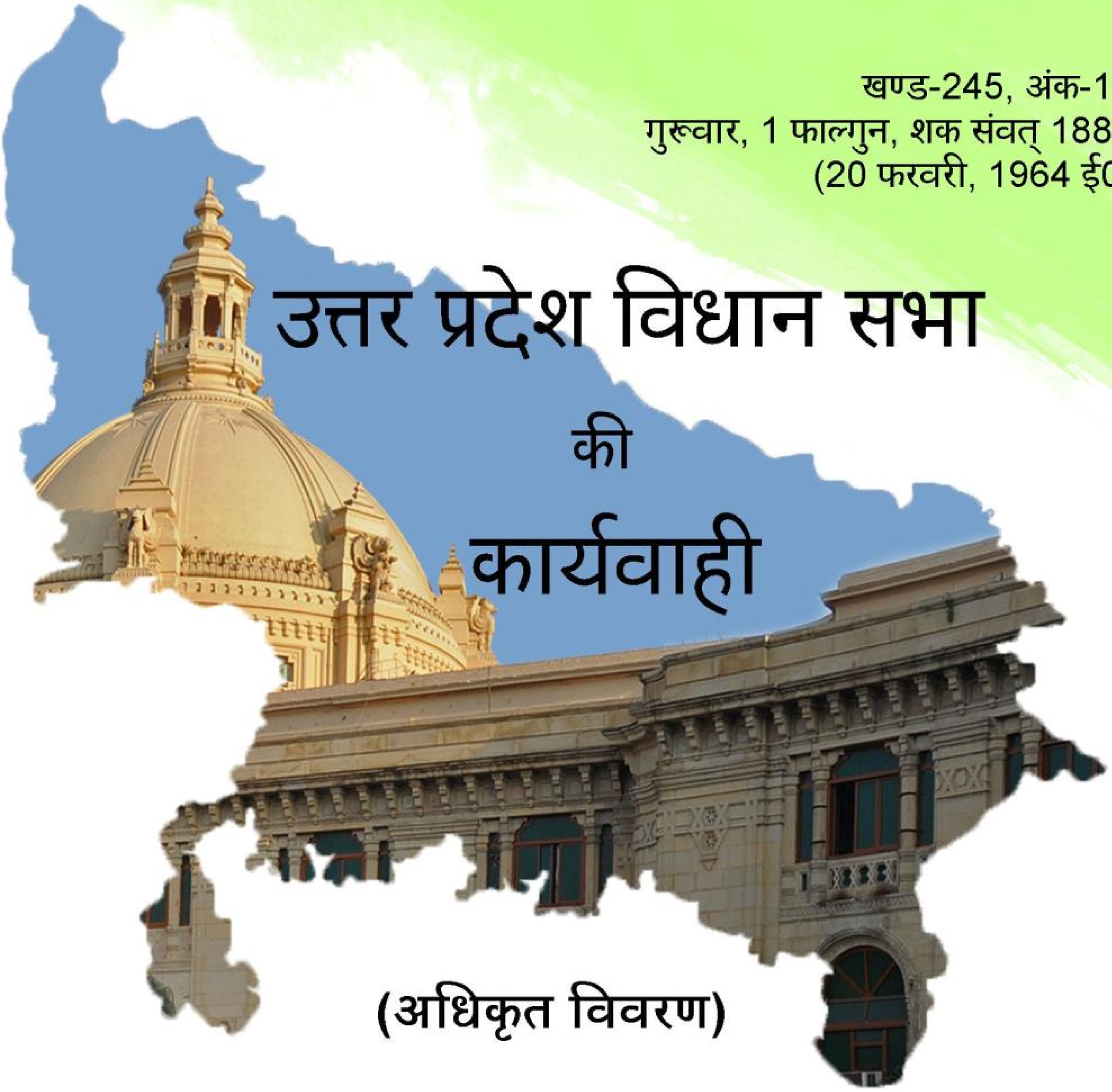

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 245 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८८५–८८९
प्रश्नोत्तर	८८९–९१५
लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ द्वारा दारुलशफा में सप्लाई किये गये दूध की शिकायत	९१६
मुख्य मंत्री के कथित असत्य-कथन पर अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	९१६–९३१
जिला मैनपुरी के एक गांव में डकैती के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	९३१–९३२
खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि तथा उनकी अनुपलब्धता के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव, नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं.. ..	९३२–९३८
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा निर्धारित कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना ..	९३८–९३९
लोक-लेखा समिति प्राक्कलन समिति तथा स्थायी समितियों के निर्वाचन के परिवर्तित कार्यक्रम की सूचना	९३९–९४०
९ दिसम्बर, १९६३ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६–७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	९४०
प्रदेश की खाद्य स्थिति के विषय में केन्द्रीय सरकार से हुई बातचीत के संबंध में रसद मन्त्री का वक्तव्य	९४०–९४८
१९६४–६५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	९४८–९६९
मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के नोटर और ड्राफ्टरों की सीनियारिटी तथा अपर डिवीजन क्लर्कों की नियुक्ति तथा सीनियारिटी के संबंध में नियम ५० (१) के अन्तर्गत चर्चा	९६९–९७४
नत्थियां	९७५–९८२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २० फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १०-१/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६०

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत ,श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री

परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथ सरनसिंह, श्री
पातीराम अहिरवार, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल,, श्री
बाबूलाल श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री

रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यानसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री

सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उप-मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २० फरवरी, १९६४

तारांकित प्रश्न

कानपुर में हेड आफ लेदर वर्किंग की नियुक्ति

*१—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित लेदर इन्स्टीट्यूट, कानपुर के लिए हेड आफ लेदर वर्किंग पद का चुनाव जनवरी सन् १९६३ ई० में यू० पी० पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या योग्यताएं निर्धारित की गयी थीं ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जी हां, इस पद के लिये निर्धारित योग्यताएं ये थीं :—

"किसी मान्यता प्राप्त संस्था से लेदर वर्किंग में डिग्री या डिप्लोमा। चार वर्ष का क्रियात्मक अनुभव (डिग्री वालों के लिये ३ वर्ष) तथा हिन्दी का ज्ञान। अध्यापन, अनुभव तथा विदेशी अर्हताओं को प्राथमिकता दी जायगी।"

*२—श्री मुरलीधर कुरील (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस पद के लिए कौन-कौन व्यक्ति कमीशन द्वारा योग्य पाये गये और उनकी नियुक्ति कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कमीशन ने श्री शिवलाल का नाम इस पद के लिये प्रस्तुत किया, जिनकी नियुक्ति के लिये आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

फैजाबाद में सहायक उद्योग निदेशक के विरुद्ध चपरासियों की शिकायत

*३—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान २७ दिसम्बर, १९६३ के उपक्षेत्रीय कार्यालय, उद्योग विभाग, फैजाबाद के सहायक निदेशक (हाट) ने पिछले छः माह में कितने चपरासियों को निकाला, ट्रांसफर किया या उनसे इस्तीफा लिया ? प्रत्येक की नौकरी की अवधि व अचानक हटने या हटाये जाने का कारण क्या था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त अवधि में किसी भी चपरासी को नहीं निकाला गया। केवल सर्वश्री छंगाराम व रामऔतारसिंह ने अपनी स्वेच्छानुसार इस्तीफे दिये जो स्वीकार कर लिये गये। इस के अतिरिक्त श्री भीमल चपरासी का ट्रान्सफर अनुशासनीय आधार पर किया गया।

उपर्युक्त व्यक्ति, उनके नाम के सामने लिखित तिथि से कार्य कर रहे थे:

१—श्री छंगाराम ..	..	..	१६-२-५९
२—श्री रामऔतारसिंह	..	..	२१-४-५७
३—श्री भीमल ..	..	..	१६-४-५३

*४—श्री सन्तसिंह यूसुफ (अनुपस्थित)—

क्या इन में से किसी चपरासी ने कोई रिप्रेजेन्टेशन किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। सहायक उद्योग निदेशक (मार्केटिंग) के विरुद्ध पिछले माह श्री छंगाराम व श्री रामऔतार सिंह का रिप्रेजेन्टेशन प्राप्त हुआ है जिसका संयुक्त निदेशक, उद्योग (मध्य क्षेत्र) लखनऊ द्वारा जांच कराई जा रही है।

*५—श्री सन्तसिंह यूसुफ (अनुपस्थित)—

उपरोक्त चपरासियों के स्थान पर जिनकी नियुक्ति हुई, उनमें से कौन-कौन रोजगार दफ्तर के द्वारा भर्ती किये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

केवल एक जगह पर एक चपरासी की अस्थायी नियुक्ति हुई है जोकि पहले कई बार लीव वेकेन्सी पर कार्य कर चुका है और उसका नाम रोजगार दफ्तर में रजिस्टर्ड है।

बेरोजगारी

*६—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बेकारी की समस्या को हल करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है ?

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

प्रदेशीय योजना में सम्मिलित सभी कार्यक्रमों से रोजगार की वृद्धि होती है। कुटीर और छोटे उद्योगों के कार्यक्रम प्राविधिक प्रशिक्षण योजना में ग्रामीण जनश्रम के उपयोग की योजनाओं का रोजगार बढ़ाने में विशेष स्थान है। वस्तुतः रोजगार की वृद्धि का प्रश्न कुल आर्थिक विकास की गति पर निर्भर है और यह क्षेत्र केवल राज्य सरकार का नहीं, बल्कि केन्द्रीय शासन और निजी क्षेत्र (Private Sector) का भी है।

श्री रघुनाथसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि राज्य सरकार के अन्तर्गत जो क्षेत्र है उसमें बेकारी को दूर करने के लिये उसने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जितनी भी योजनाएं हैं वे केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग से संबंधित हैं और प्लानिंग भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला स्तर पर तीनों की मिल कर होती है। जहां तक राज्य सरकार का संबंध है हमारा बजट करीब करीब ३७३ करोड़ का है जिसमें एग्रीकल्चर, इन्डस्ट्री, माइनिंग और ट्रान्सपोर्ट आदि हैं जिनके द्वारा काफी एम्पालयमेंट क्रियेट किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के द्वारा तथा मिले-जुले कार्यक्रमों के द्वारा बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में और तीसरी योजना के प्रारम्भ में शिक्षित और अशिक्षित, स्किल्ड और अनस्किल्ड कितने ऐसे व्यक्ति थे जिनको काम देना सरकार ने आवश्यक समझा था ?

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, इस वक्त उन लोगों की संख्या मेरे सामने नहीं है कि कितने तैयार थे और कितनों को एम्पलायमेंट दिया गया, लेकिन सरकार, स्किल्ड लेबर के क्रियेट करने में और लोगों को एम्प्लायमेंट देने में, सहायता करती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्टतः यह बतायेंगे कि ३७३ करोड़ जो तीसरी योजना में खर्चा किया जायगा उससे कितने लोगों को रोजगार दिलाने की वे आशा करते हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल २३ लाख आदमियों को रोजगार मिल पायेगा।

श्री रघुनाथसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कुटीर उद्योग आदि से विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों की बेकारी किस हद तक दूर हो सकेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

शिक्षित लोगों को ट्रेनिंग देने के लिये कई किस्म के प्रयास हम कर रहे हैं। टेकनीकल ट्रेनिंग देने की फेसेलिटीज को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ईंजीनियर्स की ट्रेनिंग के लिये १,२०० सीट्स हो जायंगी। टेकनीकल इंस्टीट्यूट, कानपुर में ८५० सीट्स हो जायंगी। यूनिवर्सिटयों में हम ज्यादा सीट्स बढ़ा रहे हैं। मेडीकल साइड में ४०० से ६०० सीट्स बढ़ाने का इरादा है, क्योंकि ह्यूमेनिटीज में शिक्षित लोगों को जाब्स देने में दिक्कत होती है। इसलिये ट्रेनिंग की फैसेलिटीज काफी बढ़ा रहे हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

इन १६ वर्षों के अन्दर प्रायः यह जबाव मिला है कि ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग आदि चला कर बेकारी को दूर किया जायगा, लेकिन व्यावहारिक जगत में देखने से मालूम पड़ता है कि अभी तक यह भी पता नहीं है कि गांवों में ऐसे कितने लोग हैं जो बेकार हैं और वहां कौन-कौन से कुटीर उद्योग चलाये जा सकते हैं। इसलिये मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं

कि गवर्नमेंट इस बात को एक सर्वे कराये कि स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिये और स्थानीय बेकारी को दूर करने के लिये वहां कौन-कौन-सा मेटीरियल मिल सकता है, इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

हर एक गांव का सर्वे कराना कठिन है। हमारे यहां कई प्रकार का अनएम्प्लायमेंट है, कुछ अनएम्प्लायड हैं और कुछ अन्डर एम्प्लायमेंट हैं। ओवर आल जो स्टेटिस्टीकल अनएम्प्लायमेंट की फिगर्स हमारे सामने आती हैं उनके अनुसार योजना बना कर हम उनकी खपत करने की कोशिश करते हैं। जो उद्योग धंधे बढ़ाये जा रहे हैं उनमें ९ लाख लोगों के एम्प्लायड हो जाने की आशा है। बाकी जो डेवलपमेंटल एक्टीविटीज हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कुटीर उद्योग, प्राइवेट सेक्टर इन्डस्ट्रीज और सेन्ट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के द्वारा उनमें कुल २३ लाख लोगों को एम्प्लायमेंट दिया जा सकेगा।

यूपिका

*७--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या उद्योग मंत्री यह बतायेंगे कि यूपिका कानपुर में सोसाइटीज के कौन-कौन डाइरेक्टर्स हैं और क्या उसमें सरकार के नामिनेटेड लोग भी हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

यूपिका संचालक मंडल में सहकारी समितियों की ओर से निम्निलिखित सदस्य हैं : सर्वश्री नवाब एजाज रसूल, मोहम्मद सिद्दीक, शिवलाल चुग, शफात अहमद, जफर अहमद, हकीम बशीर अहमद, हयात मोहम्मद, अब्दुल लतीफ नोमानी, अब्दुल अजीज अन्सारी, तुलसी प्रसाद सहयोगी, दाताराम सोधे, अ-दुल मजीद, मोहम्मद कामिल, गोविन्द दास पण्डा, प्रकाश चन्द्र सक्सेना तथा फैयाज अहमद। यूपिका कानपुर में सरकार द्वारा कोई भी नामीनेटेड सदस्य नहीं है।

*८--श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि सन् १९६१-६२ और १९६२-६३ में कितनी बैठकें यूपिका की हुई और उसमें कितना डी० ए० और टी० ए० डाइरेक्टर्स को दिया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

सन् १९६१-६२ में यूपिका की १९ बैठकें हुईं तथा १९६२-६३ में कुल ९ बैठकें हुई। सन् १९६१-६२ में १,३१० डी० ए० तथा ६,६४७.५६ टी० ए० और सन् १९६२-६३ में ५७५.०० डी० ए० तथा ४,२८२.९५ न० पै० टी० ए० डायरेक्टर्स को दिया गया।

*९--श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस दी गयी रकम में से कितना रुपया अपनी-अपनी सोसाइटियों द्वारा लिया गया और कितना यूपिका से ? सूचना हर डाइरेक्टर की अलग-अलग हो ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

पूर्ण व्यय यूपिका ने किया। अलग-अलग सूचना हर डायरेक्टर्स की संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९७५-९७६ पर।)

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्रीजी इस बात को देखते हुये कि जो खर्चा डी० ए०, टी० ए० पर हुआ है वह बहुत लंबा-चौड़ा है, यह बतायेंगे कि यह खर्चा यूपिका की तरफ से क्यों किया गया, सहकारी समितियों की तरफ से क्यों नहीं किया गया जिनके प्रतिनिधि यहां आये थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह यूपिका की मीटिंग थी और वे लोग यूपिका के डायरेक्टर्स थे इसलिये उनका खर्चा देने की जिम्मेदारी यूपिका की ही ज्यादा थी। कोआपरेटिव सोसाइटीज तो छोटी-छोटी यूनिट्स हैं उन पर वजन डालना उचित न होगा।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस यूपिका को सरकार सालाना कितनी इमदाद देती है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, यह तो बिलकुल नया प्रश्न है, इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है।

झांसी नगरपालिका अध्यक्ष पर मुकदमा

*१०--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि २४ या २५ मई, सन् १९६३ को झांसी नगरपालिका के निलम्बित अध्यक्ष की गिरफ्तारी गबन इत्यादि के बारे में प्रान्तीय सी० आई० डी० द्वारा की गयी ? यदि हां, तो अभियुक्त के विरुद्ध मुकद्दमा कब व किस धारा में सेशन कमिट हुआ व उपरोक्त मुकदमे में क्या हो रहा है ? क्या यह भी सत्य है कि निलम्बित अध्यक्ष के विरुद्ध प्रान्तीय सी० आई० डी० अन्य आरोपों की भी जांच कर रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी हां, झांसी म्युनिसिपल बोर्ड के निलम्बित अध्यक्ष दिनांक २४ मई, १९६३ को धारा ४०९/४७७-ए भा० दं० विधान के अन्तर्गत सी० आई० डी० द्वारा गिरफ्तार किये गये। उनके विरुद्ध दिनांक २३ नवम्बर, १९६३ को उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा सेशन्स न्यायालय के सुपुर्द किया गया और वहां विचाराधीन है। निलम्बित अध्यक्ष के विरुद्ध सी० आई० डी० एक अन्य आरोप की भी जांच कर रही है।

श्री लखपतराम शर्मा--

चूंकि यह मामला अदालत में है, इसलिये इस पर मैं कोई प्रश्न करना मुनासिब नहीं समझता।

*११--श्री लखपतराम शर्मा--

[हटा दिया गया।]

रबड़ फैक्टरी, बरेली में अधिगृहीत भूमि का प्रतिकर

*१२--श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली की रबर फैक्टरी ने सरकार द्वारा बहुत अधिक भूमि अधिग्रहण करवाने के बाद बहुत थोड़ी भूमि पर अपना कार्य प्रारम्भ किया है ? यदि हां, तो कितनी भूमि अब तक अधिग्रहण करायी गयी और उसका कितना मुआविजा दिया गया तथा कितने पर फैक्टरी का कार्य निर्माण हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

उल्लिखित फैक्टरी के लिये १,३८०.२६ एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई है जिसमें से लगभग १२८ एकड़ भूमि फैक्टरी के प्रयोग में आई है। अधिगृहीत भूमि का मुआवजा १,६८,०१९ रु० ४४ न० पै० हुआ जिसमें से १,११,२९३ रु० ५४ न० पै० सम्बन्धित कृषकों ने ले लिया है और शेष रुपये लेने के लिये संबंधित कृषकों को नोटिस द्वारा सूचना दे दी गई है।

*१३--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार बची हुई उपजाऊ भूमि को कृषकों को वापस कराने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

चूंकि फैक्टरी शीघ्र ही शेष भूमि को प्रयोग में लाने की दिशा में प्रयत्नशील है अतः उसको उससे लेकर कृषकों को देने का सवाल नहीं उठता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो भूमि इस फैक्टरी ने ली है, उसको लिये हुए कितने दिन हो गये और अब तक उसको उपयोग में न लाने के क्या कारण हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मार्च, १९६१ में जमीन का (पजेशन) उनको मिला था और फैक्टरी उनकी बन चुकी है, जमीन उपयोग में है लेकिन अभी उनका काफी काम शेष है। करोड़ों की लागत की फैक्टरी बनेगी, उसमें टाइम तो उनको लगेगा ही।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, मेरी यह जानकारी है और मेरी इस सूचना को सही मान कर कि पूरा प्लांट रबर फैक्टरी का लग गया है, उनके कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर्स भी बन गये हैं, अब ऐसी स्थिति में जैसा कि कायदा फैक्टरियों का है, बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन अपने लिये अधिग्रहण कर लेते हैं, क्या इस फैक्टरी से इस जमीन को निकाल कर कृषकों को उनकी भूमि वापस करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इस फैक्टरी का प्लान बहुत बड़ा है, उनको लेबर क्वार्ट्र्स बनाने हैं, एक कालोनी बसाना चाहते हैं, स्कूल और अस्पताल भी बनाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि फैक्टरी की तरफ से लेबर को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। फैक्टरी वालों ने लिखा है कि उन्हें पूरी जमीन की आवश्यकता है। एनसीलियरी इंडस्ट्रीज उनको लगाना है और यह उत्तर में मैंने स्पष्ट कर दिया है कि उनसे जमीन लेने का प्रश्न नहीं आता, क्योंकि वे अपने लिये पूरी जमीन की उपयोगिता बतलाते हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह भूमि एक्वायर की गयी उस समय जो स्कीम थी वही स्कीम है या उस स्कीम में कुछ परिवर्तन हुआ है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

रबर फैक्टरी के लिये जमीन ली गयी थी और रबर फैक्टरी बन रही है इसलिये स्कीम के परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं आता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

जब तक उस जमीन का इस्तेमाल नहीं हो पाता तब तक सरकार इस बात की जांच करा कर फिलहाल उन किसानों को खेती करने की इजाजत देने की कृपा करेगी ? क्योंकि मुझे मालूम है कि वह जमीन इस्तेमाल में नहीं है और खाली पड़ी हुई है।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मैंने आरम्भ में ही कहा कि फैक्टरी के लिये जगह ली गई है और उस को वह काम में लेंगे इसलिये उस को इस वक्त वापस करना और फिर दोबारा लेना मुनासिब न होगा।

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बरेली की रबड़ फैक्टरी के लिये जो जमीन ली गई है वह भी अधिक ली गई है और इसी प्रकार से हरिद्वार में भी हैवी एलेक्ट्रिकल्स के लिए भी ज्यादा जमीन ली गई थी और जब उसका उद्घाटन हुआ था तो उस समय आश्वासन दिया गया था कि अधिक जमीन जरूरत से ज्यादा ली गई है उस को वापस कर दिया जायगा, तो क्या सरकार अपने उस वादे पर कायम रहेगी और हरिदवार की तरह क्या बरेली में भी किसानों की फाजिल जमीन वापस करने की कृपा करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री हरीशकुमार गंगवार---

१,३८०.२६ एकड़ भूमि का १,६८,०१९·४४ नया पैसा मुआवजा दिया गया जो कि १२२ रुपया प्रति एकड़ से भी कम है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब कि अब यह नई व्यवस्था हो गई है कि प्राइवेट कम्पीनीज जो हैं उन के लिये कानून बन गया है कि उन को बाजार भाव से मुआवजा किसानों को देना होगा, तो वहां के किसानों को १२२ रुपया प्रति एकड़ ही मुआवजा देने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

उस का तो एवार्ड हुआ था और मुआवजा रेवेन्यू बोर्ड के मैनुअल के अनुसार दिया गया है और उन्होंने वह ले भी लिया है।

स्थानीय निकाय

*१४---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित १९६४ की डायरी के पन्ना ६४ पर नम्बर १७ में राज्य में नगरों व कस्बों की संख्या २६७ बताई गयी है और नम्बर २३ से २६ तक नगरमहापालिकायें, नगरपालिकायें, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया इन सबकी संख्या ४५३ बताई गयी है ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त दोनों संख्याओं में से कौन सही है और कौन गलत है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

दोनों संख्याएं सही हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया कस्बों में शामिल हैं और इसी वजह से जिला परिषद् में कोई भी टाउन एरिया का निवासी सदस्यता के लिये खड़ा नहीं हो सकता ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

वह कस्बा तो है ही इसमें कोई दो राये नहीं हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---

आप की सूचना डायरी में कस्बों और नगरों की संख्या २६७ बताई गयी है और अलग-अलग वह ४५३ होती है तो यह दोनों कैसे सही हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इस में फेर है, दोनों इसलिये सही हैं कि भारत सरकार की जो कस्बों की परिभाषा है वह हमारी परिभाषा से भिन्न है। वह कहते हैं कि ५,००० जनसंख्या हो, १,००० प्रति वर्गमील घनत्व हो और उसमें तीन चौथाई से ऊपर नान-एग्रीकल्चरिस्ट्स हों तब कस्बा होता है, हमारे यहां परिभाषा में भेद है, ऐसे भी कस्बे हैं कि जहां १००-१५० की आबादी है।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--

क्या मंत्री जी इस २६७ की संख्या का ब्रेक-अप बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कितनी महापालिका हैं, कितनी नगरपालिका हैं, कितने टाउन एरिया हैं और कितने नोटिफाइड एरिया हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

वह हमारे पास नहीं है, वह कस्बों का भारत सरकार का फिगर है। हमारा जो ब्रेक-अप है वह इस प्रकार है :

महापालिका ५,
नगरपालिका १३७,
नोटीफाइड एरिया ३८,
टाउन एरिया २७३।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन से टाउन एरियाज हैं, जिनमें महज १५०, या १०० की ही आबादी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मेरे बगल में ही मुनी की रेती है। पहाड़ों में ऐसे बहुत से स्थान हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--

भारत सरकार की उस फिगर के हिसाब से प्रदेश में कितने टाउन एरिया और नोटीफाइड एरियाज कस्बों में गिने जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो उन्होंने कह दिया कि उनके पास केन्द्रीय सरकार की सूचना नहीं है।

अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर में गन्ना तौलने में कठिनाई

*१५--श्री हेतरामसिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद में जहां पर गन्ने की गाड़ी खड़ी रहती है, वहां कोई टिन शेड है या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उक्त मिल में गन्ने की गाड़ी खड़ी होने के स्थान पर दो कैटिल शेड (एक पार्किंग यार्ड में और दूसरा गेट के प्रवेश स्थान पर) की नियमानुसार व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त काश्तकारों के लिये दो कमरे और दो डबल साइड वारांडे की भी व्यवस्था है।

*१६--श्री हेतराम सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विभाग का कोई ऐसा आदेश है जिसके द्वारा उक्त शुगर फैक्टरी को आदेश दिया गया है कि गेट पर टिन शेड हों ? अगर ऐसा आदेश

है तो पालन न करने वाली फैक्टरी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ के नियम ४० (डी) के अन्तर्गत मिलों द्वारा काश्तकारों तथा उनके मवेशियों के ठहरने के लिये समुचित प्रबंध किये जाने की व्यवस्था है और उक्त फैक्टरी में नियमानुसार उपरोक्त व्यवस्था होने के कारण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१७--श्री हेतरामसिंह--

क्या सरकार को मालूम है कि फैक्टरी के गेट पर २४ घंटे तौल रहती है, जिसके कारण गाड़ियां भी २४ घंटे तौली जाती हैं और काश्तकारान व उनके मवेशियों को जाड़े में रात भर रहना पड़ता है और रात को लौट कर जाने में अन्देशा जानोमाल का रहता है ? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था कर देगी कि गाड़ियां सिर्फ सुबह ६ बजे से रात को ८ बजे तक तौल ली जावें और ट्रक्स जो गन्ना सेन्टरों से गन्ना लाते हैं उनको रात के ८ बजे से सुबह ६ बजे तक तौला जावे ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी हां, किन्तु रात में गन्ने की गाड़ियां दिन की अपेक्षा कम आती हैं और यदि कोई किसान रात में गाड़ी तौलाना चाहे तो उसे यह सुविधा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ के नियम ४१ के अन्तर्गत उपलब्ध कर दी गई है जिससे मिलों को यथोचित मात्रा में गन्ना मिले और किसानों को भी असुविधा न हो ।

श्री हेतरामसिंह--

जो मेरा १५वां सवाल है, मेरी सूचना को सही मानते हुये, मानेंगे कि उसका जवाब बिल्कुल गलत दिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मेरे पास थोड़ी डिटेल्ड सूचना है अगर आप चाहें तो आपकी जानकारी के लिये दे दूं वहां एक कैटिल शेड है जो ११४ गुणा १८ का है यह पार्किंग यार्ड में है । दूसरा गेट के प्रवेश स्थान पर है जो ८८ फीट गुणा ९ का है जो वराण्डे के रूप में है । इसके अतिरिक्त किसानों के लिये दो कमरे हैं, एक २४ गुणा २३ का और दूसरा २४ गुणा १२ का है । इसके अलावा दो डबल साइड वराण्डे हैं जो कृषकों की सुविधाओं के लिये दे रखे हैं जिनमें से एक ३३ गुणा १६ का है, दूसरा ५४ गुणा १६ का है । कृषकगण इन वराण्डों को अपने जानवरों को ठहराने हेतु प्रयोग में लाते हैं । यह सुविधायें हैं ।

श्री हेतरामसिंह--

मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुये इसकी किसी अधिकारी से उचित जानकारी करायेंगे कि वहां पर गाड़ी खड़े होने को शेड नहीं है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

आप मुझे लिख कर भेज देंगे तो जरूर करायेंगे ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि जो अजुध्या शुगर मिल के प्रबन्धक हैं वह आम तौर से किसानों की गाड़ी ८ बजे तक न तौल कर १२, १ बजे तक तौलते हैं, जिससे किसानों को असुविधा होती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह तो ऐक्स्ट्रा सुविधा दी गई है। नियमानुसार दिन छुपे तक रहती है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

जैसा आपने कहा कि रात को तौलने की कोई व्यवस्था नहीं है, जब कभी कोई गाड़ी आ जाती है तो शेड की व्यवस्था है तो रात में गन्ना पेरने के जो गन्ना मिल मालिक रखते हैं उसको तौलने की क्या व्यवस्था है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह तो बड़ा विस्तृत सवाल है। जैसा मैंने कहा साधारण नियम यह है गाड़ियां दिन में तोली जाती हैं, लेकिन अगर कोई खास आ जाये जैसे इन्स्पेक्टर या जो कोआपरेटिव के प्रधान हैं वे यह ठीक समझें कि यह उचित है जिससे काश्तकार को असुविधा न हो तो ये रात को भी तोली जा सकती हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

सवाल सीधा है कि जहां गाड़ियां खड़ी रहती हैं वहां कोई टिन शैड है या नहीं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसका तो उत्तर मैंने दे दिया। मैंने डिटेल्स भी दे दी हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

डिटेल्स आपने दे दी हैं, परन्तु आपने उसका उत्तर नहीं दिया है। सवाल केवल इतना है कि जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां कोई टिन शेड है या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मेरा दुर्भाग्य यह है कि....

श्री हेतरामसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो बताया है कि वहां पर दिन में ज्यादा गाड़ियां आती हैं और रात में कम आती हैं। मैंने स्वयं देखा है कि वहां रात दिन गाड़ियां तुलती हैं और एक लाइन में जो ट्रक खड़े रहते हैं उन्हें जब जी चाहा तभी तुलवा देते हैं और गाड़ियों वालों को परेशानी उठानी पड़ती है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी तफतीश करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह एक सुविधा दी गयी है। अगर माननीय सदस्य मुझसे बात कर लें तो मैं और डिटेल में बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आप कहते हैं कि सुविधा दी गयी है और वे कहते हैं यह सुविधा नहीं दी जाती है, तो क्या आप इस बात की जांच करवाने के आर्डर देंगे कि यह जो सुविधा दी गयी है वह बरती जाय ? यह प्रश्न है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अगर आप यह चाहें तो उसका मैं इंतजाम कर दूंगा कि गेट पर रात को गाड़ी तुल सकें।

*१८--श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)--

[४ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*१९—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

[५ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

गाजीपुर जिले में अपराध

*२०—श्री रघुवीर—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में सन् १९६२–६३ में प्रत्येक थाने में कितने–कितने डकैती, चोरी, राहजनी, बलवा व कत्ल के केस हुये हैं ? इनमें से कितने केसों में सजा हुई और कितने केसों में मुलजिम छूटे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९७७ पर)

श्री रघुवीर—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५० फीसदी कत्ल, ६५ फीसदी डकैती और चोरी और नकबजनी ८६ और राहजनी ८१ फीसदी हुई, तो उनके छूटने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

उन सबके जजमेंट देखे जायं तो पता चलेगा कि क्या-क्या कारण हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों का निरपराध चालान किया गया है और उनका फ्रि एक्वीटल हुआ है तो क्या सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में हुई है या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उसमें किसी के जजमेंट को नहीं देखा गया । इसलिये कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने केसेज हुए ह जिनमें कोर्ट से किसी अधिकारी के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हुये थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—

(श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर) श्री काशीनाथ जी, आप अधिष्ठाता मंडल के सदस्य होकर भी यदि नियमों को हर समय तोड़ेंगे तो उचित न होगा। आप यदि चाहें तो अलग से मुझसे बात कर सकते हैं ।

श्री रघुवीर—

क्या गृह मंत्री बतलायेंगे कि जितने केसेज छूटे हैं उनका खास कारण यह है कि पुलिस ने गलत चालान किया था और उनमें पुलिस की साजिश थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पुलिस की साजिश थी ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या मंत्री महोदय के मंत्रालय ने ऐसा कोई नियम बनाया है कि जिस एस० ओ० के खिलाफ सेशन जज कोई स्ट्रिक्चर पास करे उस एस० ओ० के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां ।

श्री नाथूराम शिक्षक--

तमाम डाके, कत्ल तथा चोरियों का पता नहीं चल पाता है तो क्या सरकार कोई ऐसा नियम बनाने की कृपा करेगी कि जिन एस० ओ० के क्षेत्रों में इन चीजों का पता नहीं चलता उनको सर्विस से छुट्टी देने की कृपा की जायगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं बुलाया गया ।)

श्री कमलासिंह यादव---

गाजीपुर जिले में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन उसे छिपाया जा रहा है और रिपोर्ट में बहुत कम लिखा जा रहा है तो क्या माननीय मंत्री इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि मुकदमे चलाये गये और वे छूट गये न कि यह कि रिपोर्ट लिखाई जाती हैं और वे लिखी नहीं जातीं ।

श्री वीरसेन--

जिन केसेज में कोर्ट के स्ट्रिक्चर पास होते हैं तो जिले क सर्वोच्च अधिकारी के पास वे जजमेंट भेजे जाते हैं कार्यवाही के लिये, लेकिन उन केसेज में भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

अब तक जितने ऐसे केसेज हमारी नोटिस में आये हैं कोई ऐसा नहीं है जिसमें कार्यवाही न की गयी हो ।

पोलीटेक्निक स्कूल खोलने की योजना

*२१--श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन कल्याण विभाग द्वारा जो टेकनिकल स्कूल, बख्शी का तालाब (लखनऊ) पर तथा दो और अन्य स्थानों पर खुलने वाले हैं वे कब तक खुल जायेंगे ? क्या यह सत्य है कि उन स्कूलों के लिये मछली शहर, जौनपुर एवं पिंडरा, वाराणसी में सरकार को मुफ्त जमीन मिल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जौनपुर व वाराणसी में खोलने पर विचार करेगी ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

दो पोलीटेनिक स्कूल लखनऊ और बांदा में खोले जाने की योजना थी । लखनऊ का पाली टेक्निक जुलाई, १९६३ से चालू होने वाला था, परन्तु भारत सरकार ने बक्शी के तालाब पर पूर्व निर्धारित स्थान पर सुरक्षा की दृष्टि से भवन निर्माण वर्जित कर दिया है । नयी भूमि प्राप्त करके भवन बनाने के सम्बन्ध में प्रयास जारी है ।

जहां तक जौनपुर और वाराणसी जिले में मुफ्त जमीन मिलने का प्रश्न है, इस विषय की जांच की जा रही ।

बन्दूक का लाइसेंस देने का अधिकार

*२२—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या हाल ही में जनता की तरफ से सरकार के पास ऐसे सुझाव आये हैं कि हाकिम परगनों को पूरे उत्तर प्रदेश भर के लिये बन्दूकों के लाइसेंस देने का अधिकार दे दिया जावे ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या किया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसा कोई सुझाव शासन को प्राप्त नहीं हुआ । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बतलायेगी कि हजारों प्रार्थना-पत्र जिलों में बंदूक के लाइसेंस के लिये पड़े हुए हैं, इस बात को दृष्टि में रखते हुए वह हाकिम परगना को यह अधिकार देगी कि वह लाइसेंस दे दिया करें और जो लाइसेंस हाकिम परगना अस्वीकार कर दें उसकी सुनवाई जिला जज किया करें ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

एस० डी० एम० को अपने क्षेत्र में और जिले में जिलाधीश को लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया है और अगर उत्तर प्रदेश में जिला जज को अधिकार देने की बात स्वीकार की जाती है तो गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से अमेंडमेंट होने पर ही यह हो सकता है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार को इस बात की शिकायत मिली है कि हाकिम परगना लाइसेंस देने में पक्षपात करते हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कोई पक्षपात नहीं किया जाता है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि एक बंदूक के लाइसेंस पर तीन जगह सुरक्षा कोष के लिये धन लिया जाता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कोई सूचना ऐसी नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करवाने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष लाइसेंस रेन्यू करने के लिये जिस वक्त प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो प्रार्थी से यह आग्रह किया जाता है कि वह ५ या १० रुपये चन्दे के तौर पर मेज पर रखे तब लाइसेंस रेन्यू किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

यहां तो सिर्फ सवाल यह है कि अधिकार और विस्तृत कर दिये जायं । लाइसेंस के बारे में दिक्कत होती है तो स्पेसिफिक केस पूछ लीजिये ।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

इमर्जेन्सी पीरियड में सुरक्षा के नाम पर रुपया ले कर बन्दूक के लाइसेंस दिये गये, क्या इसकी जांच कराने की कृपा माननीय मंत्री करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कह दिया कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

मंत्री जी मानें या न मानें, परन्तु यह बात सत्य है कि जहां-जहां से भी रिपोर्ट मांगी जाती है वहां पर सुरक्षा के नाम पर जबर्दस्ती पैसा जमा कराया जाता है,अन्यथा रिपोर्ट खिलाफ दी जाती है और चूंकि कोई भी निश्चित समय रिपोर्ट वापस आने का निर्धारित नहीं है इस कारण उनको और भी छूट मिलती है । तो क्या मंत्री महोदय इस प्रकार के आदेश जारी करेंगे कि एक निश्चित समय के अन्दर रिपोर्ट जिलाधीश के पास वापस आ जाया करे ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं बुलाया गया ।)

पीलीभीत में पुलिस के विरुद्ध हड़ताल

*२३—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि पीलीभीत शहर में २६ जनवरी, सन् १९६३ को बाजारों में किसी व्यक्ति के साथ कुछ लोगों द्वारा दुर्व्यवहार करने तथा पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न करने के कारण मुकम्मल हड़ताल रही ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

२२ जनवरी, १९६३ की रात्रि को एक स्थानीय व्यापारी द्वारा ३९५ भा० दं० विधान के अन्तर्गत लिखाये गये मामले में पुलिस द्वारा की जा रही विवेचना से असंतुष्ट होकर स्थानीय दूकानदार संघ ने हड़ताल की थी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या यह सही है कि उस व्यापारी के साथ घटना करने वाले लोगों में वहां के डी०वाई० एस० पी० का लड़का और पुलिस के कुछ और अधिकारियों के रिश्तेदार भी थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

इस कारण से कि चूंकि उन घटना करने वालों में पुलिस अधिकारियों क रिश्तदार भी थे पुलिस ने सही तौर से छानबीन नहीं की जिससे असन्तुष्ट हो कर वहां के तमाम दुकानदारों ने २६ जनवरी को मुकम्मल हड़ताल की, क्या यह सही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, यह गलत है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इस मुकदमे का परिणाम क्या हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

बहुत से पुलिस अधिकारी सस्पेंड किये गये हैं ।

होम गार्ड में बटालियन कमाण्डेण्ट

*२४—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डाइरेक्टर जनरल, सिविल डिफेंस, लखनऊ के होमगार्ड में सेवा करने वाले आजाद हिन्द फौज के कितने आफिसर्स ने बटालियन कमाण्डर के पद के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं और उनमें से कितने लोगों को नियुक्त किया गया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

आजाद हिन्द फौज के ३ आफिसरों ने बटालियन कमाण्डेन्ट के पद के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे, परन्तु इनमें से एक आफिसर योग्य नहीं समझा गया और उसकी नियुक्ति नहीं हुई। दूसरे को बटालियन एडजूटेन्ट के पद पर नियुक्त किया गया, परन्तु उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, तीसरे आफिसर का प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन है।

श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार बतायेगी कि इन तीनों अधिकारियों के नाम और पते क्या हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्री रघुवीर सिंह पंवार, आगरा, श्री दामोदर सिंह, मैनपुरी और श्री रामचन्द्र सिंह।

श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार बतायेगी कि जिनके प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं, उनका नाम क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैनपुरी में एक प्रार्थना-पत्र श्री दमोदरसिंह का कमांडरी के लिये आया था, उस पर कार्यवाही की जा रही है और वह विचाराधीन है।

*२५-श्री मुमताज मुहम्मद खां---

[२१ फरवरी, १९६४ के लिये प्रश्न ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

चौकीदार के पद समाप्त करने की सिफारिश

*२६-श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या गृह मंत्री दिनांक ३१ अक्टूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २० के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा आई०जी०पुलिस की रिपोर्ट पर विचार किया जा चुका है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

उक्त रिपोर्ट अभी शासन के विचाराधीन है।

*२७-श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के कारण प्रदेश के कितने चौकीदार सेवामुक्त होंगे और उनकी रोजी की क्या व्यवस्था होगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

अभी इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी और कब तक विचाराधीन रहेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्रीमन्, जल्दी से जल्दी इस पर निश्चय किया जायगा।

*२८---कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

[हटा दिया गया।]

*२९-३०-श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)---

[५ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३१-३३-श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---

[५ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४-३६---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---

[५ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

थाना कोतवाली, फतेहपुर में जमा किये गये चोरी के जेवर में गड़बड़ी

*३७-श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के थाना कोतवाली, फतेहपुर में लगभग छः हजार रुपयों के जेवरों की चोरी की धारा ४५७ ता० हिन्द की रिपोर्ट दिनांक १४ अप्रैल, १९६२ को हुई और इंचार्ज कोतवाली ने दो थानेदारों व दो हेडकांस्टेबिलों सहित दिनांक १५ अप्रैल, १९६२ को बरामदी माल दिखा कर रोजनामचा आम में पूरा माल दर्ज किया और मौके की सर्व मोहर दिखाकर २४ मई, १९६२ तक उसे गुप्त रूप से कोतवाली में रक्खा ? यदि हां, तो १,००० रुपये से अधिक कीमत का माल कोतवाली में २४ घंटे से अधिक समय तक न रखने के नियम का उल्लंघन कर के लगभग डेढ़ माह तक कोतवाली, फतेहपुर में रखने का कारण क्या था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जी हां । दिनांक १४-४-६२ को इस प्रकार की रिपोर्ट हुई थी और दिनांक १५-४-६२ को चोरी का माल बरामद किया गया था जिसे दिनांक ३१-५-६२ को सदर मालखाने में दाखिल किया गया । कोतवाली, फतेहपुर में बरामद किये गये जेवर, पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही से देर तक रखे गये । एक हजार रुपये से अधिक का माल कोतवाली में २४ घंटे से अधिक न रखने का कोई नियम नहीं है ।

*३८-श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि छः हजार रुपये के जेवरात, सोना, चांदी कोतवाली के दैनिक मुआइने में नहीं मिले और दिनांक २४ मई, १९६२ को दाखिल करने की इजाजत अदालत से लेकर इंचार्ज, कोतवाली, फतेहपुर ने अपनी मोहर के बजाय एक हेड कांस्टेबिल की मोहर से सर्व मोहर कटा के उसे दिनांक ३१ मई, १९६२ को मालखाना सदर में दाखिल कराया तथा जे० ओ० सदर ने बंडल व मोहरों को ठीक पाकर जब बन्डल खोला तो उसमें से सोने के नकलेस, झुमकी और हार नहीं पाये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जी हां ।

*६९---श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अदालत में उक्त माल के बन्डल व मोहरों का ठीक पाने और साइन्टिफिक सेक्शन, लखनऊ में जांच से बन्डल की मोहरों को ठीक पाने पर सी० आई०डी० द्वारा मालखाना सदर के हेड कांस्टेबिल को निर्दोष पाकर फाइनल रिपोर्ट लगाने व अदालत द्वारा निर्दोष करने के बावजूद भी भूतपूर्व कप्तान पुलिस, फतेहपुर ने केवल हेड कांस्टेबिल मालखाना सदर को सितम्बर, १९६२ में मुअत्तिल क्यों किया और क्या अब १३ माह से मुअत्तिल उस निर्दोष हेड कांस्टेबिल तथा उक्त माल बरामद करने वाले कोतवाली के इन्चार्ज आदि के विरुद्ध धारा ७ पुलिस ऐक्ट की कार्यवाही शुरू हुई है ? यदि हां, तो सभी को मुअत्तिल कर के कार्यवाही क्यों नहीं हुई और एक ही मामले की तीन पुलिस अधिकारियों द्वारा धारा ७ की कार्यवाही करने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

चूंकि मालखाना सदर के हेड कांस्टेबिल द्वारा मालखाने के रजिस्टरों में गलत इन्दराज करना पाया गया था, अतः उन्हें निलम्बित किया गया। इस मामले से सम्बन्धित दो अन्य पुलिस कर्मचारियों को इस कारण निलम्बित नहीं किया गया, क्योंकि इनकी लापरवाही उस सीमा तक नहीं पाई गई कि उन्हें निलम्बित किया जाय। अदालत द्वारा बंडल खोले जाने पर सोने के नेकलेस, गुलूबन्द व बुर्दे गायब पाये जाने के फलस्वरूप धारा ४०९/२०१ भा० द० विधान का मुकदमा कायम हुआ था जिसकी जांच सी० आई० डी० के अधिकारी ने भी की, परन्तु विवेचना से यह सिद्ध नहीं हो सका कि आभूषणों को किसी पुलिस कर्मचारी विशेष ने हटाया। अतः मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, परन्तु विवेचना अधिकारी की रिपोर्ट पर कि अपराध तीनों पुलिस कर्मचारियों की असावधानी के कारण हुआ, इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई। तीनों कर्मचारियों पर आरोप भिन्न प्रकार होने तथा विभागीय कार्यवाही शीघ्रता-पूर्वक समाप्त करने के उद्देश्य से तीन अधिकारियों द्वारा विभागीय कार्यवाही का विधान किया गया।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब १५-४-६२ को माल बरामद हुआ और उसी रोज रिपोर्ट रोजनामचे में दर्ज हुई, माल की शिनाख्त की कार्यवाही के लिये रिपोर्ट भेजी गई और मुलजिम को जेल भेजा गया तो फिर १५-४-६२ से ३०-५-६२ तक माल को कोतवाली में रखने की जिम्मेदारी किन-किन अधिकारियों की है और इसका क्या कारण है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जो विभाग से जवाब आया है, उससे मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं और फिर से कार्यवाही कर रहा हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि माल थाने में कई दिन तक इसलिये रखा गया जिससे मुकदमे से सम्बन्धित गवाहों को दिखाया जा सके और इसी में गायब कर दिया गया?

श्री हरगोविन्दसिंह—

चूंकि जैसा मैंने कहा फिर से इसमें जांच करवा रहे हैं, मेरा शक यह है कि यह पुलिस थाने में ही गायब हुआ है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस हेड कांस्टेबिल मालखाना ने रजिस्टरों में गलत इन्दराज किये और वह विभिन्न आरोप क्या थे और उन विभिन्न आरोपों की जांच का आदेश किस अधिकारी ने दिया और किन अधिकारी को दिया और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह जितने प्रश्न हैं जांच के बाद ही इनका जवाब दे सकता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी जिस प्रकार का आश्वासन दे रहे हैं, मेरी इस बिनती को भी खयाल में रखेंगे कि जो तलवार साहब डी० वाई, एस० पी० हैं, उनके बारे में तरह तरह की बातें फतेहपुर में हैं, उनके अलावा किसी और अधिकारी से जांच करवाएंगे, क्योंकि उनके बारे में अच्छी राय नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिससे उचित समझूंगा उससे जांच करवाऊंगा। कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री कमलासिंह यादव—

यह सवाल स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

जांच करवा रहे हैं उसके बाद फिर सवाल हो जायगा।

श्री रक्षपालसिंह—

मंत्री जी ने जैसा हाउस में कहा उनका ऐसा अन्दाज है कि सामान थाने से गया है परन्तु जो मालखाने का मुहर्रिर सस्पेंडेड है, इतनी बात हो जाने के बाद, उसका सस्पेंशन समाप्त करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

उनका जवाब समझ लीजिये। वह सदन में आश्वासन नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय रघुवीरसहाय या माननीय दीपनारायण या आप अगर उनको तथ्यों से अवगत करवा देंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी अधिकारी से करवाएं। लेकिन बगैर तथ्यों की जांच करवाये यह कह देना कि नहीं करवायेंगे यह गलत है।

*४०—श्री गणशचन्द्र काछी—

[५ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

भ्रष्टाचार विरोधी समिति, आजमगढ़

*४१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला भ्रष्टाचार विरोधी समिति, आजमगढ़ द्वारा दिनांक २७ अप्रैल, १९६३ की बैठक में पारित प्रस्ताव सरकार के पास आया है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उक्त बैठक में समिति द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। अध्यक्ष पद के लिये दो नाम प्रस्तावित किये गये। बाद में समिति की ६ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में सर्व सम्मति से अध्यक्ष का चुनाव हो गया जिसको सरकार ने स्वीकार कर लिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २७ अप्रैल, १९६३ की बैठक की कार्यवाही क्या है और उसमें कितने नाम रखे गये थे अध्यक्ष पद के लिये?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप की इजाजत हो तो पूरी कार्यवाही पढ़ दूं या जितना आप कहें उतना ही।

श्री अध्यक्ष—

ज्यादा लम्बी हो तो न पढ़िए।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसमें दो नाम रखे गये थे—श्री रामप्यारे उपाध्याय और दूसरा नाम था श्री मुक्तिनाथ राय का।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन दो नामों में से जिसको ज्यादा मत मिले थे उसको अध्यक्ष पद के लिए स्वीकार न करने का क्या कारण था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमारा नियम यह है कि जो नाम सर्वसम्मति से आता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। नहीं तो नहीं स्वीकार करते हैं। क्योंकि दो नाम आये यह स्वीकार नहीं हुए। फिर कहा कि दूसरा नाम बताइये। दूसरा नाम सर्वसम्मति से आ गया। उसको स्वीकार कर लिया। साधारण सी बात है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या यह नियम नहीं है कि उनके यहां अगर नाम किसी का सर्वसम्मति से नहीं आता तो जिसको ज्यादा मत मिला हो, उन्हें स्वीकार न किया जाय, अगर यह नहीं है, अगर हमारी तरफ के बैठने वाले सदस्य हैं और यह मानी हुई बात है कि उधर के लोग इधर के सदस्यों को वह पद देते नहीं हैं, श्री रामप्यारे उपाध्याय सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता और एक अच्छे वकील वहां के हैं। उनका नाम उस स्थान के लिए उन सभी लोगों ने प्रस्तावित किया था और वोटिंग में उनको ज्यादा मत मिले थे, कांग्रेसी उम्मीदवार को कम वोट मिले थे, दोनों आदमियों का नाम यहां आया और यह तय हुआ कि सरकार दोनों में से एक व्यक्ति को स्वीकार करे। सरकार ने दोनों को अस्वीकार किया और मजबूर हो कर और यह सोच कर कि जब तक एक नाम नहीं जायगा तब तक स्वीकार नहीं किया जायगा, वहां से एक दूसरा नाम भेजना पड़ा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस तरह का नियम बनायेंगे कि अध्यक्ष पद के लिये बहुमत से जो नाम आये उसे स्वीकार किया जाय ?

श्री शन्तिप्रपन्न शर्मा—

नियम अगर आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं....

श्री अध्यक्ष—

आप पहले उनका प्रश्न तो सुन लीजिये। वह कहते हैं कि आपने यह नियम बना रखा है कि अगर सर्वसम्मति से नाम आ जाय तो उस को आप स्वीकार करते हैं, अगर सर्वसम्मति से नहीं आता है तो वापस कर देते हैं रीकंसिडरेशन के लिए। वह चाहते हैं कि आप ऐसा नियम बना दें कि जिसका नाम बहुमत से आये उसको आप मुकर्रर कर दें, वापस न करें सर्वसम्मति से आने के लिए, ऐसा नियम बनाने को आप तैयार हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि सर्वसम्मति से नाम आये यह हमेशा अच्छा रहता है।

खीरी जिले में बन्दूक के लाइसेंस

*४२—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित) तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खीरी जिले में थाना पसिगवां में १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में किन-किन आदमियों को बन्दूक के लाइसेन्स दिये गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मांगी गई सूचना संलग्न तालिका† में दी हुई है ?

---

†छापी नहीं गई।

*४३—श्री बसन्तसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री मन्ना लाल (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि इन दिनों जिन श्री भाई लाल, ग्राम मक्सूदपुर को लाइसेन्स दिया गया है उसका सगा भाई डकैती के अपराध में ४ बार जेल काट चुका है ? यदि हां, तो सरकार यह बतायेगी कि ऐसे अपराध तथा क्रिमिनल परिवार वाले को लाइसेन्स क्यों दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री भाई लाल के भाइयों में से एक भाई श्री डालचन्द को सन् १९४२ में धारा ३९२ भा० दं० वि० में तथा सन् १९५१ में धारा ३९५ भा० दं० वि० में सजा हुई थी, परन्तु श्री भाई लाल जो कि हैसियतदार व्यक्ति हैं और ग्राम की कोआपरेटिव सोसाइटी के खजांची हैं, अपने भाइयों से सदैव अलग रहते आ रहे हैं। उनका चाल-चलन अच्छा होने से उनको लाइसेन्स दिया गया।

मुरादाबाद जिले में कथित राहजनी

*४४—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में धनौरा और चुचैला स्थान के बीच में नवम्बर, १९६२ में १ दिन में ही ५ घन्टे के अन्दर राहजनी की कितनी घटनाएं लुटेरों द्वारा की गयीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

नवम्बर, १९६२ में राहजनी की कोई घटना उक्त स्थानों के बीच नहीं हुई।

*४५—श्री श्रीराम—

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन वारदातों में कितने रुपये नगद और कितने रुपयों का माल लूटेरों द्वारा लूटा गया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

प्रश्न नहीं उठता।

*४६—श्री श्रीराम—

क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि वह लूटेरे अभी तक पकड़े गये या नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीराम—

गृह मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर कि चुचैला और धनौरा के बीच में ५ घंटे में ५ राजहजनी की घटनायें हुईं, एक शरणार्थी को लट्ठ मारकर सर फोड़ दिया गया और उसके कपड़े लूट लिये गये, एक टूटी हुई पिस्तौल दिखा कर सारा सामान लूटा गया और उसके बाद वह सामान पकड़ा गया, कपड़ा लाया गया, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी और कपड़ा भी उसने खपा लिया तथा बदमाशों को नहीं पकड़ा, तो क्या गृह मंत्री जी खुफिया पुलिस द्वारा इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

७५० रुपये का कपड़ा मिला था, तीन अभियुक्त उसमें गिरफ्तार हुए थे जिनका चालान न्यायालय में कर दिया गया है और मामले पर अदालत द्वारा विचार हो रहा है।

श्री श्रीराम—

प्रश्न के उत्तर में मेरे पास लिखकर यह आया है कि कोई घटना नहीं हुई तो यह रिपोर्ट अब बाद में जो बतलायी यह कहां से आयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, समय का सवाल है। मैंने जवाब दिया कि नवम्बर, १९६२ में कोई घटना नहीं हुई। कपड़े की घटना नवम्बर, १९६३ में हुई थी।

आगरे में लोहामण्डी थानान्तर्गत कालीचरन की गिरफ्तारी

*४७—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा, लोहामण्डी, थाने की पुलिस ने २० सितम्बर, १९६३ को एक व्यक्ति कालीचरन को गिरफ्तार किया और मारपीट की तथा रात भर हवालात में रख कर दूसरे दिन अदालत में पेश किया, जब कि इससे पूर्व सिटी मैजिस्ट्रेट ने उक्त अभियुक्त से केवल ५० रुपया जुर्माना करने के लिये अथवा वसूली न होने पर उसकी जंगम सम्पति कुर्क कर बेचने की आज्ञा दी थी और गिरफ्तार कर हवालात में रखने की कोई आज्ञा नहीं थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह सही है कि लोहामंडी थाने के अन्तर्गत शाहगंज चौकी की पुलिस ने दिनांक २०-९-६३ को कालीचरन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रात भर हवालात में रखा तथा दूसरे दिन अदालत में पेश किया परन्तु यह गलत है कि उक्त व्यक्ति को पुलिस द्वारा मारा पीटा गया। यह भी सही है कि इससे पूर्व सिटी मैजिस्ट्रेट ने उक्त व्यक्ति से केवल ५०) पेनाल्टी वसूल करने के लिये वारन्ट जारी किया था जिसमें गिरफ्तार कर हवालात में रखने का कोई निर्देश नहीं था।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सिटी मैजिस्ट्रेट का आदेश उसको गिरफ्तार करने का नहीं था तो जिस एस० ओ० ने उसको गिरफ्तार किया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह मामला विचाराधीन है।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २०-९-६३ को एस० ओ० लोहामंडी ने स्वयं कलीचरन को गिरफ्तार किया और जनता के समक्ष बुरी तरह से पीटा और इस आशय का तार उनके पिता बासुदेव ने माननीय गृह मंत्री जी के पास दिया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हमारे पास बहुत से तार रोज आया करते हैं। अगर आपने पहले बतलाया होता तो उसकी सूचना कर लेते।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि आखिर जब उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का कोई वारन्ट नहीं था तो उन्होंने इस व्यक्ति को पकड़ा ही क्यों। इसका क्या उत्तर है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उनका पकड़ा जाना मुनासिब नहीं समझा गया। इसके लिये उनको मिस कंडेक्ट में एन्ट्री दे दी गई और उनको माकूल सजा दे दी गई।

श्री लखीसिंह—

मन्त्री जी ने उत्तर में कहा कि ऐसे बहुत से तार उनके पास आया करते हैं तो क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे जरूरी तार को आप देख भी लेते हैं या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

बांदा जिले में कत्ल

*४८—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में सन् १९६३ में कितने कत्ल हुये, उनमें से कितने मामलों का चालान हुआ कितने मामलों में सजा हुई और कितने छूटे और इनमें से कितने मामले डाक्टरी रिपोर्ट पर छूटे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जिला बांदा में १९६३ में कुल ५८ कत्ल की रिपोर्टें दर्ज हुईं जिनमें से ३५ मामलों में चालान हुआ, ४ में सजा हुई व १५ रिहा हुए। कोई भी मामला केवल डाक्टरी रिपोर्ट पर नहीं छूटा।

श्री मतोलासिंह—

क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ५८ में ४ को सजा हुई इसका क्या कारण है और बाकी छूट गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

३५ के चालान हुये और १५ एक्विट हो गये।

हमीरपुर, बांदा, जालौन, झांसी जिलों में अपराध

*४९—श्री मतोलासिंह—

क्या गृह मंत्री हमीरपुर, जालौन, झांसी जिलों के कत्ल, डकैती के आंकड़े सन् १९६३ ई० के बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९७८ पर।)

*५०—श्री मतोलासिंह—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या बांदा जिले के मानिकपुर व रैपुरा तथा कर्वी थाना के मध्य कोई बेटा नाम का जो प्रसिद्ध गुन्डा है उसका चालान सन् १९६३ ई० में दफा ११० में किया गया था और उस की सफाई में गवाही वहां के जिला परिषद् के अध्यक्ष तथा कर्वी क्षेत्र के एम० एल० ए० ने दी थी ? यदि हां, तो उक्त गुन्डे का क्या हुआ ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

बांदा जिले के मानिकपुर, रैपुरा तथा कर्वी थाना के मध्य राम निवाज उर्फ बेटा नामक व्यक्ति का चालान १९६३ में धारा ११० के अन्तर्गत हुआ था जिसमें अध्यक्ष जिला परिषद् तथा कर्वी क्षेत्र के एम० एल० ए० सफाई पक्ष की ओर से गवाही में आये थे। उक्त व्यक्ति न्यायालय से बरी किया गया।

श्री मतोलासिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बेटा नाम का मशहूर डकैत जिसकी सफाई में अध्यक्ष और एम० एल० ए० गये थे, उन्होंने क्या सफाई दी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उनका बयान मेरे सामने नहीं है।

श्री मतोलासिंह—

बयान सामने न होने का क्या कारण है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस अभियुक्त की सफाई देने जिला परिषद् के अध्यक्ष और एम० एल० ए० साहब गये थे क्या उस अभियुक्त का पहले भी चालान हुआ था?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

सबूत पक्ष की ओर से कितने गवाह उस डकैत के खिलाफ हुये थे।

श्री अध्यक्ष—

अगर सूचना हो तो बतला दें।

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी सूचना नहीं है।

बाराबंकी जिले में लाइसेंसों के लिए प्रार्थना-पत्र

*५१—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर के लाइसेंस की सैकड़ों दरख्वास्तें ऐसी हैं जो सालों से तहसीलों में पड़ी हुई हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

बाराबंकी जिले में बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर के लाइसेन्स के लिये कोई भी प्रार्थना-पत्र १ जनवरी, १९६४ के पूर्व के तहसीलों में नहीं पड़े हैं। इस जिले में इस समय केवल १३ प्रार्थना-पत्र पिस्तौल, रिवाल्वर के लाइसेंस के लिये तहसीलों में हैं जो सब के सब सन् १९६४ में दिये गये थे।

नोट :—तारांकित प्रश्न ५० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

विधान सभा

*५२—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जिला बाराबंकी में ऐसे लोगों को भी लाइसेंस दिये गये हैं जिनका नाम पुलिस रिकार्ड में हिस्टरी शीटर के खाने में दर्ज है? यदि हां, तो जिले की अपराध स्थिति को देखते हुए ऐसे लोगों के लाइसेन्स सस्पेंड किये जायेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह—

बाराबंकी जिले में एक ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया है जिनका नाम पुलिस रिकार्ड में हिस्ट्रीशीटर के वर्ग 'ख' में दर्ज है। जिले की अपराध स्थिति पर उक्त लाइसेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

देवरिया जिले में चीनी मिलों पर बकाया

*५३—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या सरकार देवरिया जिले के हर एक मिल में गन्ने का रुपया जो किसानों का बाकी है तथा यूनियनों के कमीशन का बाकी है उसको दिलाने का कष्ट करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

देवरिया जिले की प्रत्येक चीनी मिल पर १९६३-६४ सीजन से पूर्व सीजनों का गन्ने का मूल्य तथा कमीशन की मद के अन्तर्गत जो रुपया दिसम्बर ३१, १९६३ तक बकाया था और जिसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है उसको दिलाने के लिये सरकार प्रयत्नशील है और इस बकाया रकम के शीघ्र वसूल हो जाने की आशा की जाती है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९७९ पर)

*५४—श्री कैलाश—

[४थे मंगलवार के लिये प्रश्न ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५५-५६—श्री बंशीलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[५ मार्च, १९६४ के किए स्थगित किये गये।]

*५७-५९—श्री बालोजी अग्रवाल—

[५ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

लखनऊ में हवालाती सुरेन्द्र की मृत्यु

*६०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या अमीनाबाद, लखनऊ के होटल से दिल्ली सी० आई० डी० पुलिस द्वारा १९६३ के जुलाई से सितम्बर के बीच में जिस सुरेन्द्र नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर केसरबाग कोतवाली की हवालात में बन्द किया गया और जिसकी बाद में मृत्यु हो गयी उसकी छानबीन की क्या व्यवस्था की गयी तथा क्या सरकार सम्बन्धित डाक्टरी मुआइना की रिपोर्ट से जानकारी कराने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह की मृत्यु के बाद शीघ्र ही घटना की जांच एक मैजिस्ट्रेट द्वारा कराई गई। मैजिस्ट्रेट ने मृत्यु का कारण पेटी द्वारा गले में फंदा लगा कर आत्म हत्या करना पाया। डाक्टरी मुआइने की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९८०-९८२ पर)

*६१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त घटना का कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मृत्यु आत्म हत्या के फलस्वरूप हुई। अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*६२—श्री होरीलाल यादव—

[२५ फरवरी, १९६४ के लिये प्रश्न ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१—२—श्री मुरलीधर कुरील—

[५ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[५ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

४—५—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[५ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

६—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[हटा दिया गया।]

राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली

७—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों की आचरण नियमावली (आचार संहिता) विधान सभा में प्रस्तुत करके स्वीकृति ली है ? यदि नहीं, तो इसका कारण स्पष्ट करें और यह भी स्पष्ट करें कि ऐसा कब किया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

राज्य सरकार के कर्मचारियों की आचरण नियमावली, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३०९ के उपबन्ध के अन्तर्गत बनाई गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार विधान सभा की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है।

८—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

आज की स्थिति में जब कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्टों द्वारा सरकारी कर्मचारियों की आचार संहिता के नियम लगातार गैर कानूनी हो रहे हैं क्या सरकार उनमें आमूल परिवर्तन करने की दिशा में कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रीमती सुचेताकृपालानी—

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, १९५६ के किसी भी नियम को सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट ने गैर कानूनी नहीं घोषित किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

रांगा का कोटा

९—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मन्त्री यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो रांगा, सन् १९६२–६३ के कोटे का लगभग १ साल से स्टाक में पड़ा है, वह अभी तक एलाट नहीं किया गया, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह कहना ठीक नहीं है कि रांगे का स्टाक एक साल से पड़ा हुआ है। यह स्टाक उत्तर प्रदेश लघु उद्योग कारपोरेशन में माह जुलाई से अक्तूबर, सन् १९६३ के बीच कई किस्तों में आया था। यह माल लगभग पूरा पूरा एलाट किया जा चुका है। माल के देर से एलाट होने का कारण यह है कि इस विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उनकी जांच पूरी होने के पश्चात् ही एलाटमेंट कर दिया गया।

१०—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि सन् १९६३–६४ में कुल कितना रांगा मिला है और किन-किन लोगों को एक टन से ज्यादा एलाट हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अप्रैल–सितम्बर, १९६३ (प्रथम छमाही सन् १९६३–६४) के लिए केवल ३०·८ टन रांगा केन्द्रीय सरकार से इस प्रदेश को एलाट हुआ है परन्तु माल अभी नहीं आया। इसके निमित्त आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

बांदा जिले में वन्य उपज, खनिज पदार्थ तथा बुनकरों को सहायता

११—श्री मतोलासिंह—

क्या उद्योग मन्त्री को मालूम है कि जिला बांदा में सफेद (खरिया) व रंगीन मिट्टी, कांच की बालू व दियासलाई की सीकें बनाने की साल व गुरजा तथा सेमर की लकड़ी पायी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित उद्योग धंधे खोलकर बांदा जिले के पाठा क्षेत्र के आदिवासी कोलों को कार्य पर लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, जिला बांदा में सफेद (खरिया), रंगीन मिट्टी, कांच की बालू और साल व गुरजा तथा सेमर लकड़ी पाई जाती है। परन्तु निम्नलिखित कारणों से ये वस्तुयें सम्बन्धित उद्योगों को खोलने के लिये उपयुक्त नहीं है :

१—सफेद खरिया—यह पदार्थ बहुत ही न्यून मात्रा में उपलब्ध है और पात्र-कला का कारखाना खोलने के लिये काफी नहीं है।

२—रंगीन मिट्टी—यह पदार्थ पात्र-कला उद्योग के उपयुक्त नहीं है। इसका प्रयोग केवल पुताई के कार्य में ही किया जा सकता है।

३—कांच की बालू (सिलिका सैण्ड)—इस पदार्थ की किस्म घटिया होने तथा इसमें अधिक प्रतिशत में लोह (Iron) उपस्थित होने के कारण यह अच्छी किस्म का कांच बनाने के अनुपयुक्त है।

४—दियासलाई की सीकें बनाने की लकड़ी—इस जनपद में सेमल की लकड़ी जो इस उद्योग में मुख्यरूप से प्रयोग की जाती है, के वृक्ष इक्का-दुक्का जहां-तहां उपलब्ध है और साल लकड़ी के वृक्ष भी नहीं के बराबर हैं तथा गुरजा की लकड़ी उक्त प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त है।

१२—श्री मतोलासिंह—

क्या उद्योग मंत्री को यह भी जानकारी है कि बांदा जिले में प्रायः गांवों में अधिक संख्या में बुनकर (कोरी जाति) पाये जाते हैं? यदि हां, तो उनके वास्ते भी सरकार कोई कदम करघा संघ खोल कर उद्योग-धंधे चलाने का विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) जी हां।

(ख) बांदा जिले की बुनकर सहकारी समितियों को हथकरघा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता पहले से ही प्रदान की जा रही है।

१३-१४—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[हटा दिये गये।]

देवरिया जिले में उद्योग सहायता

१५—श्री कैलाश —

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया में सन् १९५९ से लेकर ३१ अक्तूबर, १९६३ तक कितने व्यक्तियों को लघु उद्योग विभाग से रुपया दिया गया और उनमें से कितनों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी तथा क्यों? उक्त जिले में उक्त समय में कितने व्यक्तियों को देवरिया शहर में उक्त रुपया दिया गया और कितने व्यक्ति को देहाती क्षेत्र में दिया गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत देवरिया जिले में १ जनवरी, १९५९ से लेकर ३१ अक्तूबर, १९६३ तक २०३ व्यक्तियों को ऋण तथा ९ व्यक्तियों को अनुदान वितरित किया गया।

उपरोक्त २०३ व्यक्तियों में से ७४ व्यक्तियों के विरुद्ध धन के दुरुपयोग के कारण तथा ४ के धन को अनुपयोग के कारण तथा १ के ठीक समय पर अदायगी न होन के कारण सम्पूर्ण धन की एक मुश्त वसूली की नियमानुसार कार्य वाही की गई।

उपरोक्त जिले में उक्त समय में ८५ व्यक्तियों को ऋण तथा १ को अनुदान शहरी क्षेत्र में, और ११८ व्यक्तियों को ऋण तथा ८ को अनुदान देहाती क्षेत्र में, वितरित किया गया।

१६—श्री कैलाश—

जिला देवरिया में कितने स्वर्णकारों को लघु उद्योग विभाग के अनुदान दिये गये हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला देवरिया में स्वर्ण-नियंत्रण आदेश के लागू होने के पश्चात् से अब तक किसी स्वर्णकार को ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत कोई अनुदान नहीं दिया गया।

लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ द्वारा दारुलशफा में सप्लाई किये गए दूध की शिकायत

*श्री विश्वनाथ पांडेय "प्रणव" (जिला मिर्जापुर)—

यह पंचवर्षीय योजना की पुस्तिका हमारे सामने रखी है अध्यक्ष महोदय और इसमें लखनऊ दुग्ध योजना के बारे में लिखा है कि १९६४–६५ में ६ लाख का प्राविधान किया गया है। तो यह सरकार इस योजना के लिये ६ लाख रुपये का प्राविधान कर सकती है, लेकिन हम पूरे प्रान्त के प्रतिनिधियों को यह दूध जो दिया जाता है इसमें सड़ांध है, इसमें खटास है और इसमें बदबू है। (दूध की शीशी दिखाते हुये) यह बिलकुल रद्दी दूध है जो हम लोगों को दिया जाता है और बाजार से ड्योढ़े दाम में दिया जाता है। यह दारुलशफा के 'ए' और 'बी' ब्लाक में सप्लाई होता है। आप इसका लिट्रेचर पढ़िये और कहिये कि सरकार इसकी व्यवस्था ठीक करे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय विश्वनाथ जी, आप की शिकायत ठीक है और दारुलशफा में या कहीं भी जहां हमारे इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य रहते हों सब जगह उनकी सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये। यह हर एक का कर्त्तव्य है और सरकार का भी।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

जनसाधारण के लिये क्या दूध बदबूदार जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहूंगा कि कोआपरेटिव मंत्री को सूचना दे दी जाय, उस पर विचार होगा।

मुख्य मन्त्री के कथित असत्य कथन पर अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार अवहेलना के दो प्रश्न हमारे सामने हैं। एक माननीय गयाप्रसाद जी का है। वह मैंने कल पढ़ कर सुना दिया था। उनका यह कहना है कि माननीय परिवहन मंत्री की सास के बस की परमिट के सम्बन्ध में जो सूचना दी है वह गलत दी है। माननीया मुख्य मंत्री ने मुझसे बताया है कि जो उन्हें सूचना थी उसीके अनुरूप मैंने बयान दिया, अपनी तरफ से कोई बढ़ा–घटा कर नहीं कहा है। इस वजह से प्रश्न विशेषाधिकार का नहीं उठता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीया मंत्री को अफसरान ने गलत सूचना दी है। मुजफ्फर साहब की सास को एक लाइन मिल चुकी थी। यह १९६३ में उनको डबिल लाइन दी गयी है। मैं माननीया मुख्य मंत्री को चैलेंज करता हूं कि यह सूचना गलत है और मैं परिवहन मंत्री के खिलाफ दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन ने स्वयं कहा कि जो सूचना माननीय मुख्य मंत्री को दी गयी वह गलत है इसका मतलब यह हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो बयान दिया है वह सूचना को सत्य समझ कर दिया है। जो सूचना उनको मिली उसके अनुरूप दिया है। प्रश्न जो विशेषाधिकार का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है उसमें कहा गया है कि उन्होंने जान–बूझ कर एक असत्य बात को यहां बताया। "जान बूझ कर असत्य" का मतलब होता है कि कोई बात किसी की जानकारी में आये और उसके सम्बन्धमें सही बात जानते हुए, उसके विरुद्ध यहां बयान दिया जावे।

श्री उग्रसेन––

मुख्य मंत्री को सारी पोल मालूम है, म जानता हूं, यह जान–बूझकर उन्होंने किया है, मुजफ्फर हसन को बचाने के लिए किया है, वरना उनको मुअत्तल कर देना चाहिये। ऐसे ऐसे भ्रष्ट मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष––

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है वह माननीय गयाप्रसाद ने उठाया है, उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की है। आप उनके बदले कैसे उठा सकते हैं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)––

यह प्रश्न हमारे राजा यादवेन्द्रदत्त जी ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उठाया था। सामने परिवहन मंत्री बैठे हैं, अगर गलत बात है तो सामने आकर कहें। क्या कार्यवाही की गयी उनके खिलाफ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

आप जब बोलते हैं तो मेरी व्यवस्था को तो सुनिये, आप लोग बैठ जाइये.... (व्यवधान)

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)––

आप मेरी बात सुन लीजिये.....

श्री अध्यक्ष––

अभी नहीं, आप कृपया बैठिये, कल्पनार्थसिंह जी।

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)––

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसकी इजाजत न देने से वाकयात क्या हैं, उस पर रिफ्लेक्शन पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि अगर कोई चीज ऐसी है तो वह बतलाई जाय, सही बात जो हो वह सदन को मालूम होना चाहिये। (व्यवधान) इसको नामंजूर करने से इसका इम्प्रेशन यह होगा कि कोई ऐसी कमी है कि जिसको सामने नहीं लाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

आप लोग बैठ जाइये, बात तो सुनिये....

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)––

इनकी बेईमानी है, मैं यह कहता हूं।

श्री अध्यक्ष––

आप यह शब्द वापस लें, मैनेजरसिंह जी ..... (व्यवधान)

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)––

एसी बात कहने का सब अधिकार है।

श्री जे०पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय मैनेजरसिंह जी ने जो शब्द कहे हैं आप उनको आदेश दे कि वे वापस लें ।

(अत्यन्त शोर)

श्री अध्यक्ष—

यह सदन आधे घंटे के लिये स्थगित किया जाता है ।

(इस समय ११ बजकर ४२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

*श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि माननीय परिवहन मंत्री ने अभी जो चाहा था कि इसकी सफाई हो जाय, तो मैं चाहता हूं कि इसकी सफाई वह स्वयं कर दें । जिन लोगों का यह भी खयाल होगा कि माननीया मुख्य मंत्री जी की कैबीनेट बदनाम हो रही है उनकी आशाओं पर भी तुषारापात होगा । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप परिवहन मंत्री जी को सफाई का अवसर देने की कृपा करें । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि जिस रूट पर यह परमिट दिया गया है उस रूट पर अमरशहीद गनेश शंकर विद्यार्थी की लड़की, श्रीमती बिमला श्रीवास्तव ने, जो विधवा हैं, अनेक आवेदनपत्र इस सरकार को दिये । वह भी एक राजनैतिक पीड़ित हैं और उनके पिता की कुर्बानी इस माननीय सदन के किसी सदस्य से छिपी नहीं है । उनको उस रूट पर परमिट न देकर, दिया गया किसको ? ज़रा इसकी सफाई हो जाय ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि श्रीमती ए० पी० त्रिपाठी, जो बरेली रिजियन म हैं, उस इलाहाबाद के आर०टी० ओ० ने अपने रिश्तेदार के नाम से बरेली रिजियन में .....

श्री अध्यक्ष—

यह बाद में कहियेगा ।

मेरा प्रयत्न बराबर यह रहता है कि माननीय सदस्यों को सुनूं और यह भी प्रयत्न रहता है कि व्यवस्थापूर्वक प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अवसर मिले । मुझे मालूम है, और मैं इस बात को जानता हूं, कि कभी-कभी हमारी भावनायें उत्तेजित हो जाती हैं लेकिन इस सदन का गौरव और आदरणीय सदस्यों की भी गरिमा इसी पर है कि हम यथाशक्ति अपने आपको नियंत्रित रखें । जब इतना कोलाहल-सा मच रहा था, मैं चाहता था कि मुख्य मंत्री जी अपनी जबान से कह दें जो कुछ कहना हो और आप सुन लें । तदुपरान्त प्रश्न हमारे सामने आवेगा कि हम क्या कार्यवाही करें । यद्यपि यह सही है कि हमारा नियम है कि यदि किसी विशेष सदस्य के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय तो मैं उस सदस्य से पूछकर और अपने विवेकानुसार उस पर आदेश अपने कमरे में भी दे सकता हूं, किन्तु यहां पर चुनौती माननीय उग्रसेन जी ने दी कि माननीया मुख्य मंत्री ने जानकर यह गलत बयानी की है । इस वजह से मैं सोच रहा था कि मुख्य मंत्री से मैं कहूं कि जो कुछ उन्हें कहना हो कह दें । पूर्व इसके कि आप कोई बात उठावें, मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य दे दें । तदुपरान्त उस सम्बन्ध में क्या करना है, यह हम समझ सकें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप का ध्यान इस तरफ लाया गया है कि किसी सदस्य ने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है जो नहीं करना चाहिये था, और उस पर आपने आधे घंटे के लिये सदन भी स्थगित किया। वह प्रश्न पहले तय होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुकन्दीलाल जी, जो प्रश्न आपने उठाया है वह मेरे ध्यान में है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

आपने मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिये कहा है। हो सकता है कि हम लोगों की जानकारी उसके विपरीत हो। इसलिये इस मामले को लोगों के दिलों से निकालने के लिये आवश्यक है कि सप्लीमेंटरी करने का अधिकार हाउस के सदस्यों को रहे।

श्री अध्यक्ष--

पहले वह अपना बयान दे दें। उसके बाद, अगर कोई जैसा नियम होगा उसके अनुरूप हम काम करेंगे। हम नियमों से बंधे हुये हैं।

*श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा वह अपने स्थान पर ठीक है। परन्तु यह एक ऐसा विषय है जिसके कारण बहुत लोगों के मनों में और मस्तिष्क में एक ऐजीटेशन-सा है और यह एक भावनात्मक विषय भी है। यदि आप यह समझे कि नियम इस पर क्वैश्चन करने का अधिकार नहीं देते हैं तो आप उन्हें निलम्बित करके सदस्यों को प्रश्न करने का अवसर देने की कृपा करें जिससे मामला साफ हो जाय। मैं पहले भी यह कहना चाहता था। इससे माननीय मंत्रीजी को भी अवसर मिल जायगा सफाई देने का।

*श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख इस बात का है कि मैंने एक ऐसे राज का उद्घाटन किया इस सदन में जिसके लिये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मैं अक्षरशः सही हूं। मैं यह साबित कर दूंगा, जहां कहीं भी मुझे अवसर मिलेगा चाहे कोर्ट में या यहां या आपके सम्मुख, कि मुजफ्फर हसन साहेब ने परिवहन विभाग में राज्य सरकार की आमदनी कम से कम ८, १० लाख की प्रति वर्ष रोक दी है और उसे नाजायज ढंग से अपने लोगों में बाट दिये हैं। इस राज का उद्घाटन मैंने किया। यह मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट है। उसकी जितनी धारायें हैं उनको वाराणसी-जबलपुर.....

श्री अध्यक्ष--

एक बात सुन लीजिये।

पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी कह दें, तब आप कहियेगा।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने विशेषाधिकार के प्रश्न को मुख्य मंत्री को या परिवहन मंत्री को सुनने के बाद अस्वीकार कर दिया। आप स्पष्ट व्यवस्था दें कि क्या आप उस विषय को फिर से रिओपिन कर सकते हैं। आप इस सदन का समय लेना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

चाहते हैं। नम्बर १। दूसरी बात यह है कि क्या, श्रीमन्, आप इसके बारे में मुख्य मंत्री को सुनने के बाद हम लोगों को या माननीय गयाप्रसादजी को स्पष्टतया कोई समय देंगे कि उनके पास जो रैकार्डस् या डाक्यूमैंट्स हैं वह उन्हें आदरणीय सदन के सम्मुख पेश करके उसकी असलियत के बारे में सदन के सम्मुख ज्ञान करा सकें? इन दो बातों के बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मुझे बड़ा खेद है कि अगर यह चर्चा शान्ति से होती तो मेरे पास जो इन्फारमेशन थी उसको मैं देती। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं कोई चीज छिपाती या गलत बयानी करती। जो भाषण मैंने उस दिन दिया था उसमें मैंने यह कहा था कि एक मिनिस्टर के ऊपर आक्रमण हुआ। मैंने डिपार्टमेंट से पूछा, जांच में पता चला कि हुरमिजी बेगम के पास परमिट जरूर है रोड में गाड़ी चलाने का, मगर आज नहीं दिया। यह पुराना है एक हमारे पुराने राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता थे अली अहमद सिद्दीकी जिनको मांडले कान्सिपिरेसी केस में अन्डमन्स में यावत् जीवन द्वीपान्तर हुआ था। जब से छूट कर आये तो उनकी बुरी हालत थी। उनको परमिट दिया गया। एक उनकी विधवा भावज थी जो उनकी सपोर्ट में रहती थी। हुरमिजी बेगम, एक उनको दिया गया। हमारे मिनिस्टर साहब उस समय ट्रान्सपोर्ट के मिनिस्टर नहीं थे। उनसे कोई संबंध नहीं था। फिर मलाका संग्रामगढ़ रोडवेज जब नेशनेलाइज किया गया तो वहां के डिस्प्लेस्ड आपरेटर्स को टेम्पोरेरी लाइसेन्स दिये गये। तो और लोगों के साथ ये भी एक आदमी थे जिनको लाइसेन्स दिया गया। अब इनका क्या कसूर है यह मैं नहीं समझ सकी। इस पर यह कहा गया कि यह सूचना आपको गलत दी गयी। इस पर फिर मैंने कहा लाइसेंस देती है आपकी रीजनल ट्रान्सपोर्ट कमेटी। उसमें बहुत लोग हैं। वह एक "क्वासी" जुडीशियल बाडी है। जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं नहीं समझती कि उनके ऊपर कोई आरोप लगाया जाय।

अब विशेषाधिकार के प्रश्न में दो चार्ज लगाये गये हैं—१—परमिट गैर कानूनी तौर पर दिया गया और २—मुख्य मंत्री ने जो यह कहा है कि हुरमुजी बेगम को एक परमिट दी गयी, उस समय हमारे मिनिस्टर साहब ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नहीं थे, उनका कोई संबंध नहीं था। उनका यह कहना सत्य से परे है और उन्होंने जानबूझकर सत्य को छिपाया है। तो मैंने यह कहा था कि उस समय वे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नहीं थे जब उनको परमिट दिया गया। और दुबारा जो परमिट दिया गया वह एज डिस्प्लेस्ड परसन के दिया गया। इसके अलावा गैर कानूनी ढंग से देने के बारे में मेरा कहना यह है कि रीजनल ट्रान्सपोर्ट आथोरिटी एक "क्वासी जुडीशियल" बाडी है। मेरे पास माननीय गया प्रसाद जी आये थे, उनसे मैंने कहा था कि करप्शन को जरूर रूट आउट करने की कोशिश करूंगी, किसी बात को छिपाने की मुझको कोई जरूरत नहीं है। आप जब मेरे पास आये तो कहा कि दो परमिट हैं। डिस्प्लेस्ड आपरेटर के तौर पर उनको दूसरा रूट दिया गया है, लेकिन डिपार्टमेंट वालों ने बताया कि केवल एक ही रूट है। पहली बार जो रूट मिला उसके बारे में इलाहाबाद रीजनल आथोरिटी का रिजोल्यूशन पढ़ कर मैंने सुना दिया और दूसरी बार जो रूट मिला वह ६८ जी० (२), एम० वी० ऐक्ट के अन्तर्गत दिया गया। रिजोल्यूशन इस प्रकार था—

"The RTA found that the applicant Smt. Hurmuzi Begam held a permit on a "A" class route i.e. Allahabad Sangramgarh route, which was cancelled in April, 1963 due to Nationalisation Scheme. The applicant applied

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

for a temporary permit for Varanasi—Jabalpur route, which was sanctioned to her with the previous concurrence of the Transport Commissioner as part of the route was notified. It was found that she had also applied to RTA, Lucknow for grant of a permit on some alternative route. The R. T. A. Lucknow, however, offered her a route which was endorsedon her permit but which was different from the routes desired. She had informed the R. T. A., Allahabad that the route offered by R. T. A., Lucknow was not acceptable to her. As the applicant was the permanent resident of Allahabad Region, the R.T.A. decided to accede to her request specially as the vehicle owned by her was of 1963 model and offered her alternative route in lieu of compensation on the Varanasi-Jabalpur route in view of the Transport Commissioner's permission for grant of up to two permits to two private operators subject to countersignature of the permit by the S. T. A., Gwalior and subject to further condition that no passengers will be picked up or set down on the notified portion of route falling in U. P. territory."

मेरे पास यह इनफारमेशन है कि उनके पास दो रूट नहीं हैं, केवल एक रूट है। अगर यह फैक्ट गलत है तो जो सही बात हो उसे मैं मानने के लिये तैयार हूं। स्पीकर साहब, अगर आप चाहें तो आपके सामने, प्रीविलेज बाडी या किसी बाडी या हायर अथारिटी के सामने मैं इसे रखने के लिये तैयार हूं जो मैंने बयान दिया। अपनी तरफ से मैंने कुछ झूठ नहीं कहा है, जो मैंने सही समझा उसे कहा। इसलिये यह कहना कि जानबूझ कर झूठ बोली या बेइमानी की, ये ऐसे शब्द हैं जो इस सदन की डिगनिटी को लोअर करते हैं। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं हर एक से सारे टाइम में मिलने के लिये तैयार हूं और राउन्ड दी क्लाक कार्य करती हूं, ताकि यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन सुधर सके जिसे सुधारने के लिये माननीय गयाप्रसाद जी या माननीय पांडेय जी कहते हैं। जो भी फैक्ट्स हों आप दें, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि आपकी बात सुनने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो किसी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो मेरे पास फैक्ट्स हैं वे ये हैं कि श्रीमती हुरमुजी बेगम को सन १९५७ में रूट मिला, उसके बाद उस रूट का नेशनलाइजेशन हो गया। पहले उन्होंने दो जगह के लिये अप्लाई किया था। उनको दो जगह के रूट मिले, उनमें से एक जगह को उन्होंने छोड़ दिया। यह रूट उनको ऐज ए डिसप्लेस्ड आपरेटर अंडर सेक्शन ६८ जी० (२) दिया गया। अगर ये फैक्ट्स गलत हैं तो आप बतलावें।

(श्री गयाप्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय गयाप्रसाद जी, एक मिनट जरा मैं अर्ज कर दूं।

जहां तक माननीय मुख्य मंत्री का प्रश्न है, उन्होंने जो सदन के समक्ष बयान दिया वह अपनी सूचना के अनुसार दिया। अब जैसा कि माननीय दुबे जी कहते हैं या माननीय गया प्रसाद जी कहते हैं कि यह सूचना उनको गलत दी गयी है, तो कायदा यह होना चाहिये कि जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है वह इस समय नहीं उठता। अब यह आरोप कि उन्होंने जानबूझ कर गलतबयानी करी, सिद्ध नहीं होता। मेरा खयाल है कि जो उनको इनफारमेशन मिली उसके आधार पर उस दिन उन्होंने अपनी बात कही और आज भी कही है। अगर वह गलत है तो मैं समझता हूं कि उसका सही तरीका यह है कि उनको और फैक्ट्स आप दें, माननीय गयाप्रसाद जी व दुबे जी। मुख्य मंत्री जांच करें। फिर इस सदन में प्रश्न हो सकता है कि उस जांच का क्या परिणाम हुआ।

*श्री गयाप्रसाद---

श्रीमन्, मैंने २७ जनवरी को माननीया सुचेता जी को लिखा था और बार-बार लिखता रहा हूं सभी अधिकारियों को। मेरी जानकारी में कई चीजें हैं, लेकिन इस समय मैं और सवालों को नहीं उठाऊंगा। जो स्टेटमेंट उस दिन माननीया मुख्य मंत्री ने दिया था और आज उसकी सफाई में जो एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उसी के संबंध में मैं बतलाता हूं कि आज भी उसमें गलती रही है और आज भी वह स्टेटमेंट असत्य है।

१९५७ में जब श्री मुजफ्फर हसन, डिप्टी मिनिस्टर थे और इनका संबंध यानी रिश्तेदारी हुरमुजी बेगम से हो चुकी थी उसी समय एक परमिट इनको इलाहाबाद-संग्रामगढ़ रूट का दिया गया बस चलाने के लिये। उस परमिट के अनुसार हुरमुजी बेगम की हैसियत कोई नयी या पुरानी ही बस खरीदने की नहीं थी। फिर उस परमिट को उन्होंने श्री वकील अहमद, जिला प्रतापगढ़ को १०० रुपये माहवार पर बेच दिया। तो परमिट को उन्होंने वकील अहमद के हाथ बेच दिया, जोकि मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट की धारा के खिलाफ है और इस तरह से ट्रान्सफर करने पर वह कैंसिल हो जाना चाहिये, लेकिन मुजफ्फर हसन साहब के प्रभाव से वह कैंसिल नहीं हुआ। फिर जब वह रूट नेशनलाइज हुआ तो उसके बाद धारा ६८(डी) के अनुसार हुरमुजी बेगम को एक परमिट इलाहाबाद-तिरवा रूट पर दिया गया, जो कि ए० क्लास का रूट है। डिसप्लेस्ड होने के नाते जो उन को मिलना चाहिये था वह उन को मिल चुका था, इस तथ्य को हुरमुजी बेगम और आर० टी० ओ० ने छिपाया और ४२० की, साफ धोखा दिया है और उस के बाद उस अर्जी को फाइल से गुम किया जिस की सूचना मैं माननीय मुख्य मंत्री को दे चुका हूं। यह सब करने के बाद उन्होंने वाराणसी-जबलपुर रूट पर दरखवास्त लगाई, यह ए० क्लास रूट है और पहला रूट सिर्फ ४० मील का था, लेकिन यह ३०० मील का रूट है। पहले रूट पर उन को १०० रुपया मिल रहा था और इस पर १,००० मिलने वाले थे। उस के बाद इस रूट पर उन को ३-५-६३ को दूसरा परमिट दिया गया। तो प्रश्न यह है कि बस ३-५-६३ को श्री मुजफ्फर हसन साहब परिवहन मंत्री थे या नहीं थे?

(शेम-शेम की आवाजें)

तो इस संबंध में मुसम्मात हुरमुजी बेगम और आर० टी० ओ०, इलाहाबाद ने धोखा दिया है और तथ्यों को छिपाया है, इसलिये यहीं पर माननीया मुख्य मंत्री को स्पष्ट करना चाहिये कि श्रीमती हुरमुजी बेगम और आर० टी० ओ०, इलाहाबाद के विरुद्ध क्या वह मुकदमा चलाने जा रही हैं? मैं आप से कहना चाहता हूं कि आज भी जो स्टेटमेंट मुख्य मंत्री जी ने दिया है कि डिस्प्लेस्ड व्यक्ति होने के नाते वाराणसी-जबलपुर रूट पर उन को परमिट दिया गया है वह गलत है जबकि यह रूट ४० की जगह पर ३०० मील लम्बा है। सन् १९५७ में मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश सरकार में समझौता हुआ था कि इस को नेशनेलाइज किया जायगा और उस पर दोनों की रोडवेज वेहिकिल्स चलेंगी। उस के बाद सन् १९६० में दूसरा समझौता हुआ कि केवल ट्रान्सपोर्ट और रोडवेज ही चलेंगी और कोई दूसरी नहीं चलेंगी, लेकिन इस के बावजूद भी उन को अस्थायी परमिट दिया गया। ऐक्ट के अनुसार टेम्पोरेरी परमिट केवल टेम्पोरेरी नीड के लिये ही दिये जाते हैं मेरिज पार्टी के लिये, दौरे के लिये या मेले वगैरह के लिये दिये जाते हैं, लेकिन जब उस की नेचर परमानेंट है तो उसके लिये टेम्पोरेरी परमिट देना कानून के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष--

जो बातें आप कह रहे हैं वह बातें आपने प्रस्ताव में नहीं लिखी हैं। आपने जो बातें अभी कहीं उन में आपने एक बात निकाली है कि मई, सन् १९६३ में जब परमिट दिया गया है उस वक्त श्री मुजफ्फर हसन साहब मंत्री थे और उन्होंने बार-बार यह कहा है कि जब पहला परमिट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको मिला है तब वह मंत्री नहीं थे और दूसरा जब मिला है उसके संबंध में उनका कहना यह है कि वह विस्थापित व्यक्ति होने के नाते मिला है। अब आप केवल इतना कहते हैं कि यह सूचना जो उन को मिली है वह गलत मिली है और आर० टी० ओ० ने या किसी ने मिसिल में से उन की पहली दरख्वास्त तथा जो कार्यवाही उस पर हुई थी, वह उड़ा दी। और उसके स्थान पर दूसरी रख दी।

श्री गयाप्रसाद—

उड़ायी नहीं गयी। परमिट दिया गया, लेकिन वह दरख्वास्त फाइल से गायब कर दी जो ३८ रुपया जमा करके इलाहाबाद–डेरवा रोड पर जितना पोर्शन रोडवेज के इलाके में पड़ता था, उस ओवर लैपिंग की परमीशन होती है, परमीशन दी जाती है तो उसका कुछ टैक्स होता है। तो इलाहाबाद–डेरवा रोड पर जो पोर्शन रोडवेज का पड़ता था उसकी परमीशन ३८ रुपये जमा करके हुरमुजी बेगम ने ली थी। तो दरख्वास्त गायब कर देने से काम नहीं चलेगा। यह सबूत है।

श्री अध्यक्ष—

मैं कह रहा था कि जरूरी कागज जो मिसिल में था उसको गायब किया गया और उनसे दूसरी दरख्वास्त ले कर उसके ऊपर कार्यावही की गई कि जिसके ऊपर जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री ने पढ़ा वह पास किया गया। तो अब आपके कहने के मुताबिक यह हुआ है कि मिसिल में से कुछ कागज गायब कर दिये गये किन्तु और सबत मौजूद हैं। यह बातें जो हैं मिसिल की कि इस तरह से बनायी गईं। वह बात जहां तक मुख्य मंत्री का प्रश्न है आप स्वयं महसूस करते हैं कि इनसे यह बात छिपायी गई है। तो अब प्रश्न इतना रह जाता है माननीय मुख्य मंत्री इस संबंध में.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या आपको मुख्य मंत्री से ज्यादा जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं उनसे पूछ रहा हूं। आप बेकार की बात कर रहे हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, आपने कहा कि बेकार की बात कर रहे हैं। क्या आपको यह कहना चाहिये ? इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

बिल्कुल ठीक है। माननीय गयाप्रसाद जी आपको इतना जानना है कि यह सब बात इनकी जानकारी में थीं कि नहीं ?

श्री गयाप्रसाद—

एक बात रह गई। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि इलाहाबाद से संग्रामगढ़ रूट से डिसप्लेस होने के नाते वाराणसी–जबलपुर रूट इनको मिला। मैं कह रहा था कि इलाहाबाद–संग्रामगढ़ रूट से डिस्प्लेस होने पर उनको इलाहाबाद–डेरवा रोड पर परमिट मिला और वह केस खत्म हो चुका है यह नई चीज है। मई, जून, १९६३ में दोनों परमिट्स साथ-साथ चले हैं, इलाहाबाद–डेरवा और वाराणसी–जबलपुर।

श्री अध्यक्ष—

मैं पूछ रहा हूं कि क्या उनको ज्ञान है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं निवेदन करूं कि मैंने अपनी कोई बात तो पढ़ी नहीं। रिजोल्यूशन जो आर० टी० ए० ने पास किया था वही पढ़कर सुनाया। कौन-सा कागज चोरी हुआ, कौन रूट ४०, ५० मील का था मुझको नहीं मालूम। रिजोल्यूशन पढ़ कर सुनाया, उसी से पता चलेगा कि उन्होंने चोरी से छुपाकर किया या खुलकर किया। यह रिजोल्यूशन जरा गौर से सुन लीजिये, मैं अपने अल्फाज नहीं पढ़ रही हूं, जो लाइसेंस देते समय आर० टी० ए० ने प्रस्ताव पास किया है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

आपको जानकारी है सारी।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठें।

श्री उग्रसेन—

जो गयाप्रसाद जी ने कहा कि सारे कागज जब्त कर लिये जायं तो क्यों नहीं ऐसा किया? माननीय मुजफ्फर हसन साहब रोज मुख्य मंत्री के कमरे में बात करत हैं, हमको सब पता है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री उग्रसेन—

प्रिविलेज के मोशन के संबंध में मैं चाहता हूं कि एक जुडिशियल कमेटी हाईकोर्ट के स्तर की बैठायें, माननीय मुजफ्फर हसन साहब को मुअत्तल करें अगर दम हो। तब....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि .....

श्री उग्रसेन—

गयाप्रसाद जी का इस्तीफा ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न केवल यह है कि माननीय मुख्य मंत्री को क्या सूचना थी। इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं है। आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर वे अन्वेषण करें। तो इस समय माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करें कि इस संबंध में क्या उन्हें यह सूचना थी कि एक दूसरी लाइन पर भी उनकी गाड़ी चल रही थी?

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

यदि माननीय मुख्य मंत्री को उसके अफसर गलत सूचना देते हैं तो उसमें जिम्मेदारी किसकी है?

श्री अध्यक्ष—

वही मैं बताऊंगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है कि जो सूचना माननीय मुख्य मंत्री के पास नहीं है वह उन्हें दे दी जाय। तो माननीय मुख्य मंत्री जी के पास यदि सूचना है तो उत्तर आज दे दें और अगर नहीं है तो कल दे दें।

श्री अध्यक्ष—

जो बात माननीय दूबे जी कह रहे हैं मैं इस सम्बन्ध में मैं माननीय दुबे जी से और सदन से कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रिविलेज मोशन का प्रश्न है उसको समाप्त करते हैं और जो इस सम्बन्ध में जानकारी आप करना चाहते हैं उसकी विधि हम तय करें ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जो बातें यह कह रहे हैं मैं स्ट्रांग एक्सेप्शन लेती हूं । आप भेज दीजिए प्रिविलेज कमेटी में ।

श्री उग्रसेन—

मुख्य मंत्री के नाते आपको आवेश में नहीं आना चाहिए । आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी ।

(श्री कल्पनार्थासिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

कल्पनार्थासिंह जी, आप बैठ जाइये ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आपके सम्मुख एक प्रश्न रखा गया और आवेश में हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह कह दिया कि आप प्रिविलेज कमेटी में भेज दीजिए, तो क्या आप दोनों के कहने पर ही प्रिविलेज कमेटी में भेज देंगे या सब का निर्णय लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

बहैसियत वकील के आप से ही पूछता हूं कि क्या इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाय ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

इनके कहने से नहीं भेजा जायगा । आपकी जो आज्ञा होगी वही होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस सम्बन्ध में विचार कर लूंगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इस सम्बन्ध में आज ही विचार होगा ।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में जो कुछ होगा वह कल होगा । इसमें आज कुछ नहीं होगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा निवेदन सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आप बैठ जाइये ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोई प्रिविलेज मोशन सदन में आता है तो उससे पूर्व अध्यक्ष को अधिकार है कि जब प्राइमाफेसी केस एस्टेब्लिश हो जाय तभी सदन में वह प्रस्तुत किया जाता है। जब बिना निर्णय किये हुए कि प्राइमाफेसी केस एस्टेबीलश हुआ या नहीं, आप इसको सदन में ले आये और मुख्य मंत्री जी से आपने बयान भी ले लिया तथा गयाप्रसाद जी से भी बयान ले लिया और जो आपको अधिकार था वह आपने सदन को दे दिया और वहां प्राइमाफेसी केस एस्टेंब्लिश्ड मान लिया गया और मुख्य मंत्री, परिवहन मंत्री दोनों ने तथा गया प्रसाद जी ने भी कह दिया कि प्रिविलेज कमेटी में इसको जाना चाहिये, विरोधी पक्ष के सदस्य कहते हैं कि प्रिविलेज कमेटी में इसे जाना चाहिये और सदन की भी राय है तब आपको अधिकार नहीं रहता। सदन का निर्णय सर्वोपरि है।

†श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जब कोई सदस्य अपनी सूचना के आधार पर किसी अन्य सदस्य के संबंध में कोई बात सदन में कहता है और दूसरा सदस्य उसे रिबट नहीं करता, जाहिर है कि परिवहन मंत्री यहां उपस्थित हैं और उन्होंने रिबट नहीं किया तो आप उसे गलत कैसे करार दे सकते हैं?

†श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

पहले तो आपने विशेषाधिकार के प्रश्न को रूल आउट कर दिया और अब फिर रिओपिन कर दिया और दोनों तरफ की बातें सुन लीं। या तो मुख्य मंत्री जी गलत हैं या गयाप्रसाद जी गलत हैं। यह दोनों प्रश्न एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। इसलिये या तो मख्य मंत्री जी विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकार हुई या माननीय गयाप्रसाद जी हो गये। इसलिये इस विषय को छानबीन के लिये विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय ताकि पूरे तथ्य उसके सामने आ जायं।

†श्री यादवेन्द्रदत्त—

मैंने जो सुझाव रखा था उससे आप सहमत हो गये थे। मैं अब भी वैसा ही समझता हूं कि आवेश में आ कर चैलेंज और काउंटर चैलेंज अच्छा नहीं होता है, लेकिन यह विषय भी बहुत गम्भीर है। माननीय मुजफ्फर साहब भी यहां मौजूद हैं। मैं यह समझता हूं कि इस विषय पर सदन की भावनायें भी सदन के सामने हैं। लिहाजा मेरा सुझाव था कि मुजफ्फर-साहब अपना स्टेटमेंट दे देते और उस पर सदन में विचार हो जाता और लोगों को जो कुछ प्रश्न करने होते वह कर लेते और बात स्पष्ट हो जाती। इस समय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ प्रिविलेज का मोशन लाना कोई मानी नहीं रखता। आप एक दिन नियत कर देते और उसे सदन स्वीकार कर लेता और उस दिन विचार विमर्श हो जाता।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी, जब मैं इस सदन में घुसा प्रारम्भ में ही मैंने यह निश्चित रूप से कहा सदन से कि जहां तक प्रिविलेज मोशन का संबंध है उस संबंध में मैंने अपनी राय दे दी है। लेकिन चूंकि माननीय उग्रसेन जी ने चैलेंज किया है माननीय मुख्य मंत्री जी के बयान को, इसलिये मैं चाहता हूं कि वह अपना बयान दे दें। चुनांचि उन्होंने अपना बयान दे दिया। तो जहां तक प्रिविलेज मोशन का सवाल है वह तो ओवररूल हो चुका है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

उन्होंने कहा था कि असत्य बयान है और अब भी यही कहते हैं।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मुझे बड़ा अफसोस है कि मौलिक और साधारण प्राथमिक चीजों को भी हम समझने के लिये तैयार नहीं होते। माननीय रघुनाथसिंह जी कह रहे हैं कि वह असत्य है। आप उसे असत्य बयान कह सकते हैं लेकिन जो सूचनायें उनके पास हैं उसी के आधार पर आप जान-बूझ कर असत्य करने को बात नहीं कह सकते। माननीय रघुनाथसिंह यह नहीं समझते हैं कि रोज प्रश्न आपके सदस्यों के द्वारा किये जाते हैं और सरकार की तरफ से यह उत्तर आता है कि जो आपकी सूचना है वह गलत है, सही बातें यह हैं। तो अगर इस तरह बार-बार मैं प्रिविलेज मोशन स्वीकार करने लग जाऊं तो हम लोग कोई भी इस सदन के अन्दर प्रिविलेज मोशन से बरी नहीं रह सकेंगे। सीधी बात यह है कि अपनी-अपनी सूचनाओं पर प्रत्येक सदस्य के कथन को आदरणीय और सम्मानित मान कर हम सत्य मानते हैं .... (व्यवधान) श्री चन्द्रबली सिंह जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बैठिये। तो एक मौलिक चीज जो हमें इस सदन में समझ लेना चाहिये वह यह है कि इस सदन का सम्मान इसी में है कि प्रत्येक सदस्य जो वह कहता है उसको हम मानें कि सत्य कह रहा है।

अब जैसा कि माननीय दुबेजी बार-बार कह रहे हैं वही बात मेरे हृदय में है। मैं चाहता था कि इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री या माननीय मुजफ्फर हसन अपना बयान दे दें। माननीय मुजफ्फर हसन ने एक बात कही, वह मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गलत तरीके से कही। उन्होंने कहा कि अगर आप प्रिविलेज मोशन को अस्वीकार करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि हमको या हमारी सरकार को आप बचा रहे हैं। इसके माने यह हुये कि आप बैठकर मेरे ऊपर आक्षेप करते हैं कि मुझे अधिकार नहीं है कि मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करूं। मैं अपने विवेकानुसार जो उचित समझता हूं उसके अनुसार यहां कार्य करने के लिये बाध्य हूं और करूंगा।

अब चूंकि बहुत-सी बातें माननीय गयाप्रसादजी ने कही हैं, ठीक हैं, सही हो सकती हैं, लेकिन ये सब बातें ऐसी हैं जिनके संबंध में माननीय मुजफ्फर हसन पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं या माननीया मुख्य मंत्री स्वयं कह सकती हैं कि जो आपने आज कहा है इस संबंध में भी मैं अन्वेषण करूंगी। इस संबंध में और वाद विवाद नहीं होना चाहिये यह मेरा निवेदन था।

अब क्या माननीय मुजफ्फर हसन इस समय कोई बयान देना चाहेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जो एक लिमिटेड इश्यू था उस पर मैंने जवाब दिया। अब आज अगर उसे वाइडेन कर के बात कहें तो दूसरी बात है। कोई स्पेसिफिक प्वाइंट हो तो मैं उसका जवाब दे सकती हूं।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि मुजफ्फर हसन साहब खड़े हो गये थे इसी वजह से मैं उनसे पूछता था।

श्री मुजफ्फर हसन—

जो बात अभी सरसरी तौर से कही गयी मैं उसके बारे में वाकिफ ही नहीं हूं। जो चीज मैंने उस वक्त कही थी आपने उसको बुरा माना। मैंने यह अर्ज किया था कि टेक्निकली चीफ मिनिस्टर को इन्फार्मेशन नहीं है, इसलिये अगर आप इसको रिजेक्ट करते हैं तो एक रिफ्लैक्शन होता है और कोई न कोई तरीका होना चाहिये वाकयात को सामने आने का। अब अगर इस वक्त कोई चीज वे पूछ लें तो मैं तो नहीं जानता। मेरी बहुत कम वाकफियत इस बारे में है। कायदे से कोई चीज आयेगी, मुझसे कोई इन्फार्मेशन मांगी जायगी तो मैं जरूर दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

अब सूरत यह है कि माननीय गयाप्रसादजी ने बहुत-सी बातें कही हैं। क्या मुख्य मंत्री जी उस संबंध में जांच कर के बाद में बता देंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैं बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहती हूं, क्योंकि मैं देखती हूं कि यहां कोई रेशनल थिंकिंग नहीं है। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें तो मैं स्पेसिफिक जवाब दे दूंगी।

श्री अध्यक्ष--

श्री गया प्रसादजी, आपसे निवेदन यह है कि आप लिखित दे दीजियेगा, मैं उनसे पूछूंगा।

श्री गयाप्रसाद--

मैंने तो बारम्बार लिख कर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष--

आप मुझे लिख कर दे दीजियेगा।

अब मैं माननीय मैनेजरसिंह.....

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय मुख्य मंत्री ने अभी कहा कि यहां कोई रेशनल थिंकिंग होती नहीं है। तो यह सारे हाउस पर रिफ्लेक्शन है।

श्री अध्यक्ष--

मैं बोल रहा हूं, आप बैठ जाइये।

माननीय मैनेजरसिंह जी, आपने कृपया जो 'बेईमान' शब्द का इस्तेमाल किया था वह वापस लें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

उसको तो आपने कार्यवाही से निकाल दिया। वह तो समाप्त हो गया।

श्री मैनेजरसिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, यह कतई मैं उचित नहीं समझता कि इस आदरणीय सदन में किसी भी सम्मानित सदस्य के विषय में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जाय। मैंने उनको विशेषण नहीं दिया बेईमानी का। हालांकि आप इस प्रदेश के हैं और इस आदरणीय सदन के अध्यक्ष भी हैं और आज आम शोहरत इस बारे में है.....

श्री अध्यक्ष--

आप वापस लेने के लिये तैयार हैं या नहीं ? आप इसको वापस ले लें जिससे यह मामला समाप्त हो। देखिये मैनेजरसिंह जी, एक शोभनीय चीज में अशोभनीय बात कहने से कोई लाभ नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, मैंने उस समय यह कहा था कि उन्होंने बेईमानी की है और इसलिये कहा था.....

श्री अध्यक्ष--

जो भी हो, आप वापस लीजिये ।

श्री मैनेजरसिंह---

क्या वापस लें ?

श्री अध्यक्ष--

आपने 'बेईमान' शब्द कहा था ।

श्री मैनेजरसिंह--

बेईमानी की है, यह मैंने कहा था ।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने माननीय मैनेजरसिंह जी से, जो शब्द उन्होंने एक माननीय सदस्य के बारे में प्रयोग किया, उसको वापस लेने की मांग की है । किसी माननीय-सदस्य को बेईमान कहना उसके चरित्र पर लांछन लगाना है और यह काम ऐसा है कि यह सदन के सदस्य का अवमान करना है और सारे सदन का अवमान करना है । मैनेजरसिंह जी ने स्वयं भी स्वीकार किया है कि उनकी बदनामी हो रही है तो जाहिर है कि वे ऐसे शब्द का प्रयोग करके उन माननीय सदस्य को जनता की निगाह में गिराना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री वीरसेन--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस शब्द के इस्तेमाल से सदन का अवमान हुआ है, इसलिये मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं ।

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, मैं इसका स्वागत करता हूं । विशेषाधिकार समिति में भेज दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छी बात है, विशेषाधिकार समिति में जायगा ।

श्री वीरसेन--

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि.....

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, आपने व्यवस्था दे दी है, अब इनको बोलने का अधिकार नहीं है ।

श्री वीरसेन--

श्रीमन्, यह घटना सदन में हुई है और नियम ६४ के अन्तर्गत सदन एक दम कार्यवाही कर सकता है । वह इस प्रकार है कि "परन्तु यदि अवहेलना सदन के प्रत्यक्ष ही की गयी हो तो सदन बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा" इसलिये इस पर फौरन ऐक्शन लिया जाय ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, यह घटना सदन में हुई है, लेकिन इसमें वक्तव्य लेना ही पड़ेगा कि उन्होंने बेईमान कहा है, वह साबित करने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिये आप कोई समय निर्धारित कर दीजिये। उस पर बहस हो जाय। वह अपना सबूत दे दें, यह अपना सबूत दे दें।

श्री उग्रसेन--

सदन का समय हो गया। एक बज गया।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मैं माननीय वीरसेन की बातों को सुन कर बहुत अचम्भे में पड़ा। अभी आपके सम्मुख उन्होंने कुछ सेकेंड पहले यह कहा कि मैनेजरसिंह ने जो कुसूर किया है उसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। उस पर आपने आदेश दे दिया कि विशेषाधिकार समिति को जायगा।

श्री अध्यक्ष--

वह विशेषाधिकार समिति में जायगा इस वास्ते कि यहां पर यह सवाल पैदा हो गया है कि माननीय मैनेजरसिंह कहते हैं कि मैंने बेईमान नहीं कहा। तो यह रेकार्ड की बात हो गयी, शहादत की बात हो गयी। तो विशेषाधिकार समिति में जायगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

विशेषाधिकार का हमारा सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

उसको मैंने देखा नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

कल से देख रहे हैं..... (शोर)

श्री अध्यक्ष--

इसको मैंने मिनिस्टर साहब के पास....

श्री कल्पनार्थसिंह--

माननीय नैनसिंह की गिरफ्तारी...

श्री चन्द्रबलीसिंह--

जिसको मिनिस्टर साहब के पास भेज दिया है उसको पढ़ दीजिये।

श्री कल्पनार्थसिंह--

क्या निर्णय हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

मैं बता दूंगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

जिसको मिनिस्टर साहब के यहां भेजा है उसको पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

घड़ी देखिये। एक बज गया है। लंच का टाइम है।

श्री अध्यक्ष—

अभी बैठिए।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

किस नियम के अनुसार नहीं पढ़ेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मुझे अधिकार है कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर मैं अपने कमरे में ही आदेश दे दूं, स्वीकार करूं या न करूं। यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस समय पढ़ने की जरूरत होती है जब मैं जानना चाहता हूं कि सदन का क्या मत है। अगर मैं नहीं जानना चाहता हूं तो नहीं पढ़ूंगा।

जिला मैनपुरी के एक गांव में डकैती के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने माननीय नेकराम शर्मा की सूचना स्वीकार की है। वह इस प्रकार से है—"मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत एक अविलम्बनीय लोक महत्व....."।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये समय बीत गया है। जो कार्यवाही कर रहे हैं बिलकुल अवैधानिक है। आपने समय नहीं बढ़ाया है। एक बज गया है। एक बजे के बाद आप सारी कार्यवाही कर रहे हैं जो नियम के बिलकुल विपरीत है। आपने समय बढ़ाया नहीं है। कैसे आप कार्यवाही करेंगे, कैसे कानूनी कार्यवाही मानी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं जब तक स्थगित न करूं तब तक सदन बैठेगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

आपको समय बढ़ाना चाहिये था। इसकी घोषणा होनी चाहिये थी। नियमावली सुना दीजिये। दिखाइये नियम।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप बीच-बीच में बोलेंगे तो मुझे आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

कर दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं अन्तिम बार आगाह करता हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

आप सारा काम गुस्से में कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप सदन छोड़िए ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

जा रहा हूं ।

(श्री चन्द्रबलीसिंह सदन छोड़ कर चले गये ।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

वह तो पहले ही चले गये होते । यह तो आप अवकाश में उनसे सदन छोड़वा रहे हैं । .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

"जिला मैनपुरी के गांव लैगांव थाना किशनी में १५/१६ फरवरी की रात को ६ सशस्त्र सिपाहियों न मय हवलदार के डकैती की । गांव वालों ने ३ सिपाहियों को पकड़कर बन्द कर दिया। बाकी भाग गये। भागते हुये सिपाहियों ने गोली चलाई जिससे एक आदमी मर गया। इस घटना से सिर्फ मैनपुरी में ही नहीं बल्कि आस पास के जिलों में भी बड़ा असन्तोष व्याप्त है ....."

इसे मैंने स्वीकार किया है माननीय गृह मंत्री इस पर वक्तव्य कब देंगे ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

२५ तारीख को देंगे ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

अध्यक्ष जी, एक मैंने भी नियम ५२ दिया है..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बाकी जितने नियम ५२ के हैं सब अस्वीकृत हुए ।

खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि तथा उनकी अनुपलब्धता के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव, नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

माधव प्रसाद जी का एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है..... (शोर)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि पहले आप कामरोको लेंगे या नियम ५२ ? नियम ५२ लेने के बाद कामरोको क्यों ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीया मुख्य मंत्री, मुझे यह सूचना मिली है कि २० तारीख को जो आपने नेताओं से मिलने के लिये मीटिंग रखी थी, वह मीटिंग आप नहीं कर रही हैं.....

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

मेरा इरादा था २० तारीख को मीटिंग करने का। लेकिन मेरे कुछ प्रीवियस इन्गेजमेंटस हैं, इसलिये २४ तारीख तय किया है, आप लोगों को इनविटेशन पहुंच ही रहा होगा।

श्री उग्रसेन--

इस बैठक में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। जब से ओला पड़ा है मुख्य मंत्री की सरकार ने एक छटांक की भी मदद नहीं दी है। मालगुजारी वसूल हो रही है। मालगुजारी की वसूली बंद करा दें, करों की वसूली बन्द करा दें, मीटिंग में जाकर हम क्या करेंगे? कुछ करना हो तो करें, मीटिंग में हम नहीं जायेंगे।

श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

आपने १९ से २४ तारीख कर दी। एकदम ५ रोज बढ़ा दिये। क्या इससे भी आवयश्क कोई और प्रश्न है? बस्ती से मैं आ रहा हूं। कितनी दूकानें ऐसी हैं जिनमें गल्ला नहीं है। तो ऐसा कौन सा काम है कि पांच रोज पूरा आप टाल रही हैं? कल क्यों नहीं करतीं या जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके क्यों नहीं कर लेतीं?

श्री उग्रसेन--

मैं भी बस्ती से कल घूमकर आया हूं। त्राहि-त्राहि मची हुई है। आप बालकन जी बाड़ी का उद्घाटन करने जायंगी और मीटिंग आज नहीं करेंगीं..... (शोर)

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मीटिंग तो २० को डिक्लेयर किया था, १९ को नहीं। फिर मैंने देखा कि मेरे बहुत जरूरी प्रीवियस इन्गेजमेंट्स थे, इसलिये २४ को तय किया। फिर यह प्रिज्यूम करना कि क्योंकि मैंने अपोजिशन के मेम्बरों से मीटिंग नहीं की, तो कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, यह बात भी नहीं है। मैं खुद ही दिल्ली गई थी और इसी संबंध में कोशिश की जा रही है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री, मैं निवेदन कर दूं, देखिये, यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो है इस पर और जो माननीय सदस्य हैं उनकी प्रबल इच्छा है कि बहस हो जाय। अगर यह है तो मैं समझता हूं कि २५ तारीख को सायंकाल ढाई घंटे नियम ५३ में मैं इसको समय दे दूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय, २१ को दे दीजिये, २५ को अन्तिम दिन है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और २ बजकर १० मिनट पर फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर ११ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

इस समय की कार्यवाही शुरू होने के पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप से एक निवेदन करना है। आज पूरे प्रदेश में बढ़ती हुई कीमतों को लेकर, पाले के कारण फसल की जो बर्बादी हुई है उसकी वजह से, और जैसे सरकार किसानों की मांगों को नहीं मान रही है और

[श्री चन्द्रजीत यादव]

उनकी सहायता के लिये लगान की वसूली स्थगित न करना तथा टेस्ट वर्क चालू न कराना, आदि बातों की जो सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं की गयी है, उसके कारण प्रदेश में बहुत ही गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रदेश का हर व्यक्ति आज परेशान है। प्रदेश में एक रुपये सेर गेहूं बिक रहा है और १२ छटांक की दाल बिक रही है। सरकार इस स्थिति को गम्भीरता से नहीं ले रही है। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि वह २० तारीख को एक मीटिंग बुलायेंगी, लेकिन उसको भी उन्होंने स्थगित कर दिया और दूसरे कामों को वह ज्यादा महत्व दे रही हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप के पीछे एक बात तय हो गयी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

वह मेरे सामने ही तय हुई है। मैं समझता हूं कि वह एक उपेक्षा का दृष्टिकोण है और ऐसा कर के वह दूसरे कामों को प्राथमिकता देती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आज यह तय हो गया है कि २५ तारीख को इस प्रश्न पर....

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैं उसको जानता हूं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आज प्रदेश में जो स्थिति है उसे लेकर किसानों और मजदूरों के ५ हजार नेता तथा उनके प्रतिनिधि सरकारी कार्यालयों के सामने और फैक्टरियों के सामने तीन दिन की भूख हड़ताल कर रहे हैं २० तारीख से २२ तारीख तक और यहां विधान भवन के सामने भी ५० आदमी भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनमें ९ माननीय सदन के सदस्य भी सम्मिलित हैं। मैं आप से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस गम्भीर स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिये आप इस सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिये स्थगित कर दें ताकि जो प्रतिनिधि यहां हैं जनता के, वे उन भूख हड़तालियों से जाकर मिल सकें, क्योंकि हम साढ़े सात करोड़ जनता के प्रतिनिधि यहां उन समस्याओं पर ही विचार करने के लिये बैठे हैं जिनकी मांग में वे लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप इस सदन को दस मिनट के लिये स्थगित कर दें, ताकि हम लोग जा कर उन्हें आश्वासन दे सकें कि उनकी यह मांगें पूरी होंगी। मेरा निवेदन है कि इसके लिये आप दस मिनट के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो बात आपने कही उसके बारे में तय हो चुका है कि २५ तारीख को उस पर ढाई घंटे का विवाद होगा। जो माननीय सदस्य उनसे जाकर मिलना चाहते हैं वे जा सकते हैं और मिल सकते हैं। मैं इसके लिये सदन की कार्यवाही स्थगित करना ठीक नहीं समझता।

श्री चन्द्रजीत यादव—

आप सदन की कार्यवाही १० मिनट के लिये स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता।

श्री चन्द्रजीत यादव—

तो मुझे अफसोस के साथ सदन को त्यागना पड़ता है। हम लोग १० मिनट के लिये जायेंगे और उन भूख-हड़तालियों और सत्याग्रहियों से मिलेंगे।

(कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, २५ के लिये तो ढाई घंटे की बहस दे दी गयी। उसके पहले एक सुझाव दिया गया था कि प्रदेश की हालत को देखते हुये २४ तारीख बहुत दूर है। तो आप ऐसा करें कि जितनी जल्दी हो सके मीटिंग बुलायें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

तय करने के पूर्व मेरी प्रार्थना यह थी कि यह २४ के और पहले होनी चाहिये थी, लेकिन उसको और पीछे कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष---

वह प्रश्न पहले तय हो गया।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, वह कुर्सी छोड़ कर चले गये।

श्री रियासत हुसैन---

२० तारीख को २४ तारीख करने का सुझाव मुख्य मंत्री का था और आज लूटाई शुरू हो गयी। इटावा में बाजार लूटा गया। तो २४ तारीख तो बहुत दूर है, इसमें आज नहीं तो कल मीटिंग हो ताकि कोई प्रोग्राम बनाया जा सके।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

२० के बजाय २४ हो गयी तारीख और उसके लिये इनवीटेशंस ईश्यू कर दिये हैं और २५ को ५ बजे के बाद ढाई घंटे की बहस भी मंजूर हो चुकी है। इसलिये हमें आशा है कि आप जरूर आवेंगे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---

उसके लिये जैसा कि रियासत साहब ने कहा, देर हो रही है। बैठकर बातचीत करने के लिये बेहतर यह होता है कि उसके पहले सदन में वाद-विवाद हो जाय और फिर जो उससे बातें निकलें, उन पर विचार करें और कुछ लोग अगर फिर बैठें तो उसके लिये कोई निर्णय करें। तो मैं तो सोचता हूं कि कल २१, २२, २३ इन दोनों, तीनों दिनों में वक्त आप निकाल दें और ठाकुर साहब से भी कहूंगा कि इस पर विचार करें। उसके बाद मीटिंग हो जाय।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

२३ तारीख को इतवार है।

श्री गेंदासिंह---

इतवार छोड़ दें, मुझे माफ करें। दो दिन में बहस हो जाय और इतवार को बैठ कर विचार कर लें ताकि खाली वक्त में डिपार्टमेंट, मिनिस्टर साहबान और सदस्यों को भी सहूलियत हो। इससे सदन का वक्त बच जायगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

मुझे आपके माध्यम से यह निवेदन करना है कि मीटिंग के मुतालिक जो बड़ी काफी अनुनय-विनय है तो यह भी देखना चाहिये कि बाहर तो डिमांस्ट्रेशन्स हो रहे हैं, भूख-हड़तालें हो रही हैं, फूड रायट्स अरेंज किये जा रहे हैं और उसकी पृष्ठ-भूमि में यह मीटिंग! यह एक धोखा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और सरकार को भी चेतावनी दे देना चाहता हूं कि जबतक

[श्री जे० पी० मिश्र]

डेफिनिट अश्योरेंस न आ जाय और ये डिमांस्ट्रेशंस और भूख-हड़तालें विद्ड्रा न कर तब तक मीटिंग का प्रश्न चीफ मिनिस्टर पर छोड़ दिया जाय।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम सवाल है। प्रान्त में खाने को नहीं है और आगे भी उसके मिलने की कोई आशा नहीं है। कहीं-कहीं शहरों में बस एक-दो दिन के लिये स्टाक होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं मीटिंग के लिये आमंत्रित किया था ताकि इतने अहम मसले पर हम सब मिलकर बात करें। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह मीटिंग पोस्टपोन क्यों हो गयी और उसको जल्दी क्यों नहीं बुलाया जा सकता ?

दूसरी बात यह है कि आज भूख हड़ताल हो रही है। मैं आपके द्वारा इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हम अपनी पार्टी की तरफ से, मैं, डिप्टी लीडर और पार्टी के विहप कल से हंगर स्ट्राइक पर जायेंगे और हम सरकार के खिलाफ इस बात का प्रदर्शन करेंगे कि उनकी नीति बहुत घातक है और वह इस समस्या को बहुत अहम करती जा रही है। तो कल से हमने भूख हड़ताल करने का निश्चय किया है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

एक बात मैं कहना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

इसे डिबेट न बना लीजिये।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं आपका ध्यान आपके कार्यालय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक किताब मुझे मिली है, इसको तीन बार घुमाना पड़ता है, तब इसको पढ़ा जा सकता है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

मेरी बात भी सुन लीजिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, माननीय खाद्य मंत्री को पता चल गया होगा कि मैनपुरी जिले में माखनपुर में फूड रायट हो गया है, वहां के एम० एल० ए० की भी यही सूचना है। मैं अभी-अभी उनसे मिलकर आया हूं, गल्ला लूट लिया गया है। स्थिति बिगड़ती जा रही है। हम लोगों ने नहीं कहा था कि आप कोई मीटिंग बुलायें बल्कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि वे विरोधी दल की एक मीटिंग बुलायेंगी। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी का कोई रास्ता निकालें। आप इस हाउस को एडजोर्न कर दें ताकि सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को समझा सकें। २५ को जो डिबेट रखी है, होली की छुट्टी पर सदस्य चले जायेंगे, इसलिये आप इसे उससे पहले रख दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, १८ तारीख को इटावा जिले का कन्यौसी बाजार लूट लिया गया। जितना बाजरा, ज्वार और गुड़ आदि था वह लूट लिया गया। पुलिस जब तक पहुंची, तब तक वहां एक दाना भी अनाज का बाकी नहीं था। मैंने पहले दफा ५२ का भी नोटिस दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सारे प्रदेश की स्थिति बिगड़ती जा रही है। अगर इस स्थिति को जल्दी सम्भाला न गया तो हो सकता है कि सारे प्रदेश में अराजकता पैदा हो जाय, लूटमारी शुरू हो जाय। मुझे आशा है आप इस पर विवाद के लिये शीघ्र समय देंगे।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति गम्भीर है इसमें कोई संदेह नहीं है। जितनी सरकार समझ रही है उससे भी ज्यादा गंभीर है। माननीय खाद्य मंत्रीजी ने बताया कि वे सेंटर से एक लाख टन के लिये निश्चित करके आये हैं। यदि वह उनको मिल भी जाय तो भी खाद्य समस्या हल होने वाली नहीं है, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है।

इसके साथ ही साथ हमारे कुछ भाइयों ने जो भूख हड़ताल करने का कदम उठाया है, उससे मैं समझता हूं स्थिति और खराब होगी। जो स्थिति इस समय प्रदेश के सामने है उसको मैं उस स्थिति से कहीं गम्भीर समझता हूं जो चीन के आक्रमण के समय हमारे सामने आयी थी। उसका सामना करने के लिये सब ने मिल कर जो भावना दिखायी थी, मैं समझता हूं उसकी ही आज भी आवश्यकता है। मैं माननीय सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस स्थिति से कोई राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न न करें और जो गम्भीर स्थिति हमारे समक्ष आयी है उसका मिल कर मुकाबला करें और कंधे से कंधा मिलाकर उसका मुकाबला करने का प्रयत्न करें।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहे बिना नहीं रह सकता कि सरकार की तरफ से जो उपेक्षा का भाव दिखाया जा रहा है कि पहले २० तारीख मुकर्रर की गयी और फिर २४ कर दी गयी, उसका यह रवैया भी ठीक नहीं है। स्थिति ऐसी है कि उसका फैसला तुरन्त ही होना चाहिये और उस फैसले को भी तुरन्त कार्यान्वित करना चाहिये। अतः जैसा कि गेंदासिंह जी ने कहा कि इस बजट पर जो वादविवाद हो रहा है उसको स्थगित किया जाय और दो दिन के लिये इस सदन को अवसर दिया जाय कि वह अपने विचार इस संबंध में रखे। इससे अधिक गम्भीर प्रश्न और हो ही नहीं सकता। बजट पर वादविवाद स्थगित करने से कोई अहित होने वाला नहीं है। यदि हमने यह निश्चय नहीं किया तो वह हमारा ठीक कदम न होगा और उससे राजनीतिक क्रांति हो सकती है। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि इस गम्भीर स्थिति से राजनीतिक लाभ उठाने की कोई भी पार्टी प्रयत्न न करे। इसके बजाय सब को मिलकर सद्भावना से इसका मुकाबला करना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे जो बात अर्ज करनी थी, वह मैंने कर दी।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर २५ तारीख के बजाय परसों बहस रख दी जाय तो उसमें आपको कोई ऐतराज तो नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह तो आपके अधिकार की बात है जैसा आप कहेंगे वैसी तामील की जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

तो बजाय २५ के २२ तारीख को परसों यह डिबेट रख दीजिये ।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

क्या आप कोई निर्णय दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर गवर्नमेंट तैयार है तो मैं यह निर्णय दे रहा हूं । इसमें गवर्नमेंट को तो कोई कठिनाई नहीं है ।

(कुछ ठहर कर) अच्छा तो बजाय २५ के इसके बारे में २२ तारीख को डिबेट होगी ।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा निर्धारित कार्य-क्रम के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

अब मुझे कुछ सूचना देनी है । वह इस प्रकार है--

"कार्य-मंत्रणा समिति ने यह निश्चित किया है कि १३ फरवरी, १९६४ को श्री शिव-प्रसाद के निधन के कारण जो उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टैम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार एवं उसका पारण स्थगित कर दिया गया था उसे अब २५ फरवरी, १९६४ को ले लिया जाय ।"

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, इस संबंध में मुझे निवेदन करना है कि जिस मीटिंग में यह तय किया गया उसका कोई नोटिस हमें नहीं मिला। बिजनेस कमेटी का कोई नोटिस हमें नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह देख लेंगे । मीटिंग हुई और मुमकिन है कि उसका नोटिस आपको न मिल सका हो ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

आज की मीटिंग में श्री रामायणराय जी मौजूद थे ।

श्री कमलासिंह यादव--

हमारी पार्टी की तरफ से उनको कोई आदेश नहीं था । जब मीटिंग करनी थी तो आपको चाहिये था कि उसका नोटिस भेजते । यह ठीक नहीं है कि आप अपने पक्ष के जिसको चाहें बुला लें, इसका हम घोर विरोध करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आइन्दा इसके लिये देख लिया जायगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

जो मेम्बर इनके पक्ष के हैं उनसे बात कर ली और कह दिया कि बिजनेस कमेटी का यह निर्णय है । मैं नहीं जानता कि उसने कोई निर्णय किया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

एजेंडा घूमा सब के पास । यह मुमकिन है कि किसी वजह से गलती हो गयी जिससे ऐसी बात हो गयी ।

श्री कमलासिंह यादव—

हर पार्टी को इसके लिये अलग-अलग नोटिस देना चाहिये ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अच्छा होता कि पार्टी के विहप को ही अवसर दिया जाता जो पार्टी की ओर से राय जाहिर करते ।

श्री उपाध्यक्ष—

२५ फरवरी, १९६४ को उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ के अननुमोदन के संकल्प के लिये भी शेष २१ मिनट का समय दे दिया जायेगा । २५ फरवरी, १९६४ को आय-व्ययक की मांगों पर मतदान था, उसके स्थान पर २८ मार्च, १९६४ का दिन आय-व्ययक की मांगों पर मतदान एवं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४ के पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसके पारण के लिये और दे दिया जाय । पहले उक्त विनियोग विधेयक, २६ मार्च, १९६४ को रखा गया था और २८ मार्च, १९६४ को शनिवार होने के कारण बैठक नहीं रखी गयी थी ।

मुझे आशा है कि इससे सदन सहमत है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है । (किसी ने आपत्ति नहीं की)

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, तथा स्थायी समितियों के निर्वाचन के परिवर्तित कार्य-क्रम की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

उक्त समिति में यह भी निश्चय किया गया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्न प्रकार परिवर्तित कर दिया जाये—

१—नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की तिथि तथा समय ..	१० मार्च, १९६४ के सायंकाल ५ बजे तक ।
२—नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ..	१४ मार्च, १९६४ को २ बजे तक ।
३—नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय ..	२० मार्च, १९६४ को सायंकाल ५ बजे तक ।
४—निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ ..	२५ मार्च, १९६४ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय नियम ५२ के संबंध में चर्चा हो रही थी, उसके संबंध में पूर्ण निर्णय नहीं हो पाया ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो हो गया ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जरवल शुगर मिल के संबंध में मैंने एक नियम ५२ दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसे अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार नहीं किया ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

उसे माननीय मंत्री के वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री उपाध्यक्ष--

वह भेज दिये होंगे, उसे बतलाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री हरीशकुमार गंगवार--

आवश्यकता इसलिये है कि वहां पर गन्ने की बड़ी गम्भीर समस्या है।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा आइटम लेने के पहले आप पहले मेरा निवेदन सुन लें। जिस समय विशेषाधिकार के प्रश्न का जिक्र माननीय अध्यक्ष महोदय कर रहे थे उसी समय मैंने उनको यह याद दिलाया कि सरकारी आदेश के बावजूद भी माननीय नैनसिंह को अधिक दिनों तक जेल में रखे जाने के संबंध में मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित कर चुका हूं। कल उन्होंने कहा था कि ५ बजे तक देख कर इस पर निर्णय करेंगे। आज पुनः मैंने इस बात की तरफ माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट किया, फिर भी कोई निर्णय नहीं सुनायी दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

वह बाद में करेंगे, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है।

आइटम--७

९ दिसम्बर, १९६३ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६-७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

उपाध्यक्ष जी, शोधन वक्तव्य दिनांक ९ दिसम्बर, १९६३ को श्री ईश्वरशरण तथा श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ६-७ के संबंध में, श्री उग्रसेन ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि इस दुर्घटना की सरकार ने कोई जांच कराई ? यदि हां, तो क्या नतीजा निकला ?

जिस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "इसकी जांच ट्रांसपोर्ट विभाग से हुई थी। नतीजे से मैं इस समय अवगत नहीं हूं।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है कि "जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह दुर्घटना एक दैवी प्रकोप के कारण हुई।"

प्रदेश की खाद्य स्थिति के विषय में केन्द्रीय सरकार से हुई बातचीत के संबंध में रसद मन्त्री का वक्तव्य

*रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने जो बिचार व्यक्त किये उनसे मैं पूर्णतः सहमत हूं और मैं पूर्ण परिस्थिति का सिंहावलोकन कराने के लिये सब बातें आप के सामने रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

'नवम्बर और दिसम्बर १९६३ में बढ़ते हुए गेहूं के आफ टेक को देखते हुए राज्य सरकार ने इस बात का प्रयास किया कि अधिक से अधिक मात्रा में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से उपभोक्ताओं को गल्ला मिल सके। राज्य सरकार ने दिसम्बर, में २४ हजार टन, जनवरी, में ६६,५०० टन, फरवरी में १ लाख टन गेहूं की मांग केन्द्रीय सरकार से की। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने राज्य में स्थित सम्पूर्ण रोलर फ्लावर मिल्स में जो आटा बनता था उसको भी अपने नियंत्रण में लेकर उपभोक्ताओं को सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों के द्वारा वितरित करने के लिये ले लिया और काफी मात्रा में वितरण करने के लिये उचित आदेश भी जारी कर दिये। गेहूं जो जनवरी के माह में मांगा था वह अलाट तो अवश्य हो गया परन्तु उसके पहुंचने में विलम्ब हुआ। किन्हीं कारणों से कुछ आटा मिलों में पिसाई कम हो पाई इन सब कारणों से तथा भविष्य में रेगुलर सप्लाई के लिये मैं केन्द्रीय खाद्य मंत्री से दिनांक १८ फरवरी को मिला।

केन्द्रीय खाद्य मंत्री को मैंने राज्य की खाद्य स्थिति से अवगत कराया और राज्य सरकार की चिन्ता उनके सामने प्रकट की। वे स्वयं भी स्थिति से परिचित थे और उनको भी इसकी चिन्ता थी उन्होंने सारी बातों पर सहानुभूति पूवक गौर किया और आश्वासन दिया कि हमारी मांग जो १ लाख टन प्रति माह की है और यदि आवश्यकता पड़ी तो अधिक मात्रा में भी वे पूरा करेंगे।

जनवरी माह के ६६,५०० टन गेहूं के कोटे व लगभग ५१ हजार टन प्राप्त हो चुका है। शेष १५ हजार टन भी पोर्ट्स में आना बाकी है। फरवरी में जो १ लाख टन का अलाटमेन्ट हुआ है उसमें से ५५ हजार बम्बई, कलकत्ता, कांडला से मिला है और शेष ४५ हजार टन केन्द्रीय सरकार के उत्तर प्रदेश में स्थित गोदामों से मिलना है। सूचना प्राप्त हुई है कि केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में स्थित गोदामों से तथा बम्बई और कलकत्ता से माल लादना आरम्भ हो गया है। लेटेस्ट सूचना के अनुसार १८ व १९ फरवरी को निम्नलिखित आंकड़ों में माल आगरा तथा हापुड़ गोदामों से चल दिया है :

	मैट्रिक टन्स
फिरोजाबाद	३००
शिकोहाबाद	२२०
अलीगढ़	३२०
एटा	११०
हाथरस	२२०
मथुरा	३३०
बुलन्दशहर	५००

बम्बई और कलकत्ता पोर्ट्स पर राज्य सरकार ने एक-एक कर्मचारी भेज दिया है ताकि अपने सामान को शीघ्रातिशीघ्र लदा सकें। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में स्थित केन्द्रीय गोदामों पर आवश्यक कर्मचारी राज्य सरकार ने लगा दिये हैं जो जल्दी से जल्दी माल रवाना करेंगे।

केन्द्रीय खाद्य मंत्री को अपनी १ लाख टन की मांग प्रस्तुत करते हुए मैंने इस प्रकार आंकड़े दिये कि गत वर्ष जनवरी मास में जहां लगभग ६ लाख टन गेहूं वितरित होता था वहां इस साल ४० हजार टन गेहूं आटे के अतिरिक्त वितरित हुआ है। फरवरी के पहले सप्ताह में सस्ते गल्ले की दूकानों से १३ हजार टन से अधिक गेहूं एक ही सप्ताह में वितरित हुआ। अतः उनसे अलाट किये हुए माल को जल्दी से जल्दी रवाना कराने के लिये अनुरोध किया है और गेहूं रवाना होने लगा है। मिलों को मिलने वाले गेहूं भी नहीं रुकना चाहिये इसके लिये भी उनसे कहा। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को हमारे सामने ही उचित आदेश दे दिये थे। इस समय लगभग सभी जिलों में माल है और कोई ब्रेक डाउन नहीं है।

एक सदस्य---

अभी मक्खनपुर का बाजार कल लुटा है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं कहूंगा अगर हल्ला करने से पहुंच जायगा तो दूसरी बात है। आप हल्ला न करें इससे काम नहीं चलेगा । मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे पास हर जिले की १४ तारीख की रिपोर्ट है कि वहां पर कितना माल था । मिर्जापुर २,०००टन, राबर्टसगंज २०० टन, जौनपुर २,००० टन, शाहगंज ६०० टन, काजीपुर सिटी ८०० टन, जमनिया ५०० टन, मोहमदाबाद में ८०० टन, बलिया ४००, रसड़ा ४०० टन, सूर्य मानपुर ६०० टन, चितबरागांव में ६०० टन, बिल्थरा रोड ४००, आजमगढ़ ३,००० टन, मऊ ८००, दोहरी घाट में ८००, देवरिया सदर १,२००, पडरौना ७००, बरहज बाजार ४०० टन, भाटपार रानी, ३०० टन, गोरखपुर ३,००० टन, सहजनवा १,००० टन, बस्ती १,००० टन, गोंडा ५००, बलरामपुर ६००, बहराइच ६००, वाराणसी में १,८०० टन ।

कानपुर रीजन में, फर्रूखाबाद २,५०० टन, कनौज ५००, छिबरामऊ ३००, जसवन्त नगर ५००, इटावा २,०००, भरथना ५००, अछल्दा ३००, दिबियापुर ३००, औरैया, ५००, पोखरायां ३००, रूरा २००, बिन्दकी १,००० खागा ५००, फतेहपुर २,५०० टन ।

		क्विंटल			क्विंटल
झांसी में	..	४,०००	अटारा में	..	५००
ओरई में	..	२,०००	करवी में	..	५००
काल्पी में	..	१,५००	महोबा में	..	१,०००
ललितपुर में	..	८००	हमीरपुर रोड	..	३००
मौरानीपुर में	..	५००	इलाहाबाद में	..	५९८
					००
कोंच में	..	१,०००	कानपुर में	..	४४२
बांदा में	..	१,०००			
इस प्रकार कानपुर रीजन में		२५,०००			

(००८-२-
१४ वाले
सप्ताह में)

लखनऊ रीजन में स्थिति इस प्रकार है---

सुल्तानपुर में	..	३,०००	राम नगर में	..	५००
फैजाबाद में	..	२,१००	तनकपुर में	..	८००
अकबरपुर में	..	१,०००	कोटद्वारा में	..	८००
प्रतापगढ़ में	..	१,७००	बिजनौर में	..	२,०००
बाराबंकी में	..	१,०००	नजीबाबाद में	..	४००
उन्नाव में	..	९००	पीलीभीत में	..	६००
सीतापुर में	..	१,३००	रामपुर में	..	२००
रायबरेली में	..	९००	बदायूं में	..	२,०००
लखीमपुर खीरी में	..	५००	काशीपुर में	..	४००
हरदोई में	..	१,१००	अल्मोड़े की फीगर्स नहीं पहुंची हैं ।		
हलद्वानी में	..	१,२००			
		२५,०००			२५,०००

(श्री लखीसिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय लखीसिंह जी जरा आप बैठ जाइये ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जरा सुन तो लीजिये ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

हर जिले की मांग कितनी-कितनी है, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने बताया है १४ तारीख की फीगर्स हैं । यह बात सही है कि कुछ दूकानदार ऐसे हैं जिनकी ताकत नहीं है कि वह पूरा कोटा उठा सकें । इसलिये वे विलम्ब करते हैं अपना सामान उठाने में । (व्यवधान) मैं यह भी मानता हूं कि हो सकता है कि जो कर्मचारी उससे संबंधित हों वे स्वयं पैसा बनाने के लिये कुछ गड़बड़ी करते हों ।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

अगर ऐसा है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जो टन्स मैंने कहे है वे क्वीन्टल में है । आप सब के हल्ला करने से गरीबों का नुकसान हो रहा है । आप केवल डिबेट कराना चाहते हैं । हल्ला करने से, प्रदर्शन करने से मसला हल होने वाला नहीं है । आप जरा सुन लीजिए । इस बुराई को मिटाने के लिये क्या तरीका हो । मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि खाद्य समिति मैंने हर जिले में बना दी है । इस संबंध में आदेश करने जा रहा हूं कि होली की छुट्टियों में बैठक बुलाई जाय । कमेटी को यह अधिकार दिया है कि बहुमत से वह यह कहेगी कि फलां शख्स खराब काम करता है तो वह निकाल दिया जायगा और अगर कोई दूकानदार गोदाम से माल नहीं उठाता है तो उस दूकानदार को हटा दिया जायगा। लेकिन कुछ आदमी शिकायत करें और कुछ उसकी तारीफ करें यह नहीं होना चाहिये । सख्ती से काम लीजिये और खाद्य समिति के सदस्य शहर-शहर घूमें और जो ब्लैक करता है उसकी जांच करें, उसकी शिकायत करें, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी । दो सेर ६ छंटाक का आटा मिलेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो रिपोर्ट करिये । आप हमारी मदद कीजिये। चेक कीजिये और हमें रिपोर्ट दीजिये । (व्यवधान) अगर आदरणीय सदन के सदस्यों को भी सही जानकारी न हो तो बड़े अफसोस की बात है । जिलाधीशों को आदेश भेज दिये गये हैं कि खाद्य समिति के साथ उसका पूर्ण सहयोग हो और यह देखें कि कोई दूकानदार बदमाशी अथवा ब्लैक न कर सके ।

कानपुर में जहां तक आटा, गेहूं व चावल भेजने का सवाल है गेहूं दिसम्बर में ५,६२० क्वेन्टल, जनवरी में ११,००० क्वीन्टल और फरवरी, में ११,२३० क्वीन्टल भेजा गया। चावल दिसम्बर में १,६१० क्वीन्टल, जनवरी में १,८०० और फरवरी, में १,६१० क्वेन्टल भेजा गया और आटा दिसम्बर में १,४०० बोरी, जनवरी में ५,५५० बोरे और फरवरी में ४,७१२ बोरे भेजे गये । अगर कोई आदमी ब्लैक करता है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी । अगर कोई अधिकारी कोआपरेट नहीं करता तो उसे हम सर्विस से टर्मिनेट कर देंगे और हमीरपुर के डी० एस० को सस्पेंड कर रहे हैं । (व्यवधान) हमारी और पब्लिक की तो जान चली गयी, लेकिन आप को मजा नहीं आ रहा है ।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

शायद सदस्यों को यह बात मालूम है कि राज्य सरकार ने आटे के दामों पर नियंत्रण लगा दिया है जिसके फलस्वरूप कोई भी आटा नियंत्रित भाव से अधिक भाव पर नहीं बेंच सकता है। जिलाधीशों को कड़े आदेश भेज दिये गये हैं कि जो भी नियमों का उल्लंघन करे उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय। साथ ही साथ यह भी आदेश दे दिये गये हैं कि जिलाधीश सलाहकार समिति के सदस्यों का पूर्ण सहयोग इस विषय पर प्राप्त करें जिससे जनता को उनकी मांग के अनुसार खाद्यान्न मिल जाय और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ भी उचित कार्यवाही की जा सके।

इन आदेशों के बावजूद हमारे पास काफी स्टाक मौजूद है और मैं ईमानदारी से कहता हूं कि हमको रात-दिन नींद नहीं आती है और स्वप्न में भी इन्हीं बातों को हम सोचते हैं। अगर कोई भी पोलिटिक्ल पार्टी का आदमी इस संबंध में खिलवाड़ करता है और फायदा उठाता है, तो उससे बढ़ कर देशद्रोही कोई नहीं है। इसलिये इसमें आपका सहयोग प्राप्त होना चाहिये और तभी यह बीमारी दूर हो सकती है। आपकी मदद और भगवान पर हम भरोसा करते हैं और आशा है कि यह महामारी रह नहीं सकती अगर आप सच्चे दिल से मदद करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इस पर वाद विवाद नहीं होगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, २-३ सवाल पूछने हैं।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

पांच सवाल कर लीजिये।

श्री नेकराम शर्मा --

श्रीमन् मेरा सवाल यह है कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक उन्होंने कितने ट्रेडर्स को पकड़ा है और उनको पकड़ने की क्या योजना है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अध्यक्ष महोदय, मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं। सही आंकड़े परसों दे दूंगा। करीबन २०० से ऊपर मेरठ रीजन में पकड़े हैं और लखनऊ तथा कानपुर वगैरह में भी अरेस्ट्स हुए हैं। जो बढ़ती हुई कीमतों पर चीजें बेच रहे हैं उनका हम प्रोसीक्यूशन कर रहे हैं और किसी प्रकार का रहम नहीं खा रहे हैं। हमने आदेश दे दिया है। मैं जानता हूं कि यहां के ट्रेडर्स पंजाब से ४ हजार टन अनाज लाये हैं। इन लोगों का जो अकाउंटिंग रहता है उसका अंदाजा हमें रहता है। हमारा खयाल है कि १५-२० हजार टन लोगों के पास है। रेवेन्यू के आंकड़ों के मुताबिक ४५ हजार टन ट्रेडर्स के पास होना चाहिये। अब हम इस बात का प्रबन्ध कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बाहर इसका एक्सपोर्ट न हो। दो तीन चीज हम कर रहे हैं। एक तो यह कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूवमेन्ट बन्द हो। दूसरा यह कि उनका स्टाक ले लें। लेकिन इसमें देखना यह होता है कि इसका मार्केट पर क्या असर होता है। यह सोचने और समझने की बात है। मगर यह जरूर है कि अगर ट्रेडर्स एसोसियेशन ने कीमतों के घटाने में अगर हमारी मदद नहीं की तो हम उनको जिन्दा छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं और कुचलने के लिये तैयार होंगे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी इस बात का अहसास जरूर करेंगे कि अभी फसल कटने का वक्त नहीं है और जिस अनाज की कमी बताई जाती है वह पिछले वर्ष का मौजूद था, लेकिन उसको लोगों ने छिपा लिया। जो पाला और पत्थर पड़ा है इसका असर तो अगले वर्ष की उपज पर पड़ेगा। तो यह निश्चय है कि बाजार से अनाज की चोरी की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसको रोकने के लिये क्या सरकार ने और उसके विभाग ने कोई बात सोची है कि उस अनाज को बाजार में लाया जाय और उसे ठीक दाम पर बिकवाया जाय? दूसरी बात यह है कि इसको विजिलेंस कमीशन के सुपुर्द कर दिया जाय कि जो अनाज फेयर प्राइस शाप्स को दिया गया है वह किस तरह से बिके और उस अनाज को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में वह मदद कर सके। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि जो नेगीजी ने बताया कि इतना अनाज हमने भेजा, यह सही है, सरकारी गोदामों से तो अनाज निकल जाता है, लेकिन वह कन्ज्यूमर के पास तक नहीं पहुंच पाता है। मैं सब को तो नहीं कहता लेकिन बड़ा भारी अंश इसमें है। इसलिये फेयर प्राइस शाप्स का मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ता। तो विजिलेन्स कमीशन या कोई भी सरकारी मशीनरी हो वह यह देखें कि फेयर प्राइस शाप्स से जो गल्ला निकलता है वह ठीक से कन्ज्यूमर तक पहुंच जाय और जो अनाज इस वक्त मौजूद है वह बाजार में ठीक कीमत पर मिल सके, इसके लिये सरकार कुछ सोच रही है या नहीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक इस बात का सवाल है कि मंडियों में जो गल्ला है उसके बारे में हमारे विभाग ने कुछ सोचा या नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ न सोचा हो। जब छोटी-छोटी बातों को हम सोचते हैं तो बड़ी बातों को क्यों नहीं सोचेंगे, लेकिन हमने क्या सोचा है अगर उसे यहां कह देंगे तो वह जनहित में नहीं होगा। जहां तक विजिलेन्स का सवाल है वह तो जब देखेंगे, तब देखेंगे, चार आदमी होंगे उसमें, मैं तो आप सब को विजिलेन्स कमेटी में रख रहा हूं और कह रहा हूं कि आपके जिले में जितना कोटा पहुंचता है, क्योंकि बगैर ग्राम सभापति के सार्टि-फिकेट के चीनी या आटा मिलता नहीं है मगर सब झूठे दस्तखत करके भेजते हैं और इसीलिये गाजीपुर के माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि आप हमसे न कराइये क्योंकि हम तो वोट मांगते हैं, झूठा सर्टिफिकेट देते हैं। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि आप डी० एस० ओ० से पूछिये कि कितना एलाटमेंट हुआ और वह एलाटमेंट उपभोक्ता तक पहुंचा या नहीं। यहीं से ५४ जिलों को विजिलेन्स कमेटी नहीं देख पायेगी। हर जिले में एक विजिलेन्स कमेटी में मैंने एलान कर दी है और कर रहा हूं कि आपको पूरी पावर है डी० एम० से पूंछने के लिये और अगर वह नहीं सुनते हैं तो आप मेरे पास आइये। इससे ज्यादा और विजिलेन्स क्या होगा?

श्री गंगा प्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

मैं एक इस बात की जानकारी दे दूं....

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

इधर से मौलिक प्रश्न है और उधर से कैजुअल सवाल है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

मैं एक जिले की या एक क्षेत्र की बात नहीं कहता हूं, बल्कि पूरे राज्य की बात कहता हूं कि क्या सरकार ने यह अनुमान लगा लिया है कि हमारी रबी की फसल में कितने लाख या करोड़ टन जो अनाज पैदा होने वाला था वह इस वर्ष नहीं होगा और उस अनुमान को देखते हुये क्या

[श्री भानुप्रताप सिंह]

खाद्य मन्त्री सन्तुष्ट हैं जो एक लाख टन अनाज उनको मिलने वाला है यदि वह मिल गया तो जो पैदावार की कमी है उसको वे पूरा कर सकेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जहां तक एस्टीमेट का सवाल है तो एस्टीमेट तो सभी लगाते हैं, वह रफ होता है। मगर उस रफ को बता कर के ट्रेडर्स के हाथ में क्या तलवार दे दूं ? इसलिये इस वक्त मैं एस्टीमेट नहीं बताऊंगा। जो हमारे एस्टीमेट्स हैं उनसे मैं कहता हूं कि सन् १९५९-६० में ३०-३२ रुपये मन गेहूं बिका। उस वक्त मैंने केवल २० हजार टन आटा और २५ हजार टन गेहूं बांट कर कीमतें नीची की थीं। हां, यह जरूर था कि फसल अच्छी थी। इस साल फसल खराब है। तो हमने २० और २५ हजार टन के बजाय १ लाख टन का निश्चय कर लिया है और उसके ऊपर जितना लगेगा वह भी लेंगे। इसलिये अगर आप एजिटेशन न करने दें तो ट्रेडर्स को मैं घुटने टिकवा दूंगा मैं आपसे कहता हूं। मगर आप तो हल्ला मचाते हैं।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा--

मैंने स्वयं आटा की तीन बोरियां पकड़ीं और वितरण अधिकारी को सूचना दी, लेकिन उन्होंने असमर्थता प्रकट की। लिहाजा मैंने पब्लिक में आटा स्वयं बंटवाया। हफ्तों से, महीनों से १ रुपया ६ आने, डेढ़ रुपये ढइया बिक रहा था। मैंने स्वयं आदमियों को ले कर छापा मारा और पकड़ा, लेकिन सप्लाई आफिसर ने कुछ नहीं किया लिहाजा मैंने आटा पब्लिक में, बंटवाया। इस तरह का रवैइया है। तो कैसे काम चलेगा ?

श्री जे० पी० मिश्र --

एक बात मैं माननीय खाद्य मन्त्री से जानना चाहता हूं कि ट्रेडर्स और स्टाकिस्ट्स और होल्डर्स के पास से जो गल्ला पकड़ेंगे और वह उठे मुंसिफ की कोर्ट में इंजक्शन ले लिया तो क्या खाद्य मन्त्री महोदय और उनकी सरकार इस बात पर विचार करने को तैयार है कि फूडग्रेंस के मामलों के सम्बन्ध में सिविल कोर्ट्स पर किसी कानून या आर्डीनेंस के जरिये रोक लगा दें कि सिविल कोर्ट्स दो-तीन दिन से ज्यादा इंजंशन न दें, और विदिन ए वीक फैसला हो जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

कोर्ट पर कैसे हो सकता है ?

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) --

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या आपको इसकी सूचना है कि सस्ते गल्ले की दूकानें सरकारी कर्मचारी दो-दो सौ रुपया लेकर दे रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी --

ऐसी बात है तो बहुत गलत है। आप नाम देंगे तो खाल खींच दी जायगी। इलाहाबाद की जो कह रहे थे मैंने कल ही टेलीफोन पर सारी बातें की हैं। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रख रहे हैं।

श्री जे० पी० मिश्र --

मैंने जो प्रश्न किया था उसका जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष--

अदालतों की बात पूछी इसलिये रह गया।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून) --

यह अदालतों की बात नहीं है। वह यह पूछ रहे हैं कि क्या इस किस्म का कोई कानून या आर्डीनेन्स सरकार लाना चाहती है जिसका सरकार को अख्तियार है ?

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद) --

देहातों में परची लेकर दूकान पर जाते हैं तो राशन कार्ड क्यों नहीं बनवा दिये जाते हैं ? इलाहाबाद में जो आटा मिल रहा है, दूकानदार खरीद कर सौ-सौ, दो दो बोरी ब्लैक में बेच रहे हैं। सप्लाई अफसर से मैंने कहा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा सप्लाई आफिस में क्लर्क लोग हर दूकानदार से पांच, दस, पन्दरह रुपये लेकर, तो दो-तीन दिन दौड़ाने के बाद परमिट देते हैं। इसका क्या रास्ता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

नोटिस के बगैर इसका जवाब कैसे दे सकते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) --

जैसा कि माननीय खाद्य मन्त्री ने स्वयं स्वीकार किया है इस समय जो खाद्यान्न और कीमतों का संकट है इसमें फ्री ट्रेडर्स का बड़ा हाथ है, जब कि वह केन्द्रीय सरकार में गये थे तो क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार से इस बात की दरख्वास्त की थी या मशविरा किया था कि इन बड़े-बड़े स्टाकिस्ट्स, ट्रेडर्स और होर्डर्स जिन्होंने संकट पैदा किया है, यह ऐलान कर, उनके खिलाफ किसी कानून, डी० आई० आर० का स्तेमाल करें कि जितने स्टाकिस्ट्स हैं, होर्डर्स हैं वह अपना स्टेटमेंट विदिन एक वीक या दस दिन के अन्दर दें, ताकि पता चल सके कि कितना गल्ला उनके पास है और वह गल्ला इस्तेमाल मे आ सके, इसके लिये कोई उपाय ढूंढें और दूसरी बात यह है कि आज जो संकट है उसको देखते हुये स्टेट ट्रेडिंग जिसके बारे में आपने एलान किया है कि हम उसको करेंगे, उसके लिये क्या आपने केन्द्रीय सरकार को सलाह दी कि स्टेट ट्रेडिंग लागू कर दी जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जितनी बातें यादव जी ने कहीं हैं इनके अतिरिक्त ये मौलिक बातें हैं और इसके अतिरिक्त बहुत सी मौलिक बातें हैं जिन पर विचार विमर्श हुआ है। उनके बारे में यहां पर बतलाना जन हित में नहीं होगा। जैसा उन्होंने कहा कि स्टाक कितना है तो उसका मैंने बता दिया कि हर आदमी दस क्विंटल एक अनाज और २५ क्विंटल सब मिलाकर के रख सकता है और बगैर लाइसेंस के दूकान पर नहीं रख सकता, उसको रिटर्न देना पड़ता है, तो वह रिटर्न आलरेडी हमारे पास है। अब सवाल यह है कि उस स्टाक को जब्त करके बेचने की बात है। तो हम उस पर विजिलेन्स और ज्यादा रख रहे हैं। उसका परिणाम क्या होता है, क्या नहीं होता, उस सब को सोचकर कदम उठाना पड़ता है। मगर यहां पर यह कहने की बातें नहीं हैं और न इसको खोलना ठीक है। यह समझने की बातें हैं। जहां तक स्टेट ट्रेडिंग का सवाल है चावल पर तो हमारा चल ही रहा है और इसी वजह से चावल के दाम में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। सिम्पैथेटिक तरीके पर थोड़ी-सी हुई हो यह दूसरी बात है। मगर चावल का स्टाक हमारा अपना है स्वदेशी। विदेशी गेहूं की वजह से कुछ झगड़ा पड़ा हुआ है। नहीं तो, ९९ परसेंट आदमियों को तो हम खिला ही रहे हैं चाहे चोरबाजार से हो, चाहे खुले मार्केट से हो, चाहे जैसे भी हो। केवल एक परसेंट आदमी ऐसा है जो कि शानदार आदमी है जो कि बहुत बढ़िया गेहूं खाता है उसी का प्रश्न इस वक्त ज्यादा है। बाकी दो लाख टन आटा और गेहूं तो हम वितरित कर ही रहे हैं। (शोर) जरा सुन लीजिये। जब आदमी के पास आर्ग्यूमेंट नहीं रहता तो हल्ला करता है और दिमाग का बैलेंस खो देता है। तो इस वक्त दो लाख टन हम अपना वितरण कर रहे हैं, वह चाहे चोरबाजारी से हो चाहे जैसे हो, यह मैं नहीं कहता लेकिन उसका भाव निर्धारित है। (शोर) तो मैं तो अर्ज कर रहा था उसके भाव के बारे में। ९९ परसेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

है उसके भाव को तो कोई नहीं कहता कि दो सेर ६ छटांक का आटा है। यहां पर डेढ़ सेर और सवा सेर की बात कही जाती है जो गेहूं कि वह आदमी खाता है जिसकी कि जेब भरी पड़ी है। उनके लिये क्या आपको हैरानी है? उनको खाने दीजिये। आप तो यह काम कीजिये, यह देखिये कि गरीब आदमी का पेट भरने के लिये अनाज मिल सके और गांव-गांव में उसके लिये दूकान खुले। लेकिन आप उलटी बातें करते हैं .....(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री बृजभूषणशरण का नाम पुकारे जाने पर) बस यह आखिरी सवाल है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी) —

जो लोग खड़े हैं उनको न बुलाकर आप उनको बुला रहे हैं जो बैठे हुये थे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं। वह पहले खड़े हुये थे, मैंने कहा था कि आप बैठ जाइये फिर प्रश्न कर लीजियेगा।

(शोर)

एक सदस्य —

क्या मैं नहीं खड़ा हुआ था.....(शोर).....यह कौन-सा तरीका है।

श्री उपाध्यक्ष—

बैठ जायं आप.....(शोर).....

श्री बृजभूषणशरण—

मैं नहीं पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा जाने दीजिये। अब यह प्रश्न समाप्त।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) —

श्रीमन्, हमने अपने जिले में स्मगलिंग का केस पकड़ा और पुलिस अधिकारियों के सिपुर्द किया, लेकिन फिर भी उसमें कुछ नहीं किया गया।

१९६४–६५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)*

†श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इस प्रदेश में सब से अधिक आबादी किसानों की है और इस बजट में कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिये सब से अधिक ध्यान दिया गया है। पिछले वर्ष के बजट में जो धनराशि कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिये रखी गई थी उससे इस वर्ष के बजट में लगभग २ करोड़ की धनराशि अधिक इस कार्य के लिये रखी गई है। कल माननीय शर्मा जी ने यह कहा था कि माननीय सुचेता जी के शासन में अगर कोई अचीवमेंट हुआ है तो वह अकाल का

---

*२० फरवरी, ९१६४ की कार्यवाही से।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ है। तो मैं इस सम्बन्ध में जो यह अकाल की स्थिति पाले से आई है और जिस पर अभी माननीय खाद्य मन्त्री जी ने काफी प्रकाश डाला है कि सरकार क्या उपाय कर रही है उसको दूर करने के लिये उस पर अधिक नहीं कहूंगा। सिर्फ यह कहूंगा कि यह एक दैवी प्रकोप है और इसमें सरकार का या सुचेता जी का दोष नहीं है। इस प्रकार का उनका आरोप बिलकुल मिथ्या है।

कृषि के अतिरिक्त बिजली के सम्बन्ध में भी इस बजट में काफी प्राविजन किया गया है। यह बात मानी हुई है कि राज्य के उद्योगों की वृद्धि विद्युत की वृद्धि पर ही सम्भव है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में बिजली की कई योजनायें जो पहले से चल रही हैं हरदुआगंज और रिहंद आदि की उनमें नई मशीनें लगाने का प्राविजन किया गया है जिससे बिजली शक्ति अगले वर्ष जो पिछले वर्ष ६०१ मे० वा० थी उसको बढ़ाकर ६१४ मे० वा० कर दिया गया है। यही नहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर १,५०० गांवों में बिजली देने के लिये लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन विद्युत् विभाग ने इसको बढ़ाकर ३ हजार कर दिया है जिसके लिये मैं विद्युत् विभाग को और उप मन्त्री महोदय माननीय शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी कार्यकुशलता से यह लक्ष्य १५,०० के बजाय ३,००० हो गया है। तीसरी योजना के अन्त तक प्रदेश के ३ हजार गांवों को बिजली मिल जायगी, लेकिन जहां मैं विद्युत विभाग की सराहना करूंगा वहां एक शिकायत यह भी करूंगा कि विद्युत के प्रसार में मेरे जिले की हसनगंज तहसील के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में असोढ़ा परगने को नहीं रखा गया है। उसके किसी गांव को बिजली देने की योजना नहीं रखी गई है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस पिछड़ी हुई मेरी तहसील को भी बिजली पहुंचाने की समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

श्रीमन्, बड़े उद्योगों और लघु उद्योगों की तरक्की के लिये भी सरकार ने इस बजट में काफी प्राविजन किया है। गाजियाबाद और बरेली का तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही रहा है। उसके साथ जो ५१ स्टेट्स बनने वाली थीं उनमें से ८ का कार्य समाप्त हो गया है और ३९ में कार्य चालू है। उद्योगों की प्रगति में रुकावट पड़ती है विदेशों से मशीनें न आने के कारण और कच्चा माल न मिलने के कारण। इसको दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सड़क निर्माण के लिये भी इसमें काफी व्यवस्था है। पिछले सालों में ७३१ मील सड़कों का निर्माण हो चुका था। इस वर्ष का लक्ष्य भी ४०२ मील सड़क बनाने का रखा गया है और २२ नये पुल बनाने का प्राविजन भी इसमें किया गया है और इसके लिये साढ़े ६ करोड़ का प्राविजन किया गया है। इस सिलसिले में भी मैं अपनी तहसील का जिक्र करना चाहूंगा। वहां की एक सड़क कांथा से कानूखेड़ा के लिये हम लोग बराबर लिखते रहे, लेकिन उसे नहीं लिया गया।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसकी उपयोगिता को देखते हुये उसे जरूर लिया जाय। असोहा ब्लाक का केन्द्र भी है और वहां पुलिस स्टेशन भी है। डकैतियों के कारण इधर वह प्रदेश बड़ा अरक्षित हो गया था। इसलिये वहां तक सड़क बनायी जाय, ताकि जिले से और दूसरे थानों से पुलिस वहां आसानी से और शीघ्र पहुंचे सके। श्रीमन्, इस बजट में जो नयी सब से अधिक कल्याणकारी चीज रखी गयी है वह है वृद्धावस्था पेंशन को १५ रुपये से बढ़ा कर २० रुपये करना। इसके अतिरिक्त जूनियर तथा बेसिक सीनियर स्कूल के अध्यापकों को, जिनकी सेवा ३ वर्ष की हो गयी हो, ६ मास की ग्रेचुयटी देने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही ९५ रुपया वेतन पाने वालों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्राविजन किया गया है। सरकार ने वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण के लिये भी समिति बनाने का निर्णय लिया है। भ्रष्टाचार के विषय में बहुत कहा जाता है। उस सम्बन्ध में भी सुचेता जी की सरकार ने विजिलेन्स कमीशन नियुक्त करने की घोषणा की है और वह शीघ्र ही अपना कार्य प्रारम्भ करेगा, लेकिन जब तक उसमें जन सहयोग और हमारे माननीय सदस्यों का सहयोग नहीं होगा वह कमीशन कुछ नहीं कर सकता। आज तो समाज में इस बात की प्रेरणा देने की जरूरत है कि लोग रिश्वत न दें। अगर देने वाला तैयार न होगा तो अधिकारी कैसे ले लेंगे? इस सम्बन्ध में मैं उप गृह-मन्त्री के प्रति आभार प्रकट

[श्री श्रीराम तिवारी]

करूंगा जिन्होंने एक नयी परिपाटी सरप्राइज विजिट कर डाली है। उन्होंने कई थानों में जाकर सरप्राइज विजिट की है। अगर दूसरे विभागों के मन्त्रिगण और उप मन्त्रिगण वह तरीका अख्तियार करें तो भ्रष्टाचार दूर करने में सहायता मिलेगी और साथ ही सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) —

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट आदरणीय वित्त मन्त्री के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उसको मैंने पढ़ा भी और अभी तक जो वाद-विवाद हुआ उसको भी मैंने ध्यानपूर्वक सुना। बजट के पढ़ने के बाद और माननीय मन्त्री जी के भाषण के सुनने के बाद एक किसी कवि का कथन मुझे याद आया, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं —

"इन आंखों ने क्या-क्या तमाशा न देखा—हकीकत में जो देखना था न देखा।
बहुत शोर सुनते थे इस अंजुमन का—यहां आ के जो कुछ सुना था न देखा।
बहुत दर्दमन्दों को देखा है तू ने—यह सीना, यह दिल, यह कलेजा न देखा।"

मान्यवर, यह बजट की स्थिति है। अब मुझे यह कहना है कि जिनके पास कोई स्थायी सम्पत्ति नहीं है उनके लिये जो बजेटिंग का रास्ता चला आ रहा है उसमें कभी भी कोई व्यवस्था साफ दिखलाई नहीं पड़ी। बजट के दो हिस्से हैं। एक तरफ है पूंजी—दूसरी तरफ श्रम। यह पूंजी वालों के हाथ से बना हुआ है जो श्रम को बिलकुल निगल गये। श्रम को बढ़ाने के लिये, श्रमिक को आगे बढ़ाने के लिये कोई गुंजायश नहीं है। यह बजट पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है, कम्यूनिज्म को जन्म दे रहा है। ये नये-नये तरीके जो अख्तियार किये जा रहे हैं, गरीबी को बढ़ाया जा रहा है और ख्वाहमख्वाह ९९ प्रतिशत जनता के दिमाग में यह बात पैदा कर रहे हैं कि पूंजीवाद के खिलाफ वह कुछ करे। इतना ही नहीं, सरकार की सुधारवादी नीतियों ने देश के श्रम पर कुठाराघात किया है। आज श्रमिक के मन में एक विशेष उथल-पुथल-सी मची हुई है कि आखिर वह करे तो क्या करे। मैं उसका नक्शा खींचकर आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर सरकार की ठेकेदारी प्रथा आज चल रही है। सरकार के शैड्यूल रेट के अनुसार सरकार के खजाने से ठेकेदार लोग तो पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन जितना लेते हैं उतना वे श्रमिकों को नहीं देते। डेढ़ रुपये प्रति दिन के हिसाब से अगर लिया जाता है, तो श्रमिकों को १२ या १४ आने ही दिया जाता है। तो वह क्या है? क्या वह पूंजीवाद को बढ़ाने वाला बजट नहीं है?

मान्यवर, यह जो दैवी प्रकोप हुआ है उसका प्रभाव सबसे ज्यादा सम्पत्तिहीन व्यक्तियों पर ही पड़ा है। मैं आपको बतलाऊं कि सरकार की तरफ से किसानों को जो छूट मिली है वह किसानों को तो मिल गयी, मगर जिन किसानों ने, एक रुपये लगान की जमीन ५० रुपये के हिसाब से भूमिहीनों को दे रखी थी और उनसे कई गुना कीमत वसूल करते थे, उन भूमिहीनों का क्या होगा? उनको कैसे छूट मिलेगी? छूट तो जिसकी जमीन है उसी को होगी। इसलिये ऐसी नीति हरिजन भूमिहीनों को तबाह करने वाली है।

मान्यवर, आज हरिजन समाज की विचित्र स्थिति है। मैं आपको बतला रहा हूं कि इन १६ सालों के अन्दर हरिजनों और श्रमिकों की महान् दुर्गति हुई है और इन लोगों को महान खतरा पैदा हो गया है। सरकार ने कहा था कि हम जमींदारी तोड़ने जा रहे हैं और उसके बाद जो जमीन होगी वह भूमिहीनों को दी जायेगी। मगर हुआ क्या? जमींदारी टूटी, आपने उनको मुआवजा दिया, पुनर्वास दिया, उनको कर्जा दिया और जो प्रापर्टी उनकी निकली उसको उन्होंने बेच खाया।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चकबन्दी हो रही है। यह कहा गया कि उससे जो जमीन निकलेगी वह हमको दे दी जायेगी। एक गांव का मुझे किस्सा मालूम हुआ। वहां पर जिन लोगों के चक बन गये हैं, वे यह कहते हैं कि सुबह होते ही लाठी लेकर वे अपने चकों पर बैठ जाते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं। अब बताइये बच्चे वगैरह पाखाने कहां जायं? इतना ही नहीं, जो जमीन जानवरों आदि के चरने के लिये खाली पड़ी हुई थी, उस जमीन को भी अब चकों में लिया जा रहा है। हरिजन कहां जायगा ? माननीय मंत्री जी ने इस विषय पर इस बजट में कोई चर्चा नहीं की। आज तक जितनी योजनायें सरकार की ओर से हरिजनों और पिछड़े वर्ग वालों के लिये चलीं, जिनके लिये बार-बार यह कहा गया कि कार्य असफल हुये, उनमें हरिजनों आदि का कितना नुकसान हुआ, लेकिन सरकार की ओर से दो आंसू भी नहीं बहाये गये। इसलिये इस बजट को हम क्या करें ? मैं मांग करता हूं कि तुषार पाला आदि से हुई क्षति के सम्बन्ध में यदि किसानों के सभी प्रकार के पुराने कर्ज रोक दिये जाते हैं और छूट दी जाती है, तो उसके साथ सरकार यह भी आदेश निकाल दे और गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवाया जाय कि जो जमीनें कई गुने पर भूमिहीनों को देकर जुतवाई गई हैं उनका वे लगान नहीं देंगे। किसी खेत का लगान १ है तो ५० और ७० रुपये पर उठा है। हर गांव में यह है। जांच करा लीजिये।

मान्यवर, हमारी दिक्कतें दूर होंगी कैसे ? सरकार ने न मालूम कितना रुपया हरिजनों और पिछड़ी जातियों के नाम पर लुटाया है। कितने ही कमीशन बैठाले गये और क्या-क्या रिपोर्टें आईं ? केवल दिखाने के लिये काका कालेलकर कमेटी भी बनी, लेकिन इन रिपोर्टों के बारे में सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है, जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारी हालत दिन पर दिन गिरती चली गई है।

मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं पूछता हूं कि हमारी दिक्कतें दूर होंगी कैसे ? देश में नव-निर्माण हो रहा है। उसमें श्रम प्रमुख है। (लाल बत्ती होने पर) मुझे आप कितना समय दे रहे हैं ? सब को २० मिनट दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष

१५ मिनट। और भी बहुत से बोलने वाले हैं। समय कम है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

हम हरिजन हैं। हम गरीबी की दुर्दशा बता सकते हैं, इसलिये हमारे साथ समय की भी कटौती हो रही है। अफसोस है कि इसको दिल में लेकर जाऊंगा। हमारा कल्याण होगा कैसे ? देश में नव-निर्माण हो रहा है। उसमें पूंजी और श्रम को बराबर हिस्सा मिलना चाहिये, परन्तु आज पूंजी वाला ९९ प्रतिशत ले जाता है और केवल १ प्रतिशत श्रम को मिल रहा है। इस प्रकार पूंजी वाला सारा हिस्सा मार ले जाता है। श्रम से पूंजी बनती है। इसलिये सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि पूंजी और श्रम का मूल्य समाज में बराबर होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि स्थानीय समस्याओं का अध्ययन सरकार की ओर से कराया जाय। उनको सुलझाने के लिये प्राकृतिक मैटीरियल मौजूद है, जिससे सरकार काम करके हमारा कल्याण कर सकती है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि वह टैक्स लगावेंगे, उसमें हमारा सहयोग चाहते हैं। समाज के ऊपर कोई टैक्स न लगाया जाय तो भी आमदनी आपकी हो सकती है और उसके लिये मैं कुछ जगह बता दूं। पहली बात तो यह है कि जमींदारी टूटने के बाद जितनी सम्पत्ति ग्राम समाज और सरकार की घोषित हुई है उसका पता शीघ्र कराया जाय। उसमें बहुत बड़ी रकमें खाई गई हैं। उसे सरकार अपने हाथ में ले। यदि वह सम्पत्ति उत्पादन देने वाली है तो जमींदारी उन्मूलन से ले कर आज तक उसका सर्किल रेट से लगान लिया जाय। इस से एक बहुत बड़ी रकम मिल सकती है। विकास क्षेत्रों में जिन-जिन तिथियों में जो काम

[श्री नाथूराम शिक्षक]

हुये हैं और उनके लिये जो रुपया दिया गया है उसका जाँच करायी जाय। काम नहीं हुये और सारा रुपया गोलमाल में गया है। यह रुपया भी मिल सकता है।

तीसरा सुझाव यह है कि हरिजनों और पिछड़ी जातियों के सुधार के लिये जितनी रकमें दी गई हैं उनकी भी ठीक जांच कराई जाय, तो बहुत बड़ी रकम आपके हाथ में वहां से भी आ सकती है। चौथी बात यह है कि ठेकेदार लोग कितना ही पैसा किसी स्थान की अधिक दूरी मानकर सामान मंगाने का चार्ज कर लेते हैं। भगवान की कृपा से वह मैटीरियल उसी स्थान पर मिल जाता है, जिस से बहुत बड़ी रकम बच सकती है। सड़क बनाने में सड़क के किनारे ही कंकड़ मिल सकता है, लेकिन चार्ज उन्होंने कर लिया है बनारस से। तो बहुत बड़ी रकम यहां से भी बच सकती है। अन्त में एक बात और कह दूं। मैं अपने ऊपर इस बात को ले कर फिर बता रहा हूं कि गिरधर कविराय की एक कुंडली है कि "जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजे संग, जो संग राखे ही बने तो कर राखे हरिजन।"

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का स्वागत करते हुये कई उन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं जिन पर हमारे प्रदेश को और सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। कुछ कहने के पहले म इस बजट में जो नयी बातें हुईं उनके लिये विशेष रूप से वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं। शिक्षा संस्था से सम्बद्ध तथा शिक्षकों के बीच में कार्य करने के नाते मैं इस बात के लिये बधाई देती हूं कि सर्वप्रथम हमारी सरकार ने शिक्षकों के लिये ग्रेचुइटी का प्रबन्ध किया है। यह एक अच्छा कदम है। छोटी-छोटी तनख्वाहें पाने वाले प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिये और उन अध्यापकों के के लिये भी जिन्होंने तीन वर्ष की अपनी सेवा पूरी कर ली है, उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को ६ महीने का मूल वेतन देना, यह एक सिक्योरिटी है सर्विस में, जिसकी समाजवादी व्यवस्था में, वैलफ़ेयर स्टेट में बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस प्रश्न को लेकर शिक्षक संस्थाओं ने समय-समय पर सरकार को अपने आवेदन-पत्र दिये और कांफ्रेंसेज में इस प्रकार की आवाज उठाई गई।

दूसरा कदम जो इस बजट द्वारा उठाया गया है वह महंगाई भत्ते की वृद्धि है। यद्यपि यह रकम बहुत थोड़ी है, लेकिन प्रदेश के रिसोर्सेज को देखते हुये ऐसी महंगाई के समय में इतना करना भी एक अच्छी बात हुई है। लेकिन जहां छोटे कर्मचारियों के लिये ५ रुपया भत्ता बढ़ाया गया वहां पर ४५० से ८५० तक के ग्रेड वालों के लिये ४० रुपया भत्ता बढ़ाया गया है। इस से असमानता और भी अधिक बढ़ने वाली है। लेकिन जैसा हर क्षेत्र में होता है कि हमारे अधिकारीगण ऐसी समस्यायें उत्पन्न कर देते हैं कि कभी-कभी इस तरह के तर्क उपस्थित कर देते हैं और ऐसी बातें हो जाती हैं जिसका संतोषजनक जवाब जनता को नहीं दिया जा सकता। यह बात सही है और बड़े अधिकारियों के साथ पूरी सहानुभूति रखते हुये यह कहना चाहती हूं कि इस महंगाई वगैरह की ज्यादा तकलीफ कम तनख्वाह पाने वालों को ही है, लेकिन उनको तो ५ रुपया दिया गया और जिनको ज्यादा तनख्वाह मिलती है उनको ४० रुपया दे दिया गया है। यह बहुत न्याय की बात नहीं हुई।

हमारे नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में लगभग ३० मिनट योजना के विरोध में बहुत-सी बातें कहने में लगाये। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में आंकड़ों के द्वारा यह सिद्ध करने का पयत्न किया कि योजनायें निरर्थक हैं और उनके परिणामों को विनाशकारी बताया। इस

तरह की बात कहना वैसा ही है जैसा कि आज के जमाने में यह कहना कि रेलगाड़ी छोड़कर बैलगाड़ी में चलना आरम्भ कर दो। आज सभी देश कन्ट्रोल्ड एकोनामी में विश्वास करते हैं। आज अमेरिका और इंगलैंड आदि देशों में भी ऐसी बात नहीं है कि स्टेट कोई हस्तक्षेप न करती हो। मिश्र, चीन और रूस आदि ऐसे भी देश हैं जो प्लान्ड एकोनामी के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं और अपनी आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। भारत में योजनाबद्ध तरीके से जिस अर्थ व्यवस्था को स्वीकार किया गाय है, आज हमने जिस समाजवादी समाज की रचना की घोषणा की है, उसमें योजना के द्वारा ही जल्दी से जल्दी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नेत विरोधी दल ने जिन बातों को योजना के विरुद्ध बताया, हम भी उन्हीं तर्कों को योजना के समर्थन में समझते हैं और योजना के ऊपर उन्हीं के बल पर हमें विश्वास होता है।

कहने का तात्पर्य है कि जिस देश के पास साधन की कमी होती है, जिस देश में बेकारी और गरीबी ज्यादा होती है और जिस देश को जल्दी से आगे बढ़ना होता है, उसको एक नक्शा बनाना ही पड़ता है, उसके पास जो साधन हैं उनको एकत्र करके योजना बद्ध तरीके से आगे बढ़ा जाता है। प्लान के माने ही होते हैं, प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना। इसके द्वारा जो हमारे साधन होते हैं उनका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाता है और उसी के द्वारा हम फ़ुल एम्पलायमेंट भी लोगों को दे सकते हैं, देश का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अगर हम आज प्लानिंग को खत्म कर दें तो क्या आप हमें समझा सकते हैं कि देश की क्या अवस्था होगी? क्या उस से देश की भलाई होगी? क्या प्लानिंग को समाप्त करके हम देश की गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं? मेरा तो यह विश्वास है कि हमने जो योजना बनायी है, वही मार्ग है जिसके द्वारा हम आगे आने वाले समय में पूरी तरह से अपने देश से बेरोजगारी को मिटा सकेंगे। लेकिन इस योजना को सफल बनाने के लिये हमें अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है, इस बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। क्योंकि जो कल हमें तृतीय पंचवर्षय योजना की रिपोर्ट मिली है उसके प्रथम पृष्ठ में ही पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जो लक्ष्य थे हम उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लक्ष्य में कहीं न कहीं पर कमजोरी है या खराबी है या जिन लोगों के द्वारा योजना चलायी जा रही है वे पूरे विश्वास के साथ उसे नहीं चला रहे हैं। इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रोग्राम ऐन्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट के पृष्ठ १५ में जो स्टेटिसटिक्स दी गयी है उसमें से केवल एक मैं पढ़कर सुनाती हूं। तीसरे प्लान का टार्गेट था १८२.८० लाख टन का। १९६१–६२ में हमारा लक्ष्य था १४४.१२ और हमने पूरा किया १३८.३९। १९६२–६३ में हमारा लक्ष्य था १५३.३४ और हमने पूरा किया १३२.२७। १९६३–६४ में हमारा लक्ष्य है १५६.७४ और अभी जो स्थिति हमारे प्रदेश की है, जिस तरह से प्राकृतिक कारणों से यहां की फसलें नष्ट हो चुकी हैं उस से हम समझते हैं कि अगली जो रिपोर्ट होगी उसमें यह लक्ष्य और भी कम मिलेगा।

इसी तरह से खाने की चीजों की जो कीमतें हैं, गेहूं से लेकर बाजरा तक, हर चीज की कीमत बढ़ी है, घटी नहीं है। इस रिपोर्ट में एवरेज प्राइस जो दी गयी है उस से पता चलता है कि सन् १९६२–६३ की कीमतों में ही बहुत अन्तर आ गया है। करीब-करीब ८ रुपये से लेकर १५ रुपये तक की वृद्धि हुई है अनाज की कीमतों में। ये ६३ के आंकड़े हैं। इस बात से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लक्ष्य हमारा बड़ा है, आदर्श हमारा ऊंचा है, हम चाहते हैं कि जनता की परेशानियों को दूर करने के लिये जल्दी से जल्दी काम करें, लेकिन जिस तरह से उसेका र्यान्वित किया जाता है या जिस मशीनरी के द्वारा या जिनके ऊपर विश्वास करके हम उनको चलाना चाहते हैं, या तो उन्हें ही इस योजना में विश्वास नहीं है या उनकी ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। वे शायद ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाने के ही उपयुक्त हैं। लेकिन जो वेलफेयर स्टेट हैं वहां जिस तरह से उन्हें कार्य करना चाहिये, मेहनत करके गांव-गांव में जाकर खेती की तरक्की के लिये जो योजनायें बनायी जाती हैं उनको ठीक-ठीक करने के लिये उनके ऊपर खर्चा करते हैं या नहीं करते हैं जिससे हम उन लक्ष्यों तक पहुंच सकें अन्यथा केवल सरकारी आदेश निकाल कर, दफ्तरों में बैठकर ही पूरी योजनायें बन जाती हैं, इस बात को भी हमें देखना है।

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपयी]

इस सिलसिले में एक मिसाल मैं आपके सामने रखती हूं। अभी कुछ दिन पहले एक आदेश जारी हुआ कि जो सीमेंट है उसका ७५ प्रतिशत इस प्लान के लिये और २५ प्रतिशत जनता के निर्माण कार्य के लिये रखा जाय। लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ? इस आदेश के बाद बी० डी० ओज० द्वारा देहातों के लिये जो परमिट दिये गये उन परमिटों को बाजार में बेचा गया और उन्हें शहर के बड़े-बड़े मालदार रोगों ने खरीद कर अपने कार्य में लगाया। बी० डी० ओज० द्वारा यह दिखलाया गया कि ये सारे सीमेंट परमिट देहातों में और गांव-गांव में कुओं के लिये दिये गये लेकिन सीमेंट के स्टाकिस्ट लोगों ने देखा कि उन्हें शहर के लोगों ने खरीदा और अपने काम में खर्च किया। इस सम्बन्ध में हमारे रिपोर्ट करने के बाद भी कोई बहुत अधिक छानबीन नहीं हो पायी है। इनके कुछ ऐसे हथकंडे होते हैं, कुछ इस तरह के तरीके निकाल लिये जाते हैं पार्टीज से मिल कर कि प्लान के नाम पर जो सारे खर्च हमारे बजट में रखे गये हैं उसके लाखों करोड़ों रुपये हर साल ऐसे लोगों के पाकेट में चले जाते हैं।

मैं सरकार से यह भी कहना चाहती हूं कि आज जो खाद्य स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुये हम अभी तक जिस रफ्तार से चलते रहे हैं, अपनी रफ्तार को न बढ़ावें, अपनी गलती को न सुधारें तो इस स्थिति को संभालना भी कठिन हो जायगा। इसलिये अभी समय है कि हम सच्चाई से उन कमजोरियों को समझ सकें और इस बात को जानकर कि कहां हमारी कमजोरी है उसे कड़ाई के साथ दूर करने का प्रयत्न करें। यह कार्य तभी संभव है जब कि सरकार के उच्च पदाधिकारी इस पर विशेष ध्यान देंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर है उसको उठाने के लिये जैसा कि बजट में कहा गया है कि लड़कियों की शिक्षा में अभी तक इतनी वृद्धि नहीं हो सकी है जैसा कि हमारा लक्ष्य रहा है और जो पैसा लड़कियों की शिक्षा के लिये रखा गया है उसका ठीक हाथों से उचित उपयोग हो इस तरह से विशेष आदेश किये जायं कि जो रुपया जिस मद के लिये बजट में रखा जाता है वह उसी पर खर्च हो। अक्सर बहुत सा रुपया समाज कल्याण के कार्यों के लिये रखा जाता है, लेकिन वह वर्ष के अन्त में लौटाया जाता है और फिर दूसरी मदों में खर्च कर दिया जाता है। यह इस बात का प्रमाण होता है कि अधिकारी वर्ग उस विषय में या उन स्कीमों को आगे चलाने में स्वयं विश्वास नहीं रखते हैं। केवल रोटी न तर्क करने से ही हमारी योजनायें नहीं चल सकतीं। इस प्रस्तुत बजट में काफी रकम योजना के लिये रखी गई है।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेगी जी का व्याख्यान सुन रहा था और मुझे उनसे बहुत हमदर्दी हुई जब उन्होंने कहा कि हमें नींद नहीं आती और हम बहुत परेशान हैं। यह स्वाभाविक है। जो ८ करोड़ जनता के भोजन का जिम्मेदार हो उसे ऐसी परिस्थिति में नींद कैसे आ सकती है? यह तो मैं समझता हूं, लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह हमारी भी अवस्था को सोचें कि जब हम देहातों में जाते हैं, जहां पर कि सारी फसल को पाला या ओला मार गया है, लहलहाते खेत सूख गये हैं, अरहर बिलकुल जल चुकी है और इसके बावजूद वहां कुर्क-अमीन जाते हैं कुर्की करते हैं, जबरदस्ती किसानों के बैल खोलते हैं और उन्हें मुर्गा बनाते हैं और मजबूर करके लोटा, थाली, बैल बिकवा कर वसूली करते हैं, दूसरी ओर इन्हीं किसानों से मिल मालिक गन्ना खरीदते हैं पर नकद दाम नहीं देते और न किसानों की बकाया का भुगतान करते हैं, तो हमारे लिये यह दृश्य असहनीय हो जाता है। आज गेहूं का भाव रुपया का सवा सेर और अरहर की दाल १२ छटाँक को मिलती है तो ऐसी हालत में जनता क्या करे? हम मानते हैं कि आप परेशान हैं। आप दिल्ली गये आपने कोशिश की, लेकिन हम क्या करें, मजबूरन लाचार होकर आज इस सदन के ८ सदस्य इसी भवन के सामने भूख हड़ताल कर रहे हैं, वे हमारी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन जिन मांगों के लिये उनका अनशन है उनसे हमें हमदर्दी है।

उनकी मांगें क्या हैं ? वह कहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग गल्ले में हो, भावों का कंट्रोल हो, लगान माफ किये जायं, वसूली रोकी जाय। मैं पूछता हूं कि जब यह हालत देहातों में है तो आप कैसे वसूलयाबी जारी रखे हैं ? मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण को सुना। उन्होंने स्वयं भी कहा है कि हमारे यहां फसल नष्ट हुई है और इसका उन्हें दुख है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इससे उत्पन्न परिस्थिति का मुकाबिला करने के लिये अब वह क्या करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि जो मांगें हमारे भाई बाहर कर रहे हैं और जो मांगें यहां माननीय सदस्य सरकार के सामने रख रहे हैं उनको पूरा किया जाय। आप हुक्म जारी करें कि आज से वसूली के लिये कोई भी अमीन देहातों में न जायं, वसूलयाबी बन्द की जाय और रबी का लगान माफ किया जाय।

मैं बताना चाहता हूं कि गल्ले की आज जो हालत है उसके बहुत से कारण हैं। प्रदेश में फसलों के खराब होने से अनाज की कमी तो है ही, लेकिन साथ ही यहां के गल्ला व्यापारी बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। वह चोर बाजारी (Black Marketing) कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वराज्य होगा तो हम ब्लैक मार्केटर्स को नजदीक के लैम्प पोस्ट्स पर फांसी लगायेंगे, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि ऐसे ट्रेडर्स के खिलाफ़ डी० आई० आर० का सख्ती से इस्तेमाल किया जाय। चीनी का कंट्रोल भाव सवा रुपया है। आज वास्तविकता क्या है ? मैं कल कानपुर में था, वहां १७४ रुपये फी बोरी चीनी ब्लैक में बिक रही है। १४ हजार बोरी का कोटा कानपुर का है। उसमें से ७, ८ हजार बोरी ब्लैक में जाती है। क्या आप नहीं जानते कि वहां ब्लैक होता है ? क्या मंत्री जी नहीं जानते हैं कि वहां जितनी चीनी राशन के लिये जाती है वह अधिकांश राशन कार्ड वालों को नहीं मिलती। कानपुर में १२ लाख राशन कार्ड्स हैं, जिनमें से करीब तीन लाख घोस्ट कार्ड्स हैं। और जो नये आदमी कार्ड बनवाने जाते हैं उनका कार्ड नहीं बनता। मुझे माननीय खाद्य मंत्री की परेशानी से हमदर्दी है पर सिर्फ परेशानी से काम नहीं चलेगा। यहां पर सख्ती से काम करना है ताकि जनता भोजन पा सके और जो आज की अवस्था है उस से गुजर सके और जिन्दा रह सके। हमारे बहुत से कम्युनिस्ट भाइयों ने अनशन द्वारा वर्तमान परिस्थिति का विरोध किया है, मैं इसे अच्छी चीज समझता हूं। आज से १०, १५ साल पहले जब मैंने पहली बार मजदूरों की मांग मनवाने के लिये अनशन किया था तो कम्युनिस्ट भाइयों ने कहा था यह रिऐक्शनरी है। पर आज सी० पी० आई० ने प्रस्ताव पास किया है कि अपनी मांग मनवाने के लिये कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ता हर शहर में, हर कारखाने, के सामने, सरकारी कार्यालयों के सामने आज से ३ दिन का अनशन करें और वे ऐसा कर रहे हैं। यहां विधान भवन के सामने भी पचास कम्युनिस्ट नेता अनशन कर रहे हैं। आज उन्होंने मान लिया है कि जो गांधी जी का अनशन अस्त्र था वह बहुत शक्तिशाली है और उसका उनपर भी असर पड़ा है। जैसे वर्ल्ड कम्युनिज्म में श्री खुश्चेव में भारत आयी है उसी तरह से हमारे यहां के कम्युनिस्ट भाई भी गांधी जी के सम्पर्क से तबदीली अनशन के हथियार की उपयोगिता को मानने लगे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट में ११.५९ करोड़ रुपये का डेफिसिट है और हिन्ट किया है कि टैक्सेज से उसको पूरा करेंगे। मैं उनसे विनती करता हूं कि आज की अवस्था में जब जनता भूखों मर रही है ऐसे समय में नये कर को लगाने का इरादा बिलकुल छोड़ दें। मेरा खयाल है कि उनकी भी मंशा यही थी और इसीलिये उन्होंने अपनी स्पीच में किसी नये कर का जिक्र नहीं किया है और मैं आशा करता हूं कि कोई नया टैक्स वह नहीं लगायेंगे। उन्होंने खुद भी कहा है कि हम अपनी बकाया रकम की वसूलयाबी करेंगे। १० करोड़ के करीब सेल्स टैक्स का बकाया है, शुगर केन सेस का बकाया है, मिल मालिकों पर बिजली का बकाया है। इन्हीं की वसूली से डेफ़िसिट पूरा हो जायगा और टैक्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कुछ आंकड़े मिलाये हैं, जो आपका खर्चा है, १९३७ में बजट १३ करोड़ का था उसमें से ६ लाख पुलिस पर खर्च होता था। आज का बजट २३५ करोड़ रुपये का है और उसमें से १३ करोड़ रुपया पुलिस पर खर्च होता है आज से २० साल पहले १९४४–४५ में ४८ लाख रुपये पुलिस पर खर्च था और आमदनी २७ करोड़ थी इस प्रकार जहां २७ सालों में सरकार की आमदनी १८ गुना बढ़ी वहां पुलिस खर्च २१ गुना बढ़ा और पिछले २० सालों में जहां रेवन्यू ९ गुना बढ़ा है वहां पर पुलिस का खर्चा

[श्री शिब्बनलाल सक्सेना]

२६ गुना बढ़ गया है। यह बहुत दुख की बात है। जब मैं कानपुर में हरिजन सेवक संघ का मंत्री था उस समय महात्मा जी का आदेश था कि खर्चे का केवल १० परसेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च हो और बाकी जनता के कामों पर। मैंने देखा सारे प्लान में सारे बजट का केवल ३६ परसेन्ट प्लान ऐक्सपेंडिचर है और सारे देश का ४० परसेन्ट है।

मैं चाहूंगा कि हम अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को देखें। हमारा खर्चा जो है वह ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कम हो और ज्यादा खर्चा जनता की सेवा में प्रयोग हो।

हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। कल हमारे सदन के माननीय नेता विरोधी दल ने बताया कि हमारी आमदनी कैसी है। उन्होंने बताया कि जब कि अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन में वृद्धि ४१.७ प्रतिशत हुई है हमारे प्रदेश में केवल २१ प्रतिशत वृद्धि हुई, इससे साफ जाहिर है कि हम बैकवर्ड रहे हैं। जब मैं पार्लियामेंट में था उस समय भी देखता था कि हमारा प्रदेश सब सूबों में बैकवर्ड है। इस बैकवर्डनेस को दूर करने के लिये मैं चाहूंगा कि हमारे शासन के अधिकारी इस पिछड़ेपन के कारणों पर विशेष ध्यान दें। मैं चाहूंगा कि एजूकेशन की तरफ जो कि हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सरकार का विशेष ध्यान जाय। हमें नहीं मालूम कि हमारे बिला पढ़े बच्चों में कौन गांधी होता है और कौन जवाहरलाल। शिक्षा पर ३३ करोड़ रुपया हमारे इस बजट में खर्चा हो रहा है, परन्तु अभी तक हमारे ६–११ वाले बच्चों में इस प्लान के पूरा होने तक केवल ५९ प्रतिशत लड़के और लड़कियां स्कूलों में प्रवेश कर लेंगे जबकि सारे देश में इसका अनुपात ७६ प्रतिशत होगा। मैं चाहूंगा कि और खर्चा कम करके एजूकेशन पर खर्च दुगना बढ़ा दें ताकि इस प्रदेश का हर बच्चा स्कूलों में भरती हो सके। इसकी बहुत आवश्यकता है और ऐसा करने से ही हमारा पिछड़ापन दूर होगा। थर्ड फाइव इयर प्लान के मिड टर्म एप्रेजल में लिखा हुआ है :—

"In the Third Plan the largest emphasis was placed on agriculture, which obviously holds the key to rapid economic growth. Efforts are also being made to make available for agricultural development increasing resources in finance, supplies and personnel. In those areas which are less developed or have considerable unemployment and under-employment, the agricultural effort is being stimulated through the rural works programme for the better utilization of the available manpower resources It is to be hoped that Panchayati Raj institutions will give the utmost emphasis possible to the development of agriculture and the achievment of high yields and will try to harness the manpower and other local resources of each area."

श्री उपाध्यक्ष—

जरा साफ बोलिए जिससे आपका भाषण लिखा जा सके।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना—

वित्त मंत्री जी ने खुद कहा है कि आपके प्रदेश की उन्नति की एग्रीकल्चर "की" (key) है। अगर हमारी एग्रीकल्चर में प्रगति हो तो अवश्य हमारी इनकम में काफी बढ़ोत्तरी हो सकती है। अभी यहां जिला बोर्डों के अध्यक्ष की बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि सारी कि सारी पावर इस समय सेंट्रलाइज है। मैं कहना चाहता हूं कि यह मुनासिब नहीं है कि जिला बोर्डों के अध्यक्ष ऐसा महसूस करें। यह मखौल की बात है कि सारी सत्ता जिला बोर्डों के सरकारी कर्मचारियों में निहित है। यह सदन प्रस्ताव करे कि जो हमारे जिला परिषद् हैं उनको रियल पावर दी जाय और उनको पूरे अख्तियार हों। अगर आप चाहते हैं कि देहातों का सुधार हो तो इस तरफ फौरन ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेरा सुझाव है कि सरकार लगान से वसूल हुई कुल रकम जो २७ करोड़ है वह जिला बोर्डों और ग्राम पंचायतों के कार्यों पर खर्च हो। ऐसा करने से यह संस्थायें जिन्दा हो जायंगी और उनमें जान आ जायगी। जो रुपया खर्च होगा उससे हर गांव में स्कूल हो जायेंगे, कुंवें व नल लग जायंगे, ग्रांट कब मिलती है इसलिये कुछ नहीं हो पाता है। इसलिये जो २७ करोड़ रुपये की लैंड

रेवेन्यू है वह देहातों के फायदे के लिये ग्राम पंचायतों के द्वारा हर गांव में खर्च की जाय तभी वहां का उत्थान होगा ।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बतलाया है कि २१ लाख एकड़ एरिया इरीगेशन में इस साल के अंत तक लाया जायगा। भारत में हमारी स्टेट सब से बड़ी एग्रिकल्चर स्टेट है पर यहां इसके सुधार के लिए कोई बड़ी योजना अभी तक स्वीकृत तक नहीं हुई । पंजाब में भाखड़ा नांगल का प्रोजेक्ट २०० करोड़ रुपया खर्च करके पूरा हो गया है । बंगाल तथा बिहार में दामोदर वैली और बिहार में कोसी और गंडक का प्रोजेक्ट चालू है । हमारे सूबे के अन्दर जब तक घाघरा को हम हारनेस नहीं करते तब तक हम बड़े पैमाने पर एग्रिकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते । एक बहुधन्धी योजना बनाकर राप्ती तथा घाघरा को कंट्रोल करने पर ही प्रदेश को बाढ़ से बचाया जा सकता है , प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है और सारे सूबे में आबपाशी की सुविधा दी जा सकती है । इसके लिये आप केंद्रीय सरकार से अनुदान लीजिए । सन् ३० में यह बात उठाई गयी थी, लेकिन तब से आज तक कोई ऐक्शन नहीं लिया गया । इसके लिये जल्दी से जल्दी एक स्कीम बनायी जाय । फ्लड कंट्रोल का भी कोई जिक्र वित्त मंत्री जी ने नहीं किया है उधर भी ध्यान दिया जाय ।

शुगर के बारे में मुझे कहना है कि उसके डेवलपमेंट के लिये ४ हजार एकड़ जमीन हर जोन में सघन खेती के लिये रखी गयी है, लेकिन उसके लिए गन्ना किसानों का पैसा कट रहा है । यह बहुत अनुचित है । यहां पर इस प्रदेश की शुगर इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है और दक्षिण में बढ़ रही है । जब तक सेस का कुल रुपया और एक्साइज का चौथाई रुपया सरकार केन डेवलेपमेंट में नहीं लगाती है तब तक केन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है । लेबर भी असंतुष्ट है । जो लेबर के पक्ष में हाई कोर्ट तक के डिसीजन होते हैं सरकार उनको खुद नहीं मानती । सरकार को चाहिये कि उनको इम्पलीमेंट कराये । सहजनवा जूट मिल के १,००० निकाले गये मजदूरों के हाई कोर्ट से जीत जाने पर स्वंय इस सरकार ने अपील करके code of discipline के समझौते को तोड़ा है ।

शुगर के वितरण के बारे में सरकार ने कंट्रोल लगा दिया है उसका नतीजा यह है कि ब्लैक में १७४ रुपये बोरा चीनी बिक रही है और देहात में दूकानों पर २ रुपया सेर तक इसका का भाव है । अगर सरकार डिकंट्रोल कर दे तो शुगर का तो भाव अवश्य गिर जायगा । कंट्रोल लगाने से वही भाव खांडसारी का भी हो जाता है । अगर कंट्रोल तोड़ दिया जाय तो भाव १२० रुपये बोरा हो जायगा और तब फैक्टरियों को गन्ना मिलने लगेगा वर्ना नहीं मिलेगा । बिना कंट्रोल किये शक्कर की उत्पत्ति बढ़ाना असंभव बात है । मैंने आपका बहुत समय लिया । धन्यवाद ।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । इस बजट के समर्थन के लिये मैं इसलिये भी खड़ा हुआ हूं कि जब मैंने माननीय वित्त मंत्री का भाषण पढ़ा तो देखा कि बड़े साहस के साथ उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा किया कि यह बजट, कोई समाजवादी बजट नहीं है, यह समाजवाद की दिशा की ओर जाने वाला बजट है । इसमें कोई संदेह भी नहीं है । मैं जब इस बजट पर चर्चा करूंगा तो वित्त मंत्री की इस घोषणा के अन्तर्गत ही करना चाहूंगा कि इस घोषणा के परे जा कर इसकी आलोचना करना उसके साथ न्याय करना नहीं होगा । समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिस देश या प्रदेश में इस व्यवस्था को लाने की बात होती है वहां की जनता को सामाजिक सुरक्षा की ओर ले जाने का प्रयास पहले होना चाहिये । आप देखेंगे कि वित्त मंत्री के भाषण में बुढ़ापे की पेंशन की योजना है, छोटे छोटे कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने की योजना है, जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापक के लिये भी ५ रुपये मंहगाई भत्ता बढ़ाने की व्यवस्था है, उनको ग्रेचुइटी देने की व्यवस्था है । ये ऐसे कदम हैं जिनसे हम

[श्री रामलखन शुक्ल]

सामाजिक सुरक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में जहां हम इस बात के कायल हैं कि सामाजिक सुरक्षा और समाजवाद की दिशा निर्देशक अवश्य यह कदम हैं वहां, एक बात ऐसी भी है जिसको हम बड़ा ग्रेव ओमिशन मानते हैं। जिस सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से इस बजट का निर्माण किया गया तो इस बात की ओर भी ध्यान जाना चाहिये था कि इस प्रदेश में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और प्राईवेट स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में महान अन्तर है और उसको मिटाने के लिये कम से कम एक सिम्बोलिक कदम भी उठाया गया होता तो हम समझते कि यह बजट पूर्णरूपेण समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाने वाला है। इस ओमिशन का कोई सैटिस्फेक्टरी उत्तर होना चाहिये और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इस ओर कुछ न कुछ संकेत करेंगे।

एक दूसरी बात समाजवादी व्यवस्था की दिशा में जाने के लिये जो सोचनी पड़ती है वह यह है कि उत्पादन कैसे बढ़े। उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें कुछ इन्वेस्टमेंट की ओर जाना पड़ता है। परकैपिटा इन्कम और परकैपिटा इन्वेस्टमेंट, इन दोनों की कमी होती जा रही है। यह एक बड़ा विशस सर्किल है। इस दुश्चक्र को तोड़ने के लिये हर सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह एक पूंजीगत व्यय की ओर आगे बढ़े। हमने देखा कि चालू बजट की अपेक्षा आगामी बजट में इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है। चालू वर्ष में ६८ करोड़ ८७ लाख रुपये की पूंजीगत व्यय की व्यवस्था है जिसमें योजनागत योजनाओं के लिये ५८ करोड़ ७५ लाख रुपये की व्यवस्था है जब कि आगामी वर्ष में ९७ करोड़ ४८ लाख रुपये के पूंजीगत व्यय में से ७५ करोड़ ८२ लाख रुपये योजनागत एक्सपेंडीचर के लिये रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि यह उस आर्थिक दुश्चक्र को तोड़ने में बड़ा सहायक होगा। इसके अतिरिक्त भी कृषि की योजनायें हैं, विद्युतीकरण की योजनायें हैं। ये सब ऐसी बातें हैं जिससे यह बात सिद्ध होती है कि हमारी दिशा समाजवाद की ओर है।

मान्यवर, मैं एक बड़ी विशिष्ट समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम उत्पादन की ओर अपना ध्यान ले जाते हैं तो हमारा ध्यान स्वभावतः कृषि उत्पादन की ओर जाता है और जब उधर ध्यान जाता है तो दैवी आपदाओं की ओर बरबस हमारा ध्यान चला जाता है, जिनके कारण हमारे कृषि उत्पादन के कार्य बाधित हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बाधा बाढ़ और कटाव के द्वारा होती है। मुझे अफसोस है कि स्थायी रूप से बाढ़ और कटाव को रोकने की योजना का कोई संकेत इस बजट में नहीं है। पूर्वी प्रदेश का बहुत नाम लिया गया है। पूर्वी अंचल की सब से बड़ी समस्या यही है। अगर इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया, तो उस भाग की तरक्की की सारी योजनायें विफल होंगी। इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं।

पूर्वी प्रदेश के चार जिलों का अध्ययन पटेल कमीशन ने किया है। मुख्य मंत्री के यत्र-तत्र भाषण से ऐसा आभास हुआ कि इन जिलों की समस्या चूंकि अन्य जिलों के समान है इसलिये उनके आधार पर समग्र पूर्वी अंचल की ओर ध्यान दिया जायगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सरकार इसमें विफल रही और पूर्वी जिले जो उनके समान ही गरीब हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा सका। मैं आशा करता हूं कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि नेचुरल कैलेमिटीज के विनियमन के लिये सुझाव देने के लिये एक कमेटी मुकर्रर होनी चाहिये। जो दैवी आपदाओं से बचने के लिये सदन को सुझाव दे और सदन उस पर विचार करे। दूसरी बात यह है कि गोरखपुर में बांसगांव तहसील ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं है और यहां पर प्रति वर्ग मील १,२०० की आबादी है। इसकी तरक्की के लिये नमूने के तौर पर सर्वेक्षण कराया जाय और इसके लिये एक व्यवस्था होनी चाहिये। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो वह दूसरे अंचल में भी कारगर हो सकती है।

श्रीमन्, मैं एक आध शब्द अपने मित्रों की आलोचनाओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। लोकतांत्रिक पद्धति में आलोचना का एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन जब यह अदूरदर्शितापूर्ण हो जाती है, एकांगी हो जाती है, तो इसका भिन्न प्रभाव पड़ता है और जिस बात के लिये वह आलोचना की जाती है वह खत्म हो जाती है, वह आलोचना प्रभावकारी नहीं रह जाती है और इसका उल्टा असर होता है। जिसकी आलोचना होती है वह या तो उदासीन हो जाता है या फिर उत्तेजित हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि आलोचना की पद्धति में परिवर्तन किया जाय। जितनी बातें कही गई हैं उन सबकी ओर ध्यान देना तो सम्भव नहीं है, लेकिन मैं एक आध बात की ओर सदन का ध्यान दिलाऊंगा।

हमारे कई मित्रों ने इस ओर संकेत किया है कि सरकार हमेशा घाटे का बजट प्रस्तुत करती है और डेफीसिट फाइनेंसिंग को उन्होंने मुनासिब नहीं बताया। ऐसे नियोजन के युग में अगर कोई यह समझे कि ऐसा बजट होगा कि जितनी आमदनी हो उतना ही खर्च हो तो वह एक स्टेगनेंट स्थिति की ओर ले जाने वाला होगा। यह स्थिति तो एबडेंस में हो सकती है। अमेरिका की सरकार ऐसा कर सकती है, लेकिन जो पिछड़े हुये देश हैं उनको सोचना पड़ेगा और विकास कार्यों के चलाने के लिये, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिये उनको दूसरी पद्धति अपनानी पड़ेगी। संसार के देशों ने इसको अपनाया है और डेफीसिट फाइनेंसिंग पिछड़े हुये देशों की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जितने पिछड़े हुये देश हैं तथा जिन्होंने प्लांड एकोनामी का अध्ययन किया है उन्होंने इसका सहारा लिया है। मैं नमूने के तौर पर इस संसार के सबसे बड़े प्लांड इकोनामी में विश्वास करने वाले देश सोवियत रशा की कुछ फीगर्स मैं आपको देना चाहता हूं। यह रुबल मिलियर्ड में है। अक्तूबर रेवोल्युशन के बाद १९१८ में इनका एक्सपेंडीचर ४६.७ था, रेवेन्यु १.६ थी और डेफिसिट ३१.१ था। १९१९ में एक्सपेंडीचर २१५.४ था, रेवेन्यु ४९ थी और डेफिसिट १६६.४ थी। १९२० में एक्सपेंडीचर १,२१५.२ था, रेवेन्यु १५९.६ थी, डेफिसिट १,०५५.६ था। १९२१ में एक्सपेंडीचर २४,४७१.९, रेवेन्यु ४,१३९.८ थी और डेफिसिट २०,३३२.१ था। इतना गहरा अन्तर है रेवेन्यु और एक्सपेंडीचर में। उनके आर्थिक विकास के तीसरे चरण के सम्बन्ध में उद्धृत करना चाहता हूं––

"The third period began with the financial year 1925—26, when a stable budget for the whole of the U.S.S.R. was drawn up. between this year and 1930, al though the system of taxation underwent many changes In detail, its general structure differed little from the system practised in pre-revolutionary Russia. In consequence of the determination to hasten the development of the country's industrial national resources, the budget grew rapidly and at a faster rate than the national income,"

बजट राष्ट्रीय आय की अपेक्षा फास्टर रेट से तथा तीव्र गति से बढ़ा। इसके मानी यह हैं कि सारी की सारी डेफिसिट बजेटिंग थी। इससे यह सिद्ध है कि बैकवर्ड कंट्रीज में हमेशा इस प्रकार का बजट बनाना पड़ता है।

इसके साथ-साथ में यहां पर एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। वह यह है कि जहां पर डेफिसिट फाइनेंसिंग उपादेय है वहां बजट में आखिर में सरप्लस हो जाना, जो रुपया जिस मद में निश्चित किया जाय उसमें खर्च न हो, यह बड़ी भयावह स्थिति हो जाती है। जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि रा मैटीरियल न मिलने के कारण या विदेश से मशीनरी आदि उपलब्ध न होने के कारण खर्चा नहीं हो सका, यदि अधिकारियों की शिथिलता के कारण ऐसा हुआ है तो हम जो कर्जा लेकर, टैक्स बढ़ा कर बजट को फाइनेंस करते हैं, इससे बढ़ कर अक्षम्य अपराध कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं सरकार का इस ओर सक्रिय ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक आध साहब ने यह कहा कि बजट का साहित्य बड़ी क्लिष्ट हिन्दी में था। हिन्दी के पोषक सज्जन ने कहा। क्लिष्टता वही है जहां प्राविधिक शब्दों का तरजुमा है। अगर एक्सटेंशन एजेंसी का अनुवाद करना हो तो प्रसार–अभिकरण के रूप में कहना पड़ेगा। बाकी भाषा क्लिष्ट नहीं है। बजट, अर्थशास्त्र की भाषा और शास्त्रीय भाषा ऊंची होगी ही। हिन्दी के पोषकों की तरफ से ऐसी बात नहीं आनी चाहिए।

[श्री रामलखन शुक्ल]

कुछ साथियों ने कहा कि बजट के अनुभागों और शीर्षकों के तरीके में तब्दीली होनी चाहिए। यह सारे संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार होते हैं। कंट्रोलर ऐण्ड आडीटर जनरल अनुभागों और शीर्षकों को तय करना है। प्रदेश का फाइनेंस डिपार्टमेंट उससे अलग नहीं हो सकता।

एक आध शब्द विजिलेंस कमीशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। विजिलेंस कमीशन बन गया है। इसकी शाखाएं जिले के स्तर पर होनी चाहिए। एक सिद्धान्त की बात है। विजिलेंस कमीशन बनेगा। कौन रिपोर्ट देगा, कौन इनक्वायरी करेगा, यह बड़ा भारी प्रश्न है। प्रदेश में जांच की एक स्वतन्त्र एजेंसी होनी चाहिए। बिलकुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और उसका वह आदर होना चाहिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन का है, जो हाई कोर्टों का है। जब तक यह नहीं होगा तब तक जितनी भी विभागीय जांच चलती है वह व्यर्थ साबित होगी। एक शब्द और कहना है। अगर यह सरकार केवल इतना कर दे कि जो कुछ भी गलत सही इसके आदेश होते हैं उसकी प्राम्प्ट कम्प्लायेंस हो और उसके अधिकारी शीघ्र से शीघ्र उसको कार्यान्वित करें तो मैं समझता हूं कि ५० प्रतिशत से अधिक हमारी योजनायें सफल हो जायं। पचास प्रतिशत से ज्यादा हम जनता को सन्तुष्ट कर सकेंगे। हमारा काम है विभिन्न प्रकार की समस्याओं को विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाना। हम रूलिंग पार्टी के आदमी हैं। हम प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते। हम सरकार के मिनिस्टर्स के पास जाते हैं, जिले में कलेक्टर्स और विभागीय अधिकारियों से मिलते हैं। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इस प्रयास के, आदेशों का परिपालन उचित तरीके से नहीं होता है। यह बड़ी जबर्दस्त शिकायत अधिकारियों के खिलाफ है। सरकार को हर कार्य के करने के लिए अवधि निर्धारित कर देनी चाहिए, एक सीमा बांध देनी चाहिए और अगर उस अवधि के अन्दर कार्य पूरा नहीं होता है तो सरकार को इस फ्लोर के सामने सिद्ध करना चाहिए कि उन्होंने फलां अधिकारी के खिलाफ इसके लिए फलां कार्यवाही की बिना किसी प्रकार का प्रश्न किये। अगर सरकार अपने को इसके लिए जवाबदेह साबित करने में असमर्थ होती है तो इसके नतीजे बड़े भयंकर होंगे, यह मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय....,

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में बजट के दौरान में फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं है और डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, एक मिनिस्टर हैं। माननीय खाद्य मंत्री जी हैं।

श्री उमाशंकर तिवारी--

आज हमारे देश को आजाद हुये १६ वर्ष से ऊपर हुआ। इस १६ वर्ष में प्रति वर्ष बजट पेश किया जाता है तो सरकार के वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में कह देते हैं कि यह बजट लोक कल्याणकारी है या हमारा बजट समाजवादी समाज की रचना की तरफ ले जा रहा है हमारे प्रदेश को। इसी तरीके से विकास के दौरान हमारे योग्य वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष भी अपने बजट भाषण में कहा है कि यह जो हमारा बजट है वह हमारे प्रदेश को समाजवाद की ओर ले जायगा। लेकिन मान्यवर इस प्रदेश की इस कांग्रेसी शासन में जो हालत हुई है उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले महंगाई को लेकर और खाद्यान्नों को लेकर कितना हंगामा मचा हुआ था यह आपने देखा ही है। प्रदेश में गल्ले की दूकानें तथा गल्ले के बाजार लूटे जा रहे हैं, भुखमरी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, रिक्शा चलाने वालों

की संख्या बढ़ रही है। दिनदहाड़े कत्ल हो रहे हैं, डाके पड़ रहे हैं और आपकी पुलिस बैठी हुई है, यह हमारे देश और प्रदेश की हालत है। जब बजट पेश किया जाता है तो हमारे कांग्रेसी भाई बड़े जोर से तालियां बजाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रदेश का विकास हो रहा है। विकास के सम्बन्ध में मैं एक घटना का आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। हमारे भाई शिब्बन लाल जी जो अभी चुनकर आये हैं इनके चुनाव क्षेत्र में मुझे जाने का मौका मिला था इसी चुनाव के दौरान में। वहां एक गांव है सेमरा चन्दौली। उस गांव में मैं गया था। एक ब्राह्मण जो कि शाम को ही मर गया सुबह दस बजे तक उसकी लाश पड़ी हुई थी। वह ब्राह्मण अपने पीछे अपनी विधवा और तीन बच्चे छोड़कर मरा था। लाश उसकी इसलिये पड़ी रही कि विधवा के पास कफन के पैसे नहीं थे। उसके मृतक संस्कार करने के लिये लकड़ी वगैरह के पैसे उसके पास न थे। यह हमारे कांग्रेसी शासन के १६ वर्ष में विकास का प्रमाण है। आदमी की आमदनी इतनी बढ़ी है कि मरने के बाद उसके पास कफन तक को पैसा नहीं निकला। मैं आपके द्वारा सरकार से यह मांग करता हूं कि उस गांव में उस आदमी के बारे में जांच करायी जाय और पता लगाया जाय कि मेरी बात गलत है या सही है। अगर सही है तो क्या इसी का नाम विकास है? यही तरक्की हो रही है और जब मंत्री महोदय लोग खड़े होते हैं तो यह कह देते हैं कि यह बांध बना, यह कारखाना बना, तमाम जुड़ा जायेंगे और कहेंगे कि हमारे प्रदेश का विकास हो रहा है। विकास जरूर हो रहा है। लेकिन किसका? भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है। भाई भतीजा भांजावाद का बोलबाला हो रहा है। एक तरफ अमीर अमीर होता जा रहा है और एक तरफ गरीब गरीब होता जा रहा है।

आज १६ वर्ष हमें आजाद हुए हो गया, लेकिन अभी तक हमारे देश में आमदनी का रिश्ता तय नहीं हुआ। एक आदमी की आमदनी ३०, ३३, और चौलिस-चौलिस रुपये रोज है और एक आदमी की आमदनी तीन आने चार आने रोज है। आप समझे कि इस महंगाई के जमाने में एक आदमी तीन आने चार आने में कैसे गुजर कर सकता है जबकि एक रुपये का सवा सेर गेहूं मिलता है? देश का यह विकास हो रहा है और इसके लिये मंत्री महोदय भाषण में कहे है कि हमने महंगाई का भत्ता बढ़ा दिया है। हमारे यहां कहावत कही जाती है कि "बहुत छोहइली सास तो गोइंठा ले के पौंछली आंस।" महंगाई में जो छोटे कर्मचारी हैं वह आयेंगे बाजार में उनको मालूम होता है कि सस्ता गल्ला मिल जायगा जो उनके लिये ५ रुपया महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है और जो बड़े बड़े कर्मचारी है जिनकी तनख्वा हैं ज्यादा है उनको शायद महंगाई भत्ता मिलेगा चालीस रुपया। यह समाजवाद की तरफ प्रदेश को ले जाने का एक नमूना है। तो आप समझें कि मंत्री जी की बातें तथा सरकार की बातें कितनी अनर्गल हैं। अलंकारिक और लच्छेदार भाषा में वित्त मंत्री जी ने भाषण पढ़ दिया और कह दिया कि देश का विकास हो रहा है।

हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार कितना हो रहा है, आप देखें। एक प्रतिवेदन हम लोगों को मिला है जो ६०–६१ का है। उसमें सरकार के हर विभाग में कितनी अनियमितता है, कितना भ्रष्टाचार के उसका जिक्र है। प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। इसमें कहा गया है कि सीधे खरीदारी के फलस्वरूप सार्वजनिक विभाग में अनियमितता हुई। इसी तरीके से एक अजन्ता टाइप राइटर खरीदा गया उसमें भी तमाम अनियमितता बरती गई है। सरकार को उसकी जरूरत नहीं थी, रेमिंगटन टाइप राइटर मिल रहा था, उस पर भी सरकार ने खरीदा अजन्ता। इसी तरह से हर विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है। कान्ट्रैक्ट जो दिये जा रहे हैं वह दोषपूर्ण है। एक कांट्रेक्ट कृषि विभाग में दिया गया बोरियों के लिये और कहा जा रहा है कि बाजार में बोरियां नहीं थीं, जबकि स्टाक में बोरियां पड़ी थीं। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारी सरकार में रात दिन भ्रष्टाचार हो रहा है।

यह भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? अभी खाद्य मंत्री जी ने कहा है कि कर्मचारी भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई कर्मचारी भ्रष्टाचारी नहीं हैं। मंत्री स्वयं भ्रष्टाचारी है। यह सब मंत्री जी की साजिश से भ्रष्टाचार हो रहा है। उस पर यह सरकार परदा डाल रही है। आज जो विजिलेन्स आयोग बनाया गया है उसके लिये मेरी मांग है कि उसमें मंत्री के कामों की भी जांच हो। उसमें इस बात

[श्री उमाशंकर तिवारी]

की जांच की जाय कि उनकी अब क्या आमदनी है और मंत्री बनने के पहले कितनी आमदनी थी । लेकिन इनको उसमें छुआ नहीं गया है । बेचारे गरीब और छोटे-छोटे कर्मचारियों के खिलाफ उस विजिलेन्स कमीशन की स्थापना की गई है । आप देखिये कि आज ही बड़ा हंगामा मचा हुआ है एक मंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उसके मामले पर किस तरह से लीपा-पोती की जा रही है । आप समझ सकते हैं कि जब मंत्री स्वयं भ्रष्टाचारी होंगे तो फिर उसमें छोटे कर्मचारी क्यों नहीं भ्रष्टाचारी होंगे ? आज देश के अन्दर इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है कि सारी जनता परेशान है । नख से शिख तक इस सरकार के अन्दर भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसको दूर करने के लिये कोई भी रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है ।

अब मैं कुछ बातें इस बजट के सम्बन्ध में भी कह देना चाहता हूं । बजट को देखा तो यह मालूम हुआ कि पिछले सालों में भी इसी तरह से घाटे का बजट पेश किया जाता रहा है । हर साल घाटे का बजट पेश किया जाता है । इस बजट को देखने से ऐसा मालूम होता है कि यह बजट अपरिपक्व दिमाग का बनाया हुआ है और बुद्धिहीन सरकार का बनाया हुआ है । जिस तरह से हर साल घाटे के बजट पेश किये जाते हैं उसी तरह से यह बजट भी पेश किया है । सरकार कहती है कि बजट में सब योजनाओं को योजनाबद्ध किया गया है, लेकिन जिन योजनाओं के लिये यह बजट पेश किया जा रहा है और उसी योजनाओं पर फिर अनुपूरक बजट पेश कर के और फिर उनके लिये रुपया मांगा जाता है और फिर उन योजनाओं में १ वर्ष के अंत में आगे चलकर बचत दिखाई जाती हैं । इसको आप देखेंगे तो मालूम होगा कि क्या यह बजट योजनाबद्ध है, परन्तु योजनाओं पर उसी तरह से ध्यान दिया गया है जैसे कोई आदमी स्वयं तीर मारने पर ही तीरन्दाज बन जाता है । उसी तरह से यह बजट अपरिपक्व दिमाग और बुद्धिहीन सरकार का बनाया हुआ बजट है । हमारी जनता के टैक्स के गाढ़ी कमाई के पैसे के साथ खिलवाड़ किया गया है । मैं आपको एक मिसाल दूं कि पिछले १९६३–६४ के बजट में हमारे यहां वाराणसी जिले में इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट नें २३ नलकूप लगाना मन्जूर किया था, लेकिन अब साल खत्म हो रहा है आज तक वहां पर इस बात की इजाजत नहीं दी गई कि जो पैसा अलाट किया गया है उसको खर्च कर दिया जाय । २३ नलकूप मन्जूर होने के बावजूद भी आज तक वहां पर कोई सर्वे उस काम के लिये नहीं किया गया है । यह सरकार के कर्मचारियों की कार्य-क्षमता का नमूना है । उनको फुरसत भी कैसे मिलेगी ? जब यहां से मंत्री महोदय जायेंगे तो उनके स्वागत के लिये इन्तजाम करने में वे व्यस्त रहते हैं । इसी परेशानी में उनका समय निकल जाता है । तो उनको जनता के काम की क्या फिक्र है ।

हमारे सब माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है । आज सरकार गल्ले के लिये हाय तोबा मचा रही है, परन्तु सरकार की योजनायें इस तरह की हैं कि जहां पर अधिक पानी की आवश्यकता है वहां पर नहरों के बजाय नलकूप बैठा रही है । हमारे जिले में राल्हूपुर परगने के सिंधीताली इकौनी गांव में जहां पर धान की १६ आना फसल होती है वहां पर नलकूप बैठाया गया हैं । वहां पर ट्यूबवेल से कोई धान की सिंचाई नहीं हो सकेगी । जब किसान की मांग पानी के लिये आती और कहने पर कि हमको नहरों का पानी दो तो उन्हें यह उत्तर मिलता है कि तुम्हारे यहां ट्यूबवेल है, नहर नहीं जायगी । एक नलकूप से १,५०० से एकड़ की सिंचाई रखी गई जो कभी भी धान नहीं सींच सकता। तो आप समझिये कि वहां ट्यूबवेल बेकार हैं । आप कहेंगे कि खाद दीजिये, उत्पादन बढ़ाइये, लेकिन वह किया कैसे जाय जब सिंचाई का ही बंदोबस्त नहीं है ? मैं कई बार सरकार को लिख चुका हूं कि मुगलसराय के पास से एक गंदा नाला जाता है । जहां से वह होकर जाता है वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है । कई बार मैं सरकार को लिख चुका हूं कि उसका पानी सिंचाई के लिये इस्तेमाल किया जाना चाहिये, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं । अफसर तो सरकार के मिनिस्टरों की खुशामद में व्यस्त रहते हैं, और इस तरह अपनी तरक्की का इंतजाम करते रहते हैं और इसीलिये उनका ४० रुपया भी बढ़ाया गया ।

हमारे जिले में चकिया का एक जंगल है । वहां पर किसान जमीन जोत रहे हैं

और १९५२ से प्रार्थना कर रहे हैं कि उस जमीन का पट्टा हमारे नाम कर दिया जाय, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब वहां वन उन खेतों में लगाये जा रहे हैं। इस प्रकार तमाम धन का दुरुपयोग हो रहा है विकास के नाम पर। यहां से भुखमरी और गरीबी तभी दूर हो सकती है जब आमदनी में एक तथा दस का रिश्ता हो, कीमतें ठीक हों और सब तरफ एक व्यवस्था हो। केवल सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने से खाद्यान्न का मसला हल नहीं हो सकता।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)––

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है १९६४–६५ का उस पर मैं बाद में ही बोलना चाहता था, लेकिन चूंकि मैं आज के बाद नहीं रहूंगा इसलिये मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने साथियों के बीच में अपने विचारों को प्रकट करूं। मैं दो तीन दिन दौरे पर जाने वाला हूं।

श्रीमन्, बजट किसी देश के आर्थिक, सामाजिक और आप राजनीतिक भी कह लीजिये, जीवन की एक झांकी प्रस्तुत करता है और वह उस सरकार और पार्टी की भी एक झलक देता है जो उस प्रदेश में या देश में रूलिंग पार्टी होती है। इस हाउस में समाजवाद की बड़ी चर्चा हुई। इस विषय में मेरे साथी बड़े पंडित हैं, उनका बड़ा अध्ययन है। मैं यह नहीं मानता कि सोशलिज्म की हम तख्ती लगा कर स्थापना कर पायेंगे या हमें ही यह दावा है कि कांग्रेस ही केवल निर्धारित समय में सोशलिज्म की स्थापना कर सकती है। एक बात मैं कहूंगा। आप लोग देखें कि कांग्रेस ने भुवनेश्वर के अधिवेशन में एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। (व्यवधान) बजट भी क्रान्तिकारी होगा और यह उस रास्ते पर है, लेकिन सोशलिज्म कोई ऐसी दवा नहीं है कि जहां कहीं रख कर वह गले में उतार दी जाय। सोशलिज्म के संसार में जितने भी देशों ने सोशलिस्ट तरीके से देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन करने की बात की है उसके केवल दो ही तरीके रहे हैं। एक ऊर्ध्व मुखी तरीका, जिसको वर्टिकल इकानोमी कहते हैं और एक है इनवर्टेड प्लानिंग या डायरेक्टेड प्लानिंग, जो केन्द्र से निर्देशित होती है। चाहे डेमाक्रेसी हो, लोकशाही हो, तानाशाही हो या आटोक्रेसी हो, हर देश में यही तरीके हैं आर्थिक विकास के। हमने, भारत देश में डेमाक्रेटिक सोशलिज्म का तरीका अख्तियार किया। प्रजातंत्र के आधार पर जो सोशलिज्म की रचना होगी तो समाजवाद कोई लक्ष्य नहीं है, वह तो दर्शन है, मीन्स है जिसके द्वारा हम जीवन में उन तथ्यों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो एक सार होता है। प्लानिंग कोई डिपार्टमेंट नहीं है, एक तरीका है जो किसी देश की वर्तमान स्थिति और उसके योजनागत निर्धारित लक्ष्यों तक उसको पहुंचाता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)––

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि समाजवाद हमारा साधन नहीं, साध्य है, तो उसका जरा स्पष्टीकरण करें।

श्री बंशीधर पांडेय––

आपको भ्रम हो गया। आप उसको लक्ष्य मत समझिये, आपकी पार्टी तो खैर, उसमें विश्वास ही नहीं करती।

इसके अलावा बजट में कितनी नौकरियां दी गयीं, कितने आदमी कनफर्म हुए, कितनी पेंशन में बढ़ोत्तरी हुई, कितने लेविल के आदमियों का डीयरनेस अलावेंस बढ़ गया। यह भी सोचने का तरीका होता है कि कितने आदमियों को एम्पलायमेंट मिल सका। श्रीमन्, किसी भी देश का सामाजिक ढांचा उसके आर्थिक ढांचे पर निर्भर करता है। अमेरिका में जो क्राइसिस हुई, कैनेडी की हत्या के बाद, तो क्या पर कैपिटा इनकम को लेकर ऐसी बातें थीं। वह समाज का दोष है। हिन्दुस्तान की पर कैपिटा इनकम देखिये। अमरीका में १३,००० है, कांटीनेंटल कंट्रीज में १,१०० और इंडिया में ३०० है। अमरीका का देश धन में आगे है, लेकिन सोशलिस्टिक सोसाइटी को कायम करने में वह इंडिया के पीछे पीछे जा रहा है। धन

[श्री बंशीधर पांडेय]

ही माप-दंड नहीं होता कि सोसाइटी आगे बढ़ रही है । मैं मानता हूं कि यह देश कृषि प्रधान देश है । मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, भानुप्रताप सिंह जी बोल रहे थे जब मैं हाउस में आया कि इस देश में जो गुलामी से छूटा हुआ है जिसकी इकोनामी के पीछे उसकी कुरीतियां भी मौजूद हैं, एक तरफ हिमालय के पर्वत पर इमरजेंसी की एक घटना हो गयी जो हमारे देश की प्लानिंग के लिये एक चुनौती है, आज हमारे देश के लिये चुनौती दी है चायना ने। या तो इस देश की प्लान चलनी है या अपनी सीमा की लक्षमण रेखा के लिये सैनिक ताकत को बढ़ावा देना है । सैनिक ताकत बढ़ेगी यह बात सही है। हमारा देश गांधी का देश है, लेकिन अगर कोई यह सोचे कि हिमालय पर्वत पर चढ़ कर हम कहेंगे कि प्यारे चीन, तुम हट जाओ, तो यह गलत है। हिन्दुस्तान की सरकार का उस ओर विशेश ध्यान गया है और उसने तथा प्रादेशिक सरकारों ने भी उसके लिये काफी रुपया अपने बजटों में रक्खा है। किन्तु आज सुरक्षा की दृष्टि से भी हमें यह प्लान योजनाओं को स्वीकार करना पड़ेगा। अभी माननीय शिव्वन लाल जी ने कहा कि सारा का सारा रुपया रेवेन्यू का पंचायतों को दे देना चाहिये, कुछ हद तक मैं उससे सहमत हूं और अभी उदयपुर में जो कान्फ्रेन्स हुई थी जिसमें सारे देश के बड़े-बड़े विद्वान एकत्रित हुए थे उन्होंने भी पंचायत राज की व्याख्या की है। यह बात बिलकुल सही है कि प्रजातंत्र के आधार पर जो समाजवाद की रचना होगी उसमें जनता का पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन यह आयेगा कैसे ? कल माइनर इरीगेशन पर बोलते हुए एक माननीय सदस्य ने यह बतलाया कि कुवों आदि के लिये जो हम ऋण देते हैं वह जिस काम के लिये लिया जाता है उसमें उसको नहीं लगाया जाता । उन्होंने यह कहा कि सरकार ही उनको बनवा दे और लगान की वसूली के शक्ल में सरकार उससे वसूल करें। मैं पूछता हूं कि इसके पीछे भावना क्या है ? क्या यह यह नहीं बताता कि हम जनता के सहयोग से हट कर कन्ट्रोल्ड डेमोक्रेसी की तरफ जांय ? पार्लियामेंन्ट्री डेमोक्रेसी में बिना खूनी क्रान्ति के, जिस ढंग से समाजवाद लाया जाता है, उसी ढंग से इस देश में समाजवाद आयेगा और उसी के लिये भुवनेश्वर अधिवेशन में रूलिंग पार्टी ने अपना प्रस्ताव भी पास किया है। उसके पीछे हिन्दुस्तान की ४५ करोड़ जनता का इतिहास लिखा जायगा।

मान्यवर, अभी यूनाइटेड नेशन्स में जब इस शासन प्रणाली के सम्बन्ध में चर्चा हुई तो उसमें यह निश्चय हुआ कि संसार की सभी शासन प्रणालियों में लोकतंत्र प्रणाली ही मानवतावादी है और उसमें भी भारत का पंचायती राज अति मानवतावादी है। यानी इसको सुपरलेटिव संज्ञा दी गयी। पंचायती राज और लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था होती है कि जिस पार्टी की सरकार होती है वह अपनी नीतियों के अनुसार ही चलती है। जिस पार्टी की सरकार, होती है, उसकी अपनी नीतियां होती हैं और उसमें सहयोग देना माननीय सदस्यों का कर्तव्य होता है। यह पार्टी आज सुप्रीम पार्टी है। इस पार्टी के ऊपर यह सदन है। यहां सारे प्रान्त के प्रतिनिधि बैठे हुये हैं। हम यह नहीं कहते कि सारा ठेका हमने ही ले रखा है। हमारे साथ ही, आपने भी ले रखा है, आप की भी कुछ जिम्मेदारी है। इसलिये हम सब को चाहिये कि पंचायत लेविल पर, ब्लाक्स लेविल पर, जिला परिषद् लेविल पर और सेन्टर लेविल पर, अपने अपने स्तर पर, योजनाओं को कार्यान्वित करने में हम सब अपना पूरा सहयोग दें। आप कहते हैं कि हम ३४ फीसदी जनता के वोटों पर शासन करते हैं। ठीक है, पर ३४ फीसदी जनता का हमारी योजनाओं में सहयोग तो प्राप्त है, बाकी ६६ फीसदी तो भिन्न-भिन्न विचारधाराओं में बटे हुये हैं, उनको सहयोग जनता नहीं देती। आप सोंच सकते हैं कि इस तरह से ३४ प्रतिशत लोग ही योजना की तरफ ध्यान देंगे और हमारी सारी ताकत लगाने के बावजूद भी ६६ प्रतिशत जनता में उसका इम्पिलमेंटेशन नहीं हो सकेगा और हमारी योजना पूर्ति की दिशा में नहीं जायगी। पंचायत राज से हम इस बात की आशा करते हैं कि इस देश में इंडस्ट्रीज आ जायं।

हमें इस बात को सोचना होगा कि इस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा कैसे ? क्या आप समझते हैं कि हैवी इंडस्ट्री से इसका हल निकल आयेगा और इस देश की सारी गरीबी दूर हो जायगी ? हमारे यहां जो १८० मिलियन बेकारों की संख्या दी जाती है, जो यूनिवर्सिटीज व इम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के

दरवाजों पर उनका नक्शा प्रस्तुत किया जाता है, उससे इसका हल निकलेगा ? इससे इसका हल नहीं निकलेगा। हमें हिन्दुस्तान की एग्रीकल्चरल इकोनामी को इंडस्ट्रियल इकोनामी में लाना होगा। जब तक एग्रो इंडस्ट्रीज का ट्रांसफार्मेशन नहीं होगा तब तक इस समस्या का हल नहीं होने वाला है। भिलाई राउरकेला, दुर्गापुर या बुखारी जैसे बड़े-बड़े प्लाट आप भले ही बना लें, लेकिन इससे बेकारी की समस्या नहीं दूर होगी। हैवी इंडस्ट्रीज के संबन्ध में तो यहां तक कहा जाता है यह सोशलिस्ट इकोनामी को लाने में सहायक नहीं होता है, बल्कि सेन्ट्रलाइजेशन की स्थिति की तरफ ही ले जाने में सहायक होता है। इसलिये हम काटेज इंडस्ट्रीज विलेज व स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को गांव-गांव में फैलाने की तरफ जोर देते हैं। इसी से हम अपने यहां की तमाम पंचायतों, जिला परिषदों व ब्लाकों में तरक्की के काम कर सकते हैं और वहां की इकोनामिक स्थिति को सुधार सकते हैं।

मैं अभी खादी कमीशन की एक मीटिंग में गया था। सभी ने कहा कि हम इस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं लेकिन जब हमसे यह कहा गया कि आपके यहां के लिये जो स्कीम थी और जो काम हुआ है उसमें काफी अन्तर है और इस सिलसिले में आपके यहां बहुत कम खर्च हुआ है। उनकी बातें सुन कर एक बार मेरा सर झुक गया कि उनकी यह बात सही है कि हमने उद्योग-धंधे के सम्बन्ध में बहुत कम कार्य किया है, लेकिन मेरा नक्शा यह है कि आज ब्लाक लेविल पर जैसा कि माननीय शिव्वनलाल जी ने कहा कि आप साढ़े २० करोड़ रुपया रेवेन्यू का छोड़ दें प्लान के लिये तो उससे काफी लाभ होगा। बहुत से प्रदेशों ने पंचायतों के लिये रेवेन्यू का ३३ प्रतिशत् रखा है और यू० पी० सरकार के विचाराधीन है कि पंचायतों को रेवेन्यू का २५ प्रतिशत् दिया जाय। लेकिन केवल रुपया दे देने से ही काम नहीं हो जायगा। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि ब्लाक लेविल पर आज भी करोड़ों रुपये पड़े हुए हैं। मैचिंग ग्रांट को न उठाने की वजह से हर ब्लाक में ८० हजार रु०, ५० हजार रु० पड़े हुए हैं। बहुत से लोग लोन लेने के बाद रेमिशन की उम्मीद में उसे अदा नहीं करते हैं। लेकिन क्या इसी तरह से योजना को सफल बनाया जा सकता है या आज की इकोनामिक स्थिति में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है ? हमें अपने प्रान्त के ८७५ ब्लाक्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्कीम को इम्पलीमेंट करना है, जो हमारी लाखों जनता की भावनाओं के अनुरूप हो। हम चाहते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राइवेट सेक्टर के साथ-साथ पब्लिक सेक्टर का भी प्रसार हो जाय। समाजवादी ढांचे में इसके लिये जनतांत्रिक तरीका ही हो सकता है जिससे हमें उसके लिये कोई रास्ता निकाल सकते हैं। सरकार को चाहिये कि वह इसके लिये कोई तरीका ढूंढ़े। वह कोई तरीका रिसोर्सेज का ढूंढ़ सकती थी, पंचायत राज संस्थाओं पर एक कमेटी बैठी जिसने रिसोर्सेज को ढूंढ़ने की बात की। कोआपरेटिव सेक्टर किसी भी लोकशाही बजट के रिसोर्सेज का एक साधन है, सारे साधनों में कोआपरेटिव सेक्टर का बड़ा स्थान है।

हमारा सौभाग्य है कि आज देश में लोकशाही के साथ-साथ एक सहकारिता की भावना आई है, सहकारिता तो एक पर्यायवाची है लोकशाही का। यह जो योजनाओं द्वारा कार्यक्रम आप के सामने है इन में माइनर इर्रीगेशन, कृषि के उत्थान के कार्य, उद्योग को बढ़ाने के प्रोग्राम, पी० डब्ल्यू० डी० के कार्य और जितने भी काम हैं वे सब एक तरफ तो लोगों को रोजगार देते हैं, पैदावार बढ़ाते हैं और साथ ही वे एफीशियेन्सी के बढ़ाने का भी काम करते हैं क्योंकि इन सब कामों को सहयोग के साथ करने के बिना कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। यह जरूरी है कि सेन्ट परसेंट लैंड के लिये हम सिंचाई के साधन दें, अभी तक कमांड एरिया जो ९०० एकड़ होता था उस को हम ने अब ६०० एकड़ करने का फैसला किया है और इन्टर पोलेशन जो है उस के भी हम कुछ और साइन्टिफिक तरीके और नलकूप वगैरह लगाने की बात कर रहे हैं। आज जो हमारे सिंचाई के साधन हैं, जो हमारा इर्रिगेशन पोटेंशियल है उस का भी उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है। जो हमारी नालियां हैं, जो हमारी गूलें हैं वे ठीक नहीं हैं और वह हर साल खराब हो जाती हैं। मैं भी मानता हूं कि उनको ठीक करने का कार्य तेज होना चाहिये और सरकार ने इस विषय में कदम भी उठाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बजट कोई पेटेंट दवा सारी समस्याओं की नहीं है और उसी से सारा समाज ऊपर नहीं उठ जायगा जब तक कि उसके साथ में पब्लिक पार्टिसिपेशन न हो, चाहे वह श्रमदान के रूप में

[श्री बंशीधर पांडेय]

हो, विलेज वालंटियर फोर्स के रूप में हो या गांव पंचायतों के कार्यक्रम में हो । इस प्रदेश में पंचायतों के लिये ९ लाख का बजट रखा गया था कि उससे पंचायतें अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये कोई काम करें, लेकिन मैं सही कहता हूं कि प्रदेश की बहुत ही कम पंचायतों ने उस का उपयोग किया ।

हमारा आपका सब का कर्तव्य है कि कोई भी काम हो, चाहे वह माइनर सिंचाई की स्कीम्स का हो, फर्टिलाइजर्स का हो, पशुधन का हो, कुओं का सड़कों का कोई भी काम हो हमें ब्लाक और पंचायतों के स्तर पर एक वर्टिकल एकोनामी में मिलकर सब काम करना होगा और यही चीज बजट को रेडिएट करेगी । चाहे दिल्ली से केन्द्र के मंत्री या इस सरकार के चलाने वाले लखनऊ से कितना ही कहें कुछ नहीं होगा, जब तक कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन न होगा । इस का कोई मंत्र नहीं है, अगर कोई मंत्र होता, तो पढ़ देते कि रात में सब स्वर्ण हो जाय और सुबह सब स्वर्ण हो जाता । आदमी की कौन सी ताकत है जो प्रकृति पर काबू पा सके ? किसान की सारी खेती तैयार खलियान में पड़ी है, मैं भी किसान का लड़का हूं और ऐसी जगह का कि जहां पक्की सड़क तक नहीं है, एक भारी तूफान पच्छिम से आता है और उसके साथ पानी पड़ता है और सारी तैयार फसल खलियान में बरबाद हो जाती है । इसको रोकने की कौन सी मनुष्य की शक्ति है कि गल्ला सड़ने से रोका जा सके ? अब लाल बत्ती हो गई इसलिये मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि बजट को माननीय सदस्य इस दृष्टि से न देखें कि यह बजट यहां की समस्याओं के लिये कोई पेटेंट दवा है और उन सबका इलाज इस वर्ष ६४–६५ के बजट से हो जायगा । यह तो समाजवाद की तरफ एक कदम है । मैं तो उग्रसेन जी की पार्टी से निवेदन करूंगा कि आप समाजवाद की तख्ती जरूर टांगते हों, लेकिन तख्ती टांगने का काम हम ही करते हैं जो गांधियन फ़िलासफ़ी में विश्वास करते हैं । जो बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है यह समाजवादी ढांचे की तरफ सचमुच एक कदम है और माननीय सदस्य विचार करेंगे कि किस हद तक इसको पीपुल्स पार्टिसिपेशन का प्लान करेंगे ।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, समाजवादी बजट के सिलसिले में बहुत से लोगों की बातें सुनीं । मेरी समझ में नहीं आता सरकार की तरफ़ से कहा जाता है यह समाजवादी बजट है, समाजवादी योजना है और कांग्रेस समाजवादी लक्ष्य पर चल रही है । मेरी समझ में नहीं आता । एक तरफ़ कहते हैं समाजवादी योजना लागू कर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीबों का ख्याल न करके अमीरों की तरफ़ ध्यान दिया जाता है । आप देखें कि गरीबों को ५ रु० महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है और जिनकी अच्छी तनख्वाह है उनको ४० रु० दिया गया है और कहते हैं समाजवादी लक्ष्य अपना रहे हैं । दूसरी तरफ़ जो गरीब गांव में रहते हैं, खेतिहर मजदूर हैं, जो छोटी खेती करते हैं उनकी क्या हालत है ? समाजवाद का लक्ष्य बहुत ऊंचा है अगर उसका एक पाई अंश भी अमल में लाया जाय तो बहुत से हल निकल सकते हैं । कहा जाता है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, उत्पीड़ित समाज की स्थापना होगी । लेकिन आज वर्ग विहीन समाज में मंत्रियों के वेतन और भत्ते पर क्या खर्च होता है ? अभी इलाहाबाद के "भारत" अखबार में पढ़ा कि एक भूतपूर्व मंत्री के दौड़े भत्ते पर क्या खर्च हुआ, इसको माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा । तो सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है । अगर समाजवादी बजट लाते तो देश के किसान और खेतिहर मजदूरों का ध्यान रखते । लेकिन इस बजट और योजनाओं से हमको नहीं लगता कि देश का कोई हित होने वाला है । एक तरफ़ सरकार कहती है विकास कर रहे हैं । विकासों की हालत यह है, जैसा राजेन्द्रकुमारी जी ने कहा कि आज सप्लाई आफ़िस में क्या हालत है कि जो आदमी सीमेंट के लिये जाता है तो किसी को मिलता है और किसी को नहीं । लेकिन ब्लैक में चाहे जितना सीमेंट ले लें । गल्ले को देखें, आटे को देखें, कंट्रोलकी दुकानों पर नहीं मिलता । लेकिन वही आटा और गेहूं चोर बाजार में चाहे जितना ले लीजिये । एक आर्डर सरकार ने जारी किया तहसीलदारों को कि जो आटा तेज भाव पर

बाजार में बिक रहा है वह भी कंट्रोल रेट पर बेचा जाय। नतीजा यह हुआ कि वह भी बाजार से गायब हो गया। मैंने अभी होल में देखा कि गल्ला बिलकुल भी बाजार में नहीं है। गरीब लोग नहीं पा रहे हैं।४, ५ पांव का आटा चोर बाजार में बेंचते थे, उन्होंने अपने घरों में स्टाक कर लिया है, आटा और गेहूं को मौका पाते ही ब्लैक में बेंचते हैं। फिर भी सरकार समाजवादी योजना की बात करती है।

भ्रष्टाचार की हालत क्या है? आप सप्लाई आफिस को देख लीजिए। अभी कुछ दूकानदारों को मैंने कहा कि आप लोग आटा उठा लीजिए तो मुझे बताया गया कि सप्लाई आफिस के जो क्लर्क लोग हैं उनको हर एक को २–२, ३–३, ४–४ और ५–५ रुपया देना पड़ता है। तो जब हम कंट्रोल दाम से आटा लायें तो उसमें किस प्रकार से मुनाफा हो सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह क्या हालत है प्रदेश की। क्या यही आपका समाजवाद है? वर्गविहीन समाज की हालत को देख लीजिए। कहा जाता था कि ३० एकड़ से अधिक भूमि किसी के पास न होगी, लेकिन देखा जाता है कि हजार हजार एकड़ जमीन पर लोग खेती कर रहे हैं। उनकी हालत यह है कि जब उन्होंने सुना कि ३० एकड़ का प्रतिबन्ध लगने वाला है तो अपने भाई भतीजों के नाम हिस्सों का कागजों पर इन्दराज करा लिया। सरकार ने गांव में सभापतियों की नियुक्ति की और २५–२५ मेम्बरों को नियुक्त किया। आज हालत यह है कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन नहीं मिल पा रही है बल्कि जो बड़े लोग हैं उनको जमीन भी मिल जाती है। इस पर भी सरकार कहती है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। इलाहाबाद जिले में कोई भी गांव नहीं है जहां पर बड़े-बड़े काश्तकारों को छोड़कर गरीबों को जमीनें मिली हैं। भूदान से कुछ जमीनें अवश्य मिली हैं। ८–८ साल तक पटवारियों ने नहीं बताया कि उनकी कौन-कौन जमीनें थी क्योंकि उनके पास पटवारियों को देने के लिए पैसा नहीं था। ८ साल के बाद अब उनसे सर्किल रेट का दुगना लगान मांगा जाने लगा है। जब मैंने जिलाधीश से इसके बारे में बताया तो उन्होंने कह दिया कि जब जमीनें उनके नाम लिखी हुई हैं तो कब्जा क्यों नहीं किया गया। तो गरीबों की लोटा, थाली कुर्की की गयी है। उधर तो इस प्रकार की कुर्कियां होती हैं और इधर सरकार समाजवाद का दम भरती है।

अभी हाल में ही एक सज्जन ने १०० बीघे का ताल लेखपाल से कह कर उस पर अपना कब्जा दर्ज करा लिया। जब जमीन उनके नाम से आ गयी तो उसको १,००० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बेंचना शुरू कर दिया। जब कमिश्नर के पास इस बात की शिकायत हुई तो अब उसकी जांच हो रही है। इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं और आप कहते हैं कि हम समाजवाद ला रहे हैं।

अभी हाल ही में पी० डब्लू० डी० के मामले को हमने देखा कि सड़कों हर लोग मकान बना रहे हैं। पी० डब्लू० डी० की सड़कों पर मकान बना कर गरीबों के हाथ बेंच रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चन (question) किया कि कितने मकान बनाये गये। उनका उत्तर मिला। मैंने यह भी देखा कि जिनके पास पैसे हैं उनका चालान नहीं किया गया। बल्कि जो गरीब रिश्वत नहीं दे पाते हैं उनकी सजा होती है, जुर्माने होते हैं। यह सरकार की योजना है। अगर आज जो सदन में बैठने वाले हैं वे ईमानदारी बरतें और जो बाहर के लोग हैं वे भी इमानदारी से काम करें तो मैं तो यह कहता हूं कि असली समाजवाद तब किसी अंश तक आ सकता है। अगर कायदे से उसे सरकार यूटिलाइज करा दे तो तबाही नहीं होगी। हमें कोई दखल देने का हक नहीं है। कलेक्टर यह सोचकर कि यह मेम्बर्स का पोलिटिक्स का मामला है टाल दिया करता है। देश में भुखमरी और तबाही से जो भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है उस पर खाद्य मंत्री जी गौर करें और अधिकारियों के साथ कड़ाई के साथ व्यवहार करें तभी स्थिति सुधर सकती है। जो गल्ला चुरा कर रखा गया है उसे बाहर निकलवाया जाय और उसका वितरण कराया जाय तभी इस सूबे की खाद्य समस्या हल हो सकेगी। महंगी में लोग स्टाक दबा लेते हैं और ज्यादा दाम पर उसे बेंचते हैं, इसे रोकना चाहिये।

[श्री बंशीलाल]

खाने के साथ जो अन्य दैनिक इस्तेमाल की चीजें हैं जैसे कपड़ा, तेल, मसाले उनके भी दाम बढ़ रहे हैं। एक तरफ आप समाजवाद की बात करते हैं दूसरी ओर छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के आपने ५ रुपये बढ़ाये हैं और ८०० रुपये पाने वालों के ४० रुपये, तो इससे असमानता कैसे दूर होगी ?

सिंचाई विभाग का यह हाल है कि ठेकेदारों को जो ठेके दिये जाते हैं उसके बदले में वे ओवरसियर्स को १० से १५ फीसदी तथा इंजीनियर्स को ५ से १० फीसदी कमीशन देते हैं और १ हिस्सा सीमेंट तथा १० हिस्सा बालू मिला कर टयूबवेल तथा नालियां बनाई जाती हैं जिससे सरकार के सामने शिकायतें आये दिन आया करती हैं, लेकिन सरकार टाल दिया करती है। इससे सारे काम बिगड़ते जाते हैं और इस तरह से देश का विकास नहीं हो सकता।

एक तरफ भुखमरी बढ़ रही है और दूसरी तरफ सरकार लगान बढ़ाने जा रही है इससे लोगों की परेशानी बढ़ गयी है। सरकार योजना के नाम पर लोगों से रुपया वसूल करती है, लेकिन विकास किसका हो रहा है ? विकास उनका हो रहा है जो सरकार के पिट्ठू हैं, भूतपूर्व जमींदार हैं, गांव में गरीबों के जो शोषक हैं और सही मानी में गरीब हरिजन, भूमिहीन लोगों का विकास नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचारी, घूसखोर अफसरों के कारण विकास नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय जलील अब्बासी।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

आपने तो कहा था कि पी० एस० पी० के माननीय सदस्य के बोलने के बाद मुझे मौका दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उसके गलत मानें समझे। अपोजीशन में पी० एस० पी० के बाद आपको मौका मिलेगा, यह मतलब था।

श्री लखपतराम शर्मा--

साढ़े ५ बजे तो खत्म ही हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

तो क्या किया जाय ? कल मिलेगा।

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हू कि आपने मुझे समय दिया। अब कुल ५-७ मिनट का समय बाकी है। मेरा बाकी समय कल पूरा किया जायगा। सबसे पहले मैं अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो लैंड टैक्स था, जो २५ फी सदी सरचार्ज किसानों पर लगा था, जिसके वास्ते इतना हल्ला मचा था वह उन्होंने अपना आसन ग्रहण करते ही समाप्त कर दिया जिसके लिये इस प्रदेश के सारे किसान उनके आभारी हैं। इसके बाद हम इसलिये भी वित्त मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने इस मसले को जहन में रखा कि महंगाई बढ़ी हुई है और छोटे छोटे कर्मचारियों का ध्यान किया और ५ रुपये उनके मंहगाई भत्ते में बढ़ा कर उनके आंसू पोंछने की कोशिश की। मगर एक बात जो बहुत से लोगों ने कही है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं कि उससे पांच रुपये हल्के पड़ गये। अगर आपके पास बजट नहीं है और आप पांच रुपये ही दे पाये तो कोई बात नहीं है मगर साथ-साथ साढ़े ८ सौ रुपये तक तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को एकदम ४० रुपये देकर उनकी महंगाई का ज्यादा खयाल किया गया।

मैं समझता हूं कि अगर हम समाजवाद की तरफ जा रहे हैं और जरूर जा रहे हैं, बात गलत यों नहीं है कि साढ़े चार सौ से लेकर ८५० तक पाने वाले कर्मचारियों को आज तक कुछ भी भत्ता नहीं मिलता था तो उनके ४० रुपये कर दिये गये मगर जो १५० से ४५० रुपये तक के कर्मचारी हैं, बीच के, वे ४० से अधिक भी पा जायेंगे और ये ४० ही पायेंगे। यह सही है कि उनको ज्यादा पैसा मिलता है, उनका स्टेटस ज्यादा है, उनके अखराजात ज्यादा हैं, उनकी परेशानियां ज्यादा हैं, लेकिन उन सब परेशानियों को एक पलड़े में रखने के बाद अगर हम १०० रुपये पाने वाले कर्मचारियों की परेशानियों को दूसरे पलड़े में रखें तो इनका पलड़ा भारी रहेगा और इस संकट काल में अगर उनके ४० रुपये न बढ़ाये जाते तो यह परेशानी न होती। अब वे ५ रुपयों को ४० रुपयों से तौलते हैं तो उसकी कुछ कीमत नहीं समझते। मैं समझता हूं कि बजट बनाने वालों ने यह नहीं सोचा कि इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ जो ९५ रुपये तक पेंशन पाने वालों के ५ रुपये बढ़ाये गये हैं उसके लिये भी मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं इस तरह से उनकी कुछ कठिनाई को दूर किया गया। इसके साथ साथ जो ६ महीने की तनख्वाह एक साथ देने की बात कही गयी है उन टीचरों को जिन्हें अब तक पेंशन नहीं मिलती है और जो ग्रेचुइटी की बात है अचानक मृत्यु होने पर यह एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसे किसी हद तक हल करने में यह सरकार सफल हुई और इसके लिये भी हम उन्हें बधाई देते हैं। मगर इसके साथ साथ हमारी यह प्रार्थना है कि जो पोलिटिकल पेन्शन पाते हैं शायद उनका ध्यान नहीं रखा गया। थोड़ा बहुत उनके लिये भी कुछ होना चाहिये था क्योंकि उन बेचारों ने मुल्क की आजादी के लिये कुरबानियां की हैं। उनको जो थोड़ा बहुत दिया गया है अगर उसमें कुछ और बढ़ा दिया जाता तो बड़ा सन्तोष उन्हें होता।

इसके अलावा नियोजन की बात कही गयी। जहां तक हमने देखा है हमारे ब्लाकों में काफी काम हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह आंख मूंदना होगा अगर हम कहें कि कुछ काम नहीं हो रहा है। ग्राम सेवक जो गांवों में रहता है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। वह रात दिन काम करता है और हर बात को देहात में फैलाने में सफल होता है। उसको लेखपालों के पलड़े पर मत तोलिये। देहात की तरक्की में ब्लाक का प्रमुख हाथ है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनमें बहुत से सुधारों की भी जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप कल बोलियेगा।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के नोटर और ड्राफ्टरों की सीनियारिटी तथा अपरडिवीजन क्लर्कों की नियुक्ति तथा सीनियारिटी के संबंध में नियम ५० (१) के अन्तर्गत चर्चा

†श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सिंचाई विभाग के नोटर और ड्राफ्टरों की सीनियारिटी के प्रश्न पर जो खटाई में पड़ा हुआ है, सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना नहीं चाहता था और मैंने इस बात का प्रयास भी किया कि विभाग के सचिव से मिल कर इस समस्या का कोई हल निकाला जाय, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनसे कई बार एप्वाइंटमेंट करने के बाद भी मुझे अवसर प्राप्त न हो सका कि मैं सारे प्रश्न को उनके सामने रखता।

१९५४ में मुख्य अभियन्ता ने अपने कार्यालय में जूनियर नोटर और ड्राफ्टरों के स्थानों के लिये यह घोषणा की कि बी० ए० पास भर्ती करेंगे। इसकी सूचना प्रदेश के सभी इम्पलायमेंट

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बिपिनविहारी तिवारी]

एक्सचेंज को दी गई और फूड एण्ड सिविल सप्लाई के रिट्रेन्च्ड कर्मचारियों ने भी प्रार्थना पत्र दिये। ७७ लोगों को कम्पटीशन में बैठने का आदेश दिया गया। उसके बाद उनको नौकरी में लगाया गया। अब प्रश्न यह आया कि इन लोगों को कैसे रखा जाय। इसके सम्बन्ध में इन्जीनियरों की एक मीटिंग हुई और वे एक निर्णय पर पहुंचे। उन्होंने एक सरक्यूलर १३ अक्तूबर, १९४९ को निकाला जिसमें यह कहा गया कि सीनियारिटी के सम्बन्ध में जो नियम बनेंगे वह सिद्धान्त माने जायंगे। सरक्यूलर इस प्रकार है कि--

"It has been proposed for the service rules that the seniority of men recruited by competitive examination for the Upper Grade will be fixed *interse*, according to the position obtained by them in the Examination"

इन सिद्धान्तों के अनुसार १२ सितम्बर, १९५७ में ४५ आदमियों की एक सूची बनाई गई। उसमें उसी सिद्धान्त के अनुसार लोगों को प्रमोट करके और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया। जब प्रमोटेड लोगों ने आपत्ति की तो उसे कैंसिल कर दिया और कहा कि १२ सितम्बर की वही मानी जायगी। इससे यह सिद्ध होता है कि जो सिद्धान्त आपने माना था और जो डाइरेक्ट लोग लिये गये थे, उनका केस एस्टैब्लिश हो गया क्योंकि प्रोमोटेड लोगों को एतराज था। उसके बाद ही बहुत ही इन्टरेस्टिंग चीज आती है। वह यह है कि २२ दिसम्बर, १९५८ को जो १२ सितम्बर की सूची थी, इसमें से कुछ लोगों को आपने परमानेंट कर दिया, लेकिन २४ दिसम्बर को इन्जीनियर साहब के पी० ए० जिनको इस बात का अधिकार नहीं था कि उनकी परमानेंसी को कैंसिल कर देते उन्होंने उस आर्डर को सस्पेंड कर दिया और यह मामला वहीं पर खटाई में पड़ गया। फाइनेंशल हैंडबुक के रूल १४ (ए) में यह लिखा हुआ है--

"A Government servant's lien on a post may in no circumstances be terminated even with his consent, if the result will be to leave him without a lien or a suspended lien upon a permanent post."

अगर एक बार वह परमानेंट कर दिया गया है तो फंडामेंटल रूल के आधार पर भी आप उनको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, न परमानेंसी को छीन सकते हैं। लेकिन २९ दिसम्बर, १९५८ को चीफ इन्जीनियर के पी० ए० ने सस्पेंड कर दिया। कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने अपील भी की। उसके बाद जून, १९५९ को फिर मीटिंग हुई और उसमें फिर सीनियारिटी का प्रश्न रखा गया। फिर विचार शुरू हुआ। जो प्रोमोटेड लोग थे उनसे पूछा गया। उनका एक प्रतिनिधि और जो परीक्षा में पास हो कर आये थे उनके प्रतिनिधि को बुलाया गया। उनसे कहा गया कि लिख कर दीजिये। सब लोगों ने लिखित रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ९ सितम्बर को फिर एक मीटिंग हुई। उनकी बात को यह कह कर टाल दिया गया कि आप को क्या एकदम इन्जीनियर बना दिया जाय। जो लिखित बात थी उस पर ध्यान न देकर ३१ दिसम्बर, १९६० को इन्जीनियर साहब ने एक नयी लिस्ट जारी की जिसमें जो डाइरेक्ट लोग लिये गये थे उनकी सीनियारिटी को समाप्त करके प्रोमोटेड लोगों को ही सीनियर बना दिया और उसी दिन ३१ दिसम्बर को ही कन्फर्मेशन भी कर दिया। उन लोगों ने उस निर्णय के खिलाफ अपील की। अपील की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और सारी चीजें इन्जीनियर साहब के पास हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर आये हैं जब आपने एक सिद्धान्त मान लिया है और ड्राफ्ट रूल्स भी बन गये हैं, उसमें भी है कि प्रोमोशन इंटरसी सिद्धान्त पर होगा, एक प्रोमोटेड आयेगा एक डाइरेक्ट एग्जामिनेशन वाला आयेगा, लेकिन ड्राफ्ट रूल्स गजट में प्रकाशित नहीं हुए, गजट में प्रकाशित न होने के बाद भी अकाउटेंट जनरल, अप्वाइंटमेंट, इरीगेशन डिपार्टमेंट, इन सारे सिद्धान्तों को आज भी मान रहा है। जब आप सर्विस मांगते हैं और उन्हीं सिद्धान्त का रिफरेन्स देकर मांगते हैं और उन सिद्धान्तों को आप मानते हैं, तो क्या कारण है कि जो लोग अपनी योग्यता के आधार पर आये हैं उनकी बात को न सुना जाय ?

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार यह प्रश्न पहले सन् १९६० में उठा था। इस प्रश्न का उत्तर माननीय राममूर्ति जी ने उस समय दिया था जो पढ़ने के योग्य

है। उसमें आपने यह कहा था कि "चीफ इन्जीनियर के यहां सब की मीटिंग हुई जिसमें दोनों पक्षों की बात सुनी और यह तय किया कि यह मुनासिब होगा कि एक आदमी नई सर्विस का लिया जाय और एक पुरानी सर्विस का लिया जाय तब सीनियारिटी तय की जाय"। यह राममूर्ति जी ने उस समय जवाब दिया था। तो जब मूल बात में उस सिद्धान्त को मान लिया गया उसको आपने गजट में भले ही प्रकाशित न किया हो, यह आप की टैक्नीकल चीज हो गई, लेकिन जब आपने उस सिद्धान्त को मान लिया और सारे विभागों ने उस सिद्धान्त को मान लिया तो ये २० आदमी अपनी योग्यता के आधार पर जब इस प्रदेश की सरकार की सेवा कर रहे हैं तो क्यों न उनको सीनियारिटी से स्थान दिया जाय? श्रीमन् मैं इस प्रश्न को यहां लाने के लिये मजबूर हुआ। मैं विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि अगर मैं मजबूर न होता तो यहां उस प्रश्न को नहीं ला सकता था। पहले चीफ इंजीनियर अग्रवाल साहब की यह इच्छा थी कि इस सीनियारिटी के प्रश्न को लेकर ऐसा किया जाय कि एक पुराने में से लिया जाय और एक नये में से लिया जाय, लेकिन जो नये चीफ इंजीनियर आये हैं, उनकी योग्यता पर तो मुझे सन्देह नहीं है, लेकिन वह कुछ ऐसे चक्र में जरूर फंस गये हैं जिसकी वजह से उन लोगों के हक पर कुठाराघात हो रहा है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो डाइरेक्ट आये हैं उनके प्रश्न पर विचार किया जाय और जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर भी विचार कर लें और इस सारे प्रश्न को लेकर पूरी तरह से इस पर विचार किया जाय। मैं आशा करता हूं मंत्री जी इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगे।

*विद्युत् उप-मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तिवारी जी का बड़ा कृतज्ञ हूं कि उन्होंने बहुत अध्ययन करके कुछ बातें यहां पर बतलाईं। अगर यह बात बतलाने के पहले आप मुझसे मिल लेते तो मुझे विश्वास है कि उनका जो दृष्टिकोण है तो उस तरह का उनका दृष्टिकोण न रहता। मैं यह धृष्टता करूंगा उनको यह बात बतलाने के लिये कि शुरू से कुछ सारी बातें सदन के सामने रखूं। आपने जो बातें कही हैं वे अपनी जगह पर सही होते हुए भी जिस तरह से आपने उनको फालो किया है वह दुरुस्त नहीं हैं। मेरी बात अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपकी भी यही राय होगी और मुझसे सहमत होंगे। मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग का कार्यालय तथा सचिवालय सिंचाई शाखा १९३७ तक सम्मिलित रूप से कार्य करते रहे। जनवरी, १९३८ में इन कार्यालयों का पृथकीकरण हो गया। सचिवालय सिंचाई शाखा के कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में अपने सचिवालय के क्लेम को त्यागकर कार्य करने की इच्छा की। मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग ने सर्वप्रथम सन् ४० में अपने कार्यालय के लिये अलग से भर्ती की और सचिवालय की भर्ती के लिये की गई परीक्षा के आधार पर कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर ली। जो सचिवालय में स्थान नहीं पा सके थे उन कर्मचारियों को एक साथ उनके नीचे रख दिया गया जिन्होंने मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में पृथकीकरण होने पर अपनी सेवायें करने की इच्छा प्रकट की थी। यह १९३७ में हुआ। १९४८ में मुख्य अभियन्ता ने स्वयं एक परीक्षा ली तथा ४२ अभ्यर्थियों को अनुमोदित किया। उनमें से ३३ विभागीय कर्मचारी तथा ९ बाहरी अभ्यर्थी थे। इन ३३ विभागीय अभ्यर्थियों को उन बाहरी अभ्यर्थियों के ऊपर रख दिया गया जैसा कि उस समय तक किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में जो नियम प्रस्तावित किये गये थे वह निम्न प्रकार के थे:—

"Seniority of the members of the establishment in each grade shall be determined by the date of order of their appointment in substantive vacancies provided that the seniority of persons appointed substantively in the same office order shall be determined as follows :

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

(1) Among direct recruis the seniority shall be in accordance with their position in the competitive examination, (2) Among promoted clerks, the seniority shall be in accordance with their total length of service in Irrigation department, (3) Promoted clerks will be senior to candidates recruited direct."

१९४९ तथा १९५०-५१ में विभागीय कर्मचारी तथा बाहरी अभ्यर्थियों की वरीयता प्रचलित पद्धति के आधार पर निर्धारित की गयी। दूसरी परीक्षा १९५४ में हुई, किन्तु यह खाद्य तथा रसद विभाग तथा कृषि इंजीनियरिंग विभाग की छटनी किये हुए कर्मचारियों तक सीमित थी। १९५४ में यह हुई थी। मुख्य अभियन्ता ने १९५४ के अभ्यर्थियों, विभाग के अन्दर प्राप्त कर्मचारियों एवं खाद्य तथा रसद विभाग और कृषि इंजीनियरिंग विभाग के छूटे हुए परीक्षा पास तथा सिंचाई विभाग की सेवा हेतु सेलेक्टेड अभ्यर्थियों की वरीयता नहीं निश्चित की और दूसरी परीक्षा १९५६ में ले ली। १२ सितम्बर, १९५७ को मुख्य अभियन्ता ने सर्व प्रथम दोनों बैचेज़ १९५४ और १९५६ की अलग-अलग वरीयता की सूची की घोषणा की। इन दोनों बैचेज़ में विभागीय कर्मचारियों तथा बाहरी अभ्यर्थियों की वरीयता विभाग के पूर्व प्रचलित प्रथा के अनुसार नहीं निर्धारित की गयी थी। वहां एक नया स्टैंड अपनाया गया जिस के अनुसार दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को एक के बाद एक अर्थात् एक विभागीय कर्मचारी के बाद एक बाहर से आये अभ्यर्थी को वरीयता दी गयी। यह नयी पद्धति मुख्य अभियन्ता ने इस कारण अपनायी क्योंकि संशोधित ड्राफ्ट रूल्स में ऐसा संशोधन प्रस्तावित किया गया था। वह रूल आप पढ़ चुके हैं इसलिये मैं उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता। मुख्य अभियन्ता द्वारा वरीयता सूची की घोषणा करने के पूर्व ही कुछ कर्मचारियों को इस प्रकार की संशोधित पद्धति अपनाये जाने की सूचना प्राप्त हो गयी। यह स्पष्ट है कि यह संशोधित सूची माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत व्याख्यात्मक टिप्पणी से संलग्न नोट उल्लिखित १३-१०-४९ की राजाज्ञा संख्या ३,८२८ बी २३ पर आधारित नहीं थी, क्योंकि जैसा कि प्रश्न संख्या १२ के उत्तर में कहा गया है कि कोई ऐसा आदेश शासन ने इस राजाज्ञा में नहीं दिया था। स्पष्ट करने के लिये मैं आपको बतला दूं कि जो गवर्नमेंट आर्डर था उसमें उनकी सीनियारिटी आपस में तय की लेकिन इन्टरसी सीनियारिटी जो राजाज्ञा में कोई नहीं थी। तो गवर्नमेंट आर्डर ऐसनहीं था। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास वह आर्डर है। "उपर्युक्त ढंग से निश्चित की गयी वरीयता विरुद्ध कुछ और अपीलें मुख्य अभियन्ता को प्राप्त हुईं जिन पर विचार करने के लिये मुख्य अभियन्ता ने जून, १९५९ और सितम्बर, १९५९ को मीटिंग बुलाई तथा दूसरी मीटिंग में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया।"

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

जून में आ गया है और बीच में वह परमानेन्ट किये गये और परमानेन्ट होने के बाद आर्डर को सस्पेंड किया गया।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मेरी बात साफ हो जायगी, आप सुन तो लें।

"इस मीटिंग में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। इस मीटिंग में यह तय पाया गया कि विभाग में पूर्व प्रचलित प्रथा के अनुसार सभी प्रोमोटेड जूनियर नोटर व ड्राफ्टर के ऊपर सीनियारिटी दी जाय। अतएव १९५७ में जो सीनियारिटी लिस्ट बनी थी उसे बदल कर ३१-१२-६० को एक नयी लिस्ट बनायी गयी और उसके अनुरूप लिपिकों का स्थायीकरण किया जाय जिसके फलस्वरूप अनिवार्यतः कुछ रद्दोबदल हो गयी।

मुख्य अभियता के कार्यालय में जूनियर नोटर व ड्राफ्टरों ने अपनी सीनियारिटी स्थायीकरण व सीनियर नोटर व ड्राफ्टर्स के पदों पर पदोन्नति के लिये समय-समय पर सचिव सिंचाई विभाग

को कुछ अपीलें कीं। सरकार ने इन अपीलों में उल्लिखित तथ्यों को भली भांति निरीक्षण किया और नियुक्ति एवं न्याय विभाग का परामर्श करना उचित समझा है। मामले पर उक्त दोनों विभागों की राय प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय लिया जायगा।"

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

उस बात को आपने स्पष्ट नहीं किया है कि जबकि सूची के कुछ लोगों को २२ दिसम्बर, १९५८ में परमानेन्ट किया गया और २४ दिसम्बर, १९५८ में उसी लिस्ट को वहां के पी० ए० ने सस्पेंड कर दिया जिसके कारण उन पर ऐक्शन लिया गया, वह रिवर्ट किये गये। दूसरे यह कि २८-१०-५९ को ही इन लोगों की अपीलें आपके पास भेजी गयीं और ३१-१२-६० को कैसे उन्होंने उस सूची को एक दम बदल कर परमानेन्ट कर दिया—ये चीजें स्पष्ट नहीं हुयीं।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एक जो सीनियारिटी की थी तो चूंकि ड्राफ्ट रूल्स ही नहीं थे और यह ऐक्शन हुआ तो पता चला कि यह थोड़ी-सी अनियमितता हो गयी कि सीनियारिटी का रूल अमेंड किया। गवर्नमेंट के लिये एक लिस्ट बना दी गयी। जब अपील हुई तो उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया और विभाग के इंजीनियर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें क्योंकि दूसरे इंजीनियर्स भी थे, हाइडेल के थे उन सब ने मिल कर यह निश्चय किया कि सीनियारिटी की प्रचलित प्रथा को उसी तरह से रखा जाय। उन्होंने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया और फिर से कार्यान्वित कर दिया। वह उनको नहीं करना चाहिये था। जिस वक्त पता चला तो २ वर्ष के बाद सस्पेंड कर दिया। मैं समझता हूं, कोई अनियमितता नहीं हुई। फिर भी जो अपीलें मेरे पास हैं उसको हम एग्जामिन करेंगे डिटेल में और जैसा कि मैंने कहा कि यह जो केस रिफर किया है और आदेश दिये हैं कि जल्दी से जल्दी इसको निश्चय किया जाय....

श्री प्रेमसिंह—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट (जिला फैज़ाबाद)—

कुछ का ऐप्वांइन्टमेंट सन् ५४ में हुआ, कुछ का सन् ५६ में हुआ और उसके बाद यह रूल्स बनाये। तो क्या मन्त्री जी ऐसा करने का विचार करेंगे कि उन लोगों की सीनियारिटी और जूनियारिटी उस समय के प्रचलित रूल्स के अनुसार ही रहे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरा तो दुर्भाग्य यही है, हमने तो वही किया, मगर त्रिपाठी जी उसके खिलाफ कह रहे हैं। हमने प्रचलित नियमों के अनुसार ही किया।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

यह जो आपके पास कापी है इसको आप तिवारी जी को दे दें, ताकि वे उसको समझ लें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस पर विचार करेंगे कि जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको पुराने रूल्स के अनुसार ही वरीयता दी जाय?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने जैसा अर्ज किया....

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

आप जो ड्राफ्ट रूल्स हैं उनको जरा देख लें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप मेरी बात सुन तो लें। हुआ यह कि सन् ५७ में ड्राफ्ट रूल्स प्रोपोज हुए और जो संशोधन नियमों में प्रपोज किये गये उसी के अनुसार उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। तो नेचुरल था, लोगों ने कहा कि जब वे अभी पास ही नही हुए हैं तो उसके अनुसार कार्य कैसे हुआ। उसका दूसरे विभागों पर भी असर पड़ने वाला था। तो उन्होंने कहा कि उनको सस्पेंड कर दो....

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

वह सस्पेंड नहीं कर सकते थे।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप मेरी बात सुनिये तो। हमने अब उसके बारे में ला डिपार्टमेंट को कन्सल्ट कर रखा है। ला डिपार्टमेंट उसके बारे में जांच कर रहा है। उसमें थोड़ा-सा झगड़ा पैदा हो गया, इसीलिये ला डिपार्टमेंट से पूछा जा रहा है। मैंने जैसा आपसे कहा, मुझे दुख है कि इसमें देरी लग गयी, मगर मैंने अभी भी यह आदेश दे दिये हैं कि इसमें जल्दी की जाय। इसमें जो भी उचित कार्यवाही होगी वह की जायेगी। यह बात बहुत सही नहीं है कि जो उस समय हुआ वह प्रचलित प्रथा के खिलाफ हुआ। इस केस में जल्दी की जायेगी।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या आप इस तरह के आदेश देंगे कि जब तक आप ला डिपार्टमेंट से पूरी जानकारी प्राप्त न कर लें तब तक इंजीनियर साहब उस सीनियारिटी लिस्ट को, जो बनी थी, कार्यान्वित न करें?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)—

तिवारी जी इस बात को समझने की कोशिश करें कि कुछ ड्राफ्ट रूल अमेंड करने के प्रोपोजल तैयार हुए। कायदे से यह होना चाहिये था कि जब वे प्रोपोजल स्वीकार हो जाते तो उनका कार्यान्वियन होना चाहिये था। गलती यह हुई कि ऐक्सेप्ट तो हुए नहीं और उनको कार्यान्वित कर दिया। इस बात पर जब हल्ला गुल्ला मचा तो थोड़े दिन बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जिनके दिलों को तकलीफ पहुंची वह निगाह में हैं। इसलिये उस मसले को ला डिपार्टमेंट को दिया है, ताकि उसके सब पहलुओं को देख लें और उचित कार्यवाही की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय समाप्त हो गया है। अब हम उठते हैं कल १० १/२ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२० फरवरी, १९६४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९२ पर)

१९६१–६२

क्रम-सं०	डायरेक्टर्स के नाम	मीटिंग की संख्या	टी० ए०	डी० ए०	योग
			रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१	श्री नवाब सैयद ऐजाज रसूल	१९	४१५.६५	१८०.००	५९५.६५
२	,, अशरफ अली ..	९	६०२.५७	९०.००	६९२.५७
३	,, जाफर अहमद ..	७	५५५.५७	९०.००	६४५.५७
४	,, मोहम्मद सिद्दीक ..	७	६१६.५१	९०.००	७०६.५१
५	,, शिव लाल चुग ..	५	८०.८०	५०.००	१३०.८०
६	,, मदन मोहन ..	२	१७५.८८	२०.००	१९५.८८
७	,, हकीम बशीर अहमद	४	१८५.२८	४०.००	२२५.२८
८	,, शफात अहमद ..	१०	५०८.०२	११०.००	६१८.०२
९	,, हयात मोहम्मद ..	५	१३०.१२	२०.००	१५०.१२
१०	,, अब्दुल लतीफ नोमानी	२	१५९.५८	२०.००	१७९.५८
११	,, अब्दुल अजीज अन्सारी	१३	९५९.३६	१८०.००	१,१३९.३६
१२	,, तुलसी प्रसाद सहयोगी	१०	६४५.५४	११०.००	७५५.५४
१३	,, दाता राम सोधे ..	१२	५२९.७४	१००.००	६२९.७४
१४	,, अल्ता फुर्रहमान ..	२	२.२४	२०.००	२२.२४
१५	,, मोहम्मद कामिल ..	५	३०३.२५	५०.००	३५३.२५
१६	,, गोविन्द दास पन्डा ..	५	२८२.६६	५०.००	३३२.६६
१७	,, प्रकाश चन्द्र सक्सेना ..	३	९१.११	३०.००	१२१.११
१८	,, फैयाज अहमद ..	३	२१०.२४	३०.००	२४०.२४
१९	,, अब्दुल मजीद ..	३	१९३.४४	३०.००	२२३.४४
	योग ..		६,६४७.५६	१,३१०.००	७,९५७.५६

विधान सभा सचिवालय

१९६२–६३

क्रम संख्या	डायरेक्टर्स के नाम	मीटिंग की संख्या	टी० ए०	डी० ए०	योग
			रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१	श्री नवाब सैयद एजाज रसूल	७	१,१९९.४७	१५५.००	१,३५४.४७
२	,, अशरफ अली ..	४	३४३.०३	४०.००	३८३.०३
३	,, जफर अहमद ..	२	१६१.६२	२०.००	१८१.६२
४	,, मुहम्मद सिद्दीकी ..	४	२७२.०३	३०.००	३०२.०३
५	,, शिव लाल चुग ..	१	..	..	..
६	,, मदन मोहन ..	..	..	..	..
७	,, शफात अहमद ..	४	६२४.९६	८०.००	७०४.९६
८	,, हकीम बशीर अहमद	..	..	..	..
९	,, हयात मोहम्मद ..	४	१२८.९८	२०.००	१४८.९८
१०	,, अब्दुल लतीफ नोमानी	..	..	..	..
११	,, अब्दुल अजीज अन्सारी	९	६४१.६२	८०.००	७२१.६२
१२	,, तुलसी प्रसाद सहयोगी	२	१३५.७४	२०.००	१५५.७४
१३	,, दाता राम सोधे ..	९	४६४.८८	८०.००	५४४.८८
१४	,, अल्ताफुर्रहमान ..	..	..	..	..
१५	,, गोविन्द दास पन्डा ..	२	१३२.७२	२०.००	१५२.७२
१६	,, मोहम्मद कामिल ..	..	..	..	..
१७	,, प्रकाश चन्द्र सक्सेना ..	१	३३.१८	१०.००	४३.१८
१८	,, सैयाज अहमद ..	..	..	..	..
१९	,, अब्दुल मजीद ..	२	१४४.७२	२०.००	१६४.७२
	योग ..	..	४,२८२.९५	५७५.००	४,८५७.९५

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९९ पर)

जिला गाजीपुर में १९६२–६३ में प्रत्येक थाने के अन्तर्गत कत्ल, डकैती, चोरी, राहजनी, बल्वे के मामलों का विवरण

क्रम-सं०	थाना	कत्ल			डकैती			चोरी नकबजनी			राहजनी			बलवा		
		रिपोर्ट	सजा	छूटे	रिपोर्ट	सजा	छूटे	रिपोर्ट	सजा	छूटे	रिपोर्ट	सजा	छूटे	रिपोर्ट	सजा	छूटे
१	कोतवाली ..	५	..	१	२	..	१	१०६	३	६	५	..	२	२०	१	८
२	नन्दगंज ..	३	१	..	..	..	..	३४	३	..	१	..	..	८	३	३
३	सैदपुर ..	..	..	..	१	..	१	४८	३	५	१	..	..	३	..	१
४	जमानियां ..	२	१	..	..	..	..	१९	२	३	..	..	..	७	२	३
५	बिलदारनगर ..	१	..	..	..	..	..	१८	४	..	..	..	..	८	१	५
६	मुहम्मदाबाद ..	..	..	..	..	..	..	४१	४	२	१	..	१	१०	३	४
७	गहमर ..	..	..	..	..	..	..	३०	..	२	..	..	..	५	..	१
८	करीमुद्दीनपुर ..	४	१	१	..	..	..	३२	५	२	१	..	..	२	..	१
९	विरेंनी ..	२	१	१	२	..	२	१४	..	२	..	..	..	४	..	१
१०	मरदह ..	..	..	..	१	..	..	१४	१	..	..	..	..	७	२	२
११	कासमाबाद ..	१	..	१	१	१	..	१५	२	१	..	..	..	५	४	१
१२	सादात ..	२	..	..	..	..	..	१८	१	२	..	..	..	१	..	१
१३	शादियाबाद ..	२	१	१	१	..	१	२७	१	..	..	..	..	५	..	१
	योग ..	२२	५	५	८	१	५	४१६	२९	२५	९	..	३	८५	१६	३२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१० पर)

जिला हमीरपुर, जालौन व झांसी में सन् १९६३ में हुए कत्ल व डकैती की तालिका

जिला	नाम अपराध	मामलों की संख्या				
		रिपोर्ट हुए अपराधों की कुल संख्या	जो चालान हुए	जो सजा पाये	जो छूटे	जो डाक्टरी रिपोर्ट पर छूटे
हमीरपुर ..	कत्ल	६९	४४	४	११	१
	डकैती ..	२२	९	२	..	..
जालौन ..	कत्ल ..	३२	२०	४	२	..
	डकैती ..	३३	१९	..	४	..
झांसी ..	कत्ल ..	२७	१४	२	२	..
	डकैती ..	८३	३६	२	६	..

संसद सदस्य सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१२ पर)

तालिका

तालिका जिसमें देवरिया जिले की प्रत्येक चीनी मिल पर १९६३–१९६४ से पूर्व सीजनों की गन्ने के मूल्य व यूनियनों के कमीशन की ३१ दिसम्बर, १९६३ तक की बकाया रकम का विवरण दिया हुआ है।

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	गन्ने का बकाया मूल्य लाख रुपये में	यूनियनों का कमीशन की बकाया रकम लाख रुपये में
१	गौरीबाजार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
२	बैतालपुर	कुछ नहीं	०.०१
३	देवरिया	०.०७	०.५२
४	भटनी	१.५३	०.१९
५	परतावपुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
६	छितौनी	७.८५	०.६९
७	खड़ा	१.१३	०.६०
८	लक्ष्मीगंज	७.५५	०.९४
९	रामकोला (पी)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
१०	रामकोला (के)	११.४५	१.९७
११	पडरौना	कुछ नहीं	कुछ नहीं
१२	कठकुइंया	०.१३	०.९०
१३	कैप्टेनगंज	०.३९	०.४४
१४	रिग्वराही	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	योग ..	३०.१०	५.५५

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१२ पर)

REPORT OF THE POST-MORTEM EXAMINATION

On the body of Surendra Singh.

Place, Lucknow, date August 26, 1963 : Time 4 p.m.

Body identified by Police Constable and Chaukidar Mohd Arif No 794, police station Kaiserbagh, Lucknow.

Probable age 40 years.

Probable time since death—One day.

A—EXTERNAL EXAMINATION

1. Condition of body as regards muscularity, stoutness emaciation, rigor mortis and decomposition.

Well built and well nourished. Nails cyanored subject M. R. present all over the body.

2. Marks of identification specially in the case of the body of an unknown person.

Photo taken by police. Picture Tatoo marks on outer side of Right arm and front of Right Forearm with S. S. S., over left arm K. D. and front of forearm left. Dried froth at the left angle of the mouth.

3. Eyes—Closed pupils dilated and equal on both sides. Cornea clear.

4. State of natural orifices, ears, nostrils, mouth, anus, urethra., vagina.

5. Injuries—Nature, exact position and measurement including direction especially in incised wounds.

(1) Discoloured contusion 2"×1" over left forehead 3" above left eye brow (Extravasation of blood underneath it).

(2) Ligature mark on the neck, high up oblique and non-continuous, starting from just above the sub-border of the thyroid cartilage and runs upwards and lateraly on either side. On the right side it passes through a point below the right angle of mandible and 2' below the tip of Mastoid and then blends in the hairy scalp of the Occipetal region. On the left side it passes through a point 11i2 below the angle of Mandible and 2" below the left Mastoid and then blends into the hairy scalp of Occipetal region. Ligature Mark 10"×1" in breadth at place and gap is posteriorly. The mark is hard, parchmentized and abroded at places. Under lying soft structure are condensed and compressed and fibrosed.

6. Bones and joints—N.A.D.

7. External organs of generation—N.A.D.

Additional remarks.

B—INTERNAL EXAMINATION

1. *Head and Neck*

1. Scalp. Skull bones (vertex)—N.A.D.
2. Memberanes—Congested.
3. Brain—Congested—1400 gm.

4. Base of the skull
5. Vertebrae } N.A.D.
6. Spinal cords

7. Additional remarks :

1. Spinal cord need not be examined unless any indications of disease stxychinis, posioning or injury.

II—THORAX

(*a*) Walls—Ribs, cartilages. Intact and healthy.
(*b*) Pleura—Congested.
(*c*) Larynx, trachea and bronchi—Congested.
(*d*) Right Lung 1300 gm. } Both deeply congested.
(*e*) Left lung.
(*f*) Pericardium—Healthy.
(*g*) Heart with weight—Empty 220 gm.
(*h*) Large vessel } N. A. D.
(*i*) Additional remarks

III—ABDOMEN

1. Walls
2. Peritoneum } N.A.D. —8/8
3. Cavity
4. Buccal cavity, teeth, tongue } 8/8
5. Cesophagus.

6. Stomach and its contents—One ounce (about) pinkish fluid. Inner lining of the stomach wall(M.M.) deeply congested and thickened.

III—ABDOMENT (Concluded)

7. Small intestine and contents } Full.
8. Large intestine and its contents
9. Liver (with weight) and gall bladder. —Deeply congested 1600 gm
10. Pancreas—N.A.D. .. Handed over dead body along with copy of P. M. Report to cost Mohd. Arif 794, police station Kaiserbagh.
11. Spleen with weight—100 gm. congested.
12. Kidneys with weight—250 gm—Deeply congested.
13. Bladder—Empty.
14. Organs of generation—N.A.D.

15. Additional remarks, with, where possible, medical officer' deduction from the state of the contents of the stomach as to time of death and last meal.

Death may have occurred 6 to 7 hours after last meal.

C—DATE AND HOUR OF ONSET OF SYMPTOMS

To be answered in case of poisoning.

Date and hour of death—Visceras, preserved as a precautionary measure.

D—OPINION AS TO CAUSE AND MANNER OF DEATH

Death was due to vielent asply xia, resulting from hanging ante mortem in nature.

(Sd.) B.R. SOOD,
Medical Officer.

Place : Lucknow.
Dated August 26, 1963.

Forwarded to S. S. P., Lucknow for necessary action.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Civil Surgeon.
Lucknow.

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बी० एस० यू० पी०—ए० पी० २३७ एस० ए०—१९६४—८६० ।